भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन सं0 - 1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v
विहंगावलोकन	-	vii-xii
अध्याय – I		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन	**1**	-
परिचय	1.1-1.3	1
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.4 -1.6	1-2
राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश	1.7 -1.9	2-3
बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/अर्थसाहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण	1.10 -1.11	3-4
वित्तीय लेखाओं के साथ समाशोधन	1.12 -1.13	4-5
सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन	1.14 -1.19	5-7
लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये	1.20 -1.25	7-8
अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन	1.26 -1.28	8-9
लेखाओं पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.29 -1.34	9-11
लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली	1.35	12
पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.36	12-13
सा0क्षे0उ0 का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना	1.37	13
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.38 -1.39	13-15
अध्याय – II		
सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा		
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा	**2**	-
कार्यकारी सारांश		
परिचय	2.1	18-19
संगठनात्मक ढ़ाँचा	2.2	19-20
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.3	20
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.4	20
लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.5	20-21
लेखापरीक्षा पद्धति	2.6	21

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.7	21
मुद्रण प्रेस का आधुनिकीकरण/उन्नयन	2.8	21-23
कागज का क्रय	2.9	23-24
पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं आपूर्ति	2.10-2.12	24-26
विपणन एवं विक्रय निष्पादन	2.13	27-29
वित्तीय प्रबंधन	2.14	30-32
मानव–शक्ति	2.15	32
आन्तरिक नियंत्रण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा	2.16	32-33
निष्कर्ष		33
अनुशंसाएँ		34
अध्याय – III		
सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा		
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की विद्युत–शक्ति संचरण गतिविधि पर निष्पादन लेखापरीक्षा	**3**	**-**
कार्यकारी सारांश		
परिचय	3.1-3.2	37
बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	3.3	37-38
लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य पद्धति	3.4	38
लेखापरीक्षा उद्देश्य	3.5	38-39
लेखापरीक्षा मानदण्ड	3.6	39
संचरण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण	3.7	39-40
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3.8	40
योजना एवं विकास	3.9-3.10	40-43
संचरण तंत्र का परियोजना प्रबंधन	3.11-3.15	43-47
संचरण प्रणाली का निष्पादन	3.16-3.24	47-52
ग्रिड प्रबंधन	3.25-3.31	53-56
ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा	3.32	56-57
वित्तीय प्रबंधन	3.33-3.37	57-60
सामग्री प्रबंधन	3.38-3.41	60-61
अनुश्रवण एवं नियंत्रण	3.42-3.44	62-63
निष्कर्ष		63-64
अनुशंसाएँ		64

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
अध्याय – IV			
कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण			
सरकारी कम्पनियाँ			
बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड			
निष्फल व्यय		4.1	65-66
कर्मचारियों को अनियमित भुगतान		4.2	67
बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड			
ब्याज का परिहार्य भुगतान		4.3	68-70
सांविधिक निगम			
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
टी0डी0एस0 के मद में दावा नहीं प्रस्तुत करने से बोर्ड को हानि		4.4	70-71
सरकारी आवासीय भवनों में विद्युत की चोरी		4.5	72-74
राजस्व का कम संग्रहण		4.6	74-75
लोड के विस्तार में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि		4.7	75-77
उपभोक्ताओं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि		4.8	77-78
उपभोक्ता–श्रेणी का परिवर्तन नहीं होने से राजस्व की हानि		4.9	78-79
वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय		4.10	79-80
बोर्ड को हानि		4.11	81-82
सामान्य			
निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिक्रिया		4.12	82-83
परिशिष्ट			
1	31 मार्च 2012 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं मानव–शक्ति को दर्शानेवाली विवरणी	1.7	85-91
2	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष, जिसका लेखा सम्पूर्ण हो गया था, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.14 एवं 1.34	92-99

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण, प्राप्त/प्राप्त होने योग्य अनुदान एवं अर्थसाहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए का अधित्याग, ऋण जिसे बट्टे खाते में डाला गया एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2012 के अंत तक प्रतिभूति देयताओं को दर्शाने वाली विवरणी	1.10	100-101
4	सा0क्षे0उ0 जिनके लेखे बकाये में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी	1.23	102-104
5	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	1.14	105-107
6	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों की विवरणी	1.14	108-109
7	2011–12 की अवधि तक समाप्त हुए पाँच वर्षो में वोल्टेज–वार क्षमता में नियोजित वृद्धि, वास्तविक वृद्धि एवं कमी को दर्शाती विवरणी	3.10	110-111
8	भार विस्तार में विलम्ब के कारण राजस्व के हानि को दर्शाने वाली विवरणी	4.7	112
9	विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी	4.12	113
10	विभागवार प्रारूप कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाएँ जिनके उत्तर अप्राप्त हैं, को दर्शाती विवरणी	4.12	114
संकेताक्षरों की शब्दावली			115-116

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित सांवधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्ध रखता है तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्त्तो) अधिनियम, 1971, यथा समय–समय पर संशोधित धारा 19–क के अधीन बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

3. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जो सांविधिक निगमें हैं, के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुरूप बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदित सूची में से सनदी लेखाकारों को नियुक्त कर लेखापरीक्षा कराने के अतिरिक्त नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। बिहार राज्य भंडार निगम के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के एकमात्र लेखापरीक्षक है। इन निगमों के वार्षिक लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजे जातें है।

4. इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2011–12 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ–साथ वे जो पूर्व के वर्षो में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलत नही किये जा सके। 2011–12 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

5. इस प्रतिवेदन में सन्निहित सामग्रियों के मामले में लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप संचालित की गई हैं।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। 31 मार्च 2012, तक बिहार राज्य में 26 कार्यशील (22 कम्पनियाँ तथा चार सांविधिक निगम) एवं 40 अकार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमें 0.18 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार राज्य कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों ने 2011–12 में ₹ 7811.28 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत था। 30 सितम्बर 2012 तक अपनी अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार सा0क्षे0 उपक्रमों की कुल हानि ₹ 2619.35 करोड़ थी।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2012 को, 66 सा0क्षे0 उपक्रमों में ₹ 12,374.75 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था । 2011–12 में कुल निवेश का 79.52 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। 2011 – 12 में, सरकार ने ₹ 3587.11 करोड़ पूँजी, ऋण और अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए दिये।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

अद्यतन अन्तिमीकृत किए गए लेखाओं के अनुसार, 26 कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों में से 14 सा0क्षे0 उपक्रमों ने ₹ 149.70 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 10 सा0क्षे0 उपक्रमों को ₹ 2744.16 करोड़ की हानि हुई। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 75.45 करोड़) एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 37.89 करोड़) मुख्य थे। अधिक हानि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 2662.38 करोड़) ने वहन किये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा सा0क्षे0 उपक्रमों के कार्यकलापों में कई त्रुटियाँ पायी गयीं। सी0ए0जी0 की अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों ने, उनके वित्तीय प्रबन्धन, योजना एवं कार्यान्वन में त्रुटियाँ के कारण ₹ 2424.87 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 53.87 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा।

लेखाओं की गुणवत्ता

सा0क्षे0 उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2011–12 में सभी 21 कम्पनियों के लेखाओं को गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिले। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान नौ लेखे में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धित 25 उदाहरण पाए गए।

बकाया लेखे एवं समापन

30 सितम्बर 2012 तक 26 कार्यकारी सा0क्षे0 उपक्रमों में से 25 सा0क्षे0 उपक्रमों के 191 लेखे बकाया में थे। बकाया लेखाओं की अवधि एक से 22 वर्षों तक थी। यहाँ 40 अकार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमें थीं, जिनमें सात समापन की प्रक्रिया में थे।

(अध्याय–I)

2. सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

'बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखा परीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् हैं :

परिचय

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अप्रैल 1965 में राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुई। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु सभी भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करना, मुद्रण, विक्रय तथा आपूर्ति करना है।

मुद्रण प्रेस का आधुनिकीकरण

कम्पनी के पास वर्ष में 100.50 लाख पुस्तकें मुद्रण करने की संस्थापित क्षमता वाली मुद्रण प्रेस थी। प्रेस की क्षमता वर्ष–दर–वर्ष घटती गयी जिसके कारण थे (क) यंत्रों का पुराना होना, (ख) उचित अनुरक्षण का अभाव, (ग) जर्जर पुर्जों का बदला नहीं जाना, (घ) भारी खराबी, एवं (ड.) निम्न स्तरीय उत्पादन के कारण बाधित होकर चलना। मुद्रण प्रेस लगभग अक्रियाशील हो गया था तथा इसकी आधुनिकीकरण अथवा उन्नयन प्रक्रिया के जरिए पूर्णतः पुनरुत्थान करने की आवश्यकता थी। तथापि, प्रबन्धन अपने ढीला–ढाला प्रवृति के कारण आधिक्य निधि की उपलब्धता के बावजूद पुराने मुद्रण प्रेस को आधुनिक/उन्नत/बदलने हेतु कोई सुदृढ़ उपाय करने में असफल रहा। कम्पनी, इसके कारण, नवीन तकनीक के लाभ से वंचित रहा तथा उसे निजी मुद्रकों से पुस्तकों की मुद्रण करवानी पड़ी।

कागज का क्रय

कम्पनी द्वारा आवश्यक पाठ्य कागजों का क्रय किया जा रहा था एवं इसकी आपूर्ति निजी मुद्रकों को की जा रही थी। वर्ष 2010–12 के दौरान निविदा आमंत्रित किये बिना भारत सरकार के उपक्रम, हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच0पी0सी0एल0) से कागज प्राप्त किया गया। कम्पनी ने एच0पी0सी0एल0 के साथ न तो दर अनुबन्ध किया एवं न ही कागजों की क्रय तथा आपूर्ति हेतु अनुबन्ध किया। अनुबन्ध के अभाव में, कम्पनी 842 क्षतिग्रस्त रील कागजों को एच0पी0सी0एल0 द्वारा मरम्मत अथवा इसके बदलवाने में असफल रहा।

पुस्तकों की मुद्रण एवं आपूर्ति में विलम्ब

सर्व शिक्षा अभियान, जो एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा चलाया जाता है, के अन्तर्गत आपूर्ति आदेश के अनुसार कम्पनी पुस्तकों का मुद्रण तथा आपूर्ति पूर्ण नहीं कर पायी जिससे छात्र समय पर पुस्तक पाने की सुविधा से वंचित रहे। वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत पुस्तकों के मुद्रण हेतु निजी मुद्रकों को मुद्रण आदेशों को निर्गत करने में कम्पनी ने तीन माह से 12 माह का अत्यधिक समय लिया था। मुद्रकों को कार्य आदेश में उल्लेखित समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करनी थी। तथापि, वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान मुद्रकों द्वारा मुद्रण तथा सेट–मेकरों को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब का परास 36 से 170 दिनों के बीच था। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् ने वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण ₹ 3.13 करोड़ तथा वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान निम्न कोटि के पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के कारण ₹ 15.72 करोड़ की राशि की कटौती कर लिया। तथापि, कम्पनी दण्ड आरोपण हेतु मुद्रकों के साथ हुए अनुबन्ध के प्रावधानों का आह्वान करने में विफल रहा।

विपणन तथा विक्रय निष्पादन

कम्पनी ने सामान्य विक्रय के अन्तर्गत पुस्तकों के विक्रय हेतु कोई सुदृढ़ विपणन नीति प्रतिपादित नहीं किया था। सर्व शिक्षा अभियान तथा सामान्य विक्रय के अन्तर्गत अप्रचलित पुस्तकों का संचयन ₹ 9.07 करोड़ तक हो गया था।

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण था। कम्पनी में नकद/निधि प्रवाह विवरणी तैयार करने की प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। वर्ष 1998–99 से ही कम्पनी के

लेखे बकाये में थे। बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नहीं किया गया था। ऋण दाताओं एवं ऋणों तथा अग्रिमों के आवर्तन/उम्र–वार तथा दल–वार विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं थे। कम्पनी ने प्रावधानों के विरुद्ध एक सेट–मेकर को ₹ 2.39 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

यद्यपि कम्पनी का आधारभूत कार्य पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन करना था तथापि इसका अपना मुद्रण प्रेस लम्बे समय से अक्रियाशील था तथा निधि की उपलब्धता होने के बावजूद प्रेस को आधुनिक/उन्नत बनाने हेतु कोई प्रभावी उपाय नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप, कम्पनी को निजी मुद्रकों की सेवाओं का आश्रय लेना पड़ा। औपचारिक अनुबन्ध के अभाव में कम्पनी एच0पी0सी0एल0 से क्षतिग्रस्त कागजों का मूल्य वसूलने में विफल रहा। बि0शि0प0प0 को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करने में विलम्ब हुआ जिसके कारण कम्पनी को दण्ड का भुगतान करना पड़ा। त्रुटिपूर्ण विपणन नीति एवं नियोजन के कारण अप्रचलित पुस्तकों का भारी संचयन हो गया था। कम्पनी में विद्यमान आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण था।

हमने छः अनुशंसाएँ की हैं जिनमें, मुद्रण प्रेस के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करने हेतु कम्पनी द्वारा प्रभावी अनुसरण ताकि पाठ्य पुस्तकों की मुद्रण तथा आपूर्ति हेतु निजी मुद्रकों पर निर्भरता को टाला जा सके; मुद्रित होने तथा आपूर्ति होने वाली पुस्तकों की मात्रा के आकलन की नियोजन में सुधार हो जिससे शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से पहले मुद्रण तथा वितरण हेतु समय सीमा का अनुपालन हो; पुस्तकों की विक्रय हेतु प्रभावी विपणन नीति प्रतिपादित हो, पाठ्य पुस्तकों की निम्न गुणवत्ता/विलम्ब से आपूर्ति के कारण दोषी मुद्रकों/सेट–मेकर से दण्ड वसूलने का प्रयास किया जाय; संविदा के प्रावधानों के अनुसार सेवा कर की वसूली हो तथा वित्तीय तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ हो, सम्मिलित हैं।

(अध्याय-II)

3. सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

'बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की विद्युत–शक्ति संचरण गतिविधि पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् है:

परिचय

बिहार में विद्युत संचरण एवं ग्रिड परिचालन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित होता है। 31 मार्च 2007 को बोर्ड के पास 5559.05 सर्किट किलोमीटर (सी0के0एम0) एवं 67 अति उच्च विभव (ई0एच0टी0) सब–स्टेशन (एस0एस0) का संचरण नेटवर्क था जो कि 31 मार्च 2012 तक बढ़कर 6400 सी0के0एम0 एवं 7078 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम0भी0ए0) के स्थापित क्षमता के साथ 86 एस0एस0 हो गया। संचारित उर्जा की मात्रा जो 2007–08 में 7371.44 मिलियन युनिट (एम0यू0) था, बढ़कर 2011–12 में 10799.30 एम0यू0 हो गया। बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा संचरण गतिविधियों में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभाविता के निर्धारण के लिए की गई।

योजना एवं विकास

निष्पादन लेखापरीक्षा में ली गई अवधि में बोर्ड ने कोई राज्य विद्युत योजना (एस0ई0पी0) नहीं बनायी। साथ ही बिहार में संचरण तंत्र को बढ़ाने/सुदृढ़ करने हेतु बोर्ड द्वारा कोई भी वर्षवार अल्प अवधि योजना नही बनाई गई थी। यद्यपि, बिहार में संचरण तंत्र को मजबूत करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी0जी0सी0आई0एल0) के द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) बोर्ड के लिए बनाया गया था। आगे, बोर्ड ने भी उपर्युक्त अवधि में पाँच एस0एस0 एवं पाँच संचरण लाइन बनाने का निर्णय लिया था।

क्षमता विस्तार

एस0एस0 एवं लाइन की क्षमता बढ़ाने का कार्य अपने लक्ष्यों को नहीं पा सका क्योंकि पाँच वर्षों की अवधि में 30 एस0एस0 एवं 2202.30 सी0के0एम0 के ई0एच0टी0 लाईन लक्ष्य के विरुद्ध केवल 19 एस0एस0 एवं 841.16 सी0के0एम0 लाइनों का ही निर्माण हो सका। उक्त कमी परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण हुई।

परियोजना प्रबंधन

बोर्ड अपनी परियोजनाओं को समयानुसार पूर्ण नही कर सका। 2007–12 की अवधि में हमने चार से 78 महीनों की समयवृद्धि तथा ₹ 2.71 करोड़ की लागत वृद्धि के उदाहरण देखे। निविदा अंतिमीकरण में विलम्ब, रेलवे से अनुमोदन लेने में विलम्ब, आरेखन एवं प्रारूपों के अनुमोदन में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण मे विलम्ब इत्यादि लक्षित बढ़ोतरी की उपलब्धि में कमी के कारण थे

परिचालन एवं रख–रखाव

कुल संचरण क्षमता प्रत्येक वर्ष में आवश्यकता से अधिक थी। बोर्ड, उच्चतम एवं न्यूनतम वोल्टेज को मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने में विफल रहा। पटना मण्डल के 38 फीडरों में से आठ फीडर 366 एम्पीयर से अधिक भारित थे। आठ 220 किलो वोल्ट एस0एस0 (तीन एकल बस बार एस0एस0 एवं पाँच दोहरे बस बार एस0एस0) में से केवल चार एस0एस0 में ही बस बार सुरक्षा पैनल (बी0बी0पी0पी0) दिया गया था।

रख–रखाव

शक्ति ट्रान्सफॉर्मरों का निष्पादन

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में खराब हुए कुल 16 ट्रान्सफॉर्मरों में से दो में स्थापित सुरक्षा पद्धति के असफल होने के कारण आग लग गई एवं वे जल गए, चार ट्रान्सफॉर्मर उनके बुकहोल्ज और डिफरेंशियल रिले की विफलता के कारण खराब हो गए, दो वांइडिग की विफलता के कारण खराब हो गए, तथा शेष आठ आंतरिक गड़बड़ी के कारण खराब हुए, जिन्हें सावधिक जाँच एवं उचित रख–रखाव से टाला जा सकता था।

संचरण हानियाँ

संचरण हानियाँ 513 प्रतिशत एवं 975 प्रतिशत के बीच थी और 2011–12 तक के सभी पाँच वर्षों में सी0ई0ए0 एवं बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत के मानक से अधिक थीं। 2007–08 से 2011–12 की अवधि में बोर्ड द्वारा मानकों से अधिक वहन की

गई संचरण हानियाँ 1830.29 एम0यू0 थीं जिनका मूल्य ₹ 710.40 करोड़ था। सब–स्टेशन ट्रान्सफॉर्मरों द्वारा उपभोग की गई उर्जा का लेखांकन नहीं होना एवं पुराने ऊर्जा ट्रान्सफॉर्मरों द्वारा अत्याधिक रूपांतरण हानि, अधिक संचरण हानि के कारणों में सम्मिलित थे।

ग्रिड प्रबंधन

जून 2012 तक 86 सब–स्टेशनों एवं एक जेनेरेटर में से केवल आठ में (9.3 प्रतिशत) रिमोट टर्मिनल युनिट उपयोग होता हुआ पाया गया। साथ ही, 2007–12 में बोर्ड को पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र से 135 (अ प्रकार), 71 (ब प्रकार) एवं 79 (स प्रकार) के ग्रिड मानकों के उल्लंघन के संदेश प्राप्त हुए।

वित्तीय प्रबंधन

हमने पाया कि बोर्ड, टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं की संविदा मांग को बढ़ाने में विफल रहा जिसके कारण अल्प विपत्रीकरण हुआ और ₹ 11.67 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

आगे, बोर्ड ने उपभोक्ता से अनुबन्ध करने की प्रक्रिया में विलम्ब किया जिससे बोर्ड ₹ 8.08 करोड़ के राजस्व को प्राप्त करने से वंचित रह गया।

सामग्री प्रबंधन

बोर्ड के पास बड़ी मात्रा में अंतशेष स्टॉक था जो यह इंगित करता है कि बोर्ड की क्रय नीति दोषपूर्ण थी। 2007–08 से 2011–12 की अवधि में प्रतिमाह उपभोग के संदर्भ में अंतशेष स्टॉक 19 से 59 महीनों के लिए था।

भण्डार में स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं होना

भंडारों का भौतिक सत्यापन (पी0भी0) प्रत्येक वर्ष नहीं हो रहा था और यह केवल 2007–08 एवं 2011–12 में हुआ था। आगे, बोर्ड पर्यवेक्षण प्रतिवेदनों के आयोजन एवं स्क्रैप/अप्रचलित सामग्रियों को बेचने हेतु कोई प्रयास नहीं किया, जिससे राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी।

अनुश्रवण एवं नियंत्रण

एस0एस0 के परिचालन के अनुश्रवण के लिए लागू की गई प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) अपूर्ण थी। बोर्ड केबल को हटवाने के लिए निविदा को ससमय अन्तिमीकरण करने में विफल रहा और केबल की चोरी/क्षति और सुरक्षा के कारण उसे ₹ 1.50 करोड़ की हानि हुई।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

बोर्ड ने बिहार में संचरण तंत्र में वृद्धि/सुदृढ़ीकरण के लिए कोई वर्षवार योजना नहीं बनाई। संचरण तंत्र का परिचालन दक्षपूर्ण एवं प्रभावी नहीं था, जिसके कारण बोर्ड की संचरण हानि मानकों से अधिक थी, एस0एस0 का भोल्टेज स्तर तयसीमा के अन्दर नहीं रखा जा सका, फीडरों पर भार थर्मल भार सीमा से ज्यादा पाया गया था। बोर्ड की आपदा प्रबंधन सुविधाएँ अप्रर्याप्त थीं। बोर्ड का उर्जा लेखांकन प्रभावशाली नहीं था क्योंकि हानियों की उच्च प्रतिशतता तथा नकारात्मक हानियाँ पाई गई थीं। बोर्ड द्वारा उर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। अंतशेष स्टॉक की भारी मात्रा ने यह इंगित किया कि बोर्ड की क्रय नीति दोषपूर्ण थी। बोर्ड द्वारा स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और सर्वेक्षण करवाने एवं स्क्रैप/अप्रचलित सामग्रियों को बेचने हेतु कोई प्रयास नही किया। बोर्ड की अनुश्रवण तंत्र प्रभावशाली नहीं था जिसके कारण संचरण लाइन अनेक बार बंद हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा सात अनुशंसाएँ की गई हैं जिनमें अल्प अवधि और परिप्रेक्ष्य योजना का निर्माण, निर्माण कार्य में देरी को टालने हेतु टास्क फोर्स की अनुशंसाओं पर अमल, संचरण तंत्र का मानकों के अनुरूप परिचालन, संचरण हानि को कम करने हेतु प्रभावशाली उपायों को लागू करना, समुचित आपदा प्रबंधन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्रय संभाग एवं अनुश्रवण क्रियाकलापों में सुधार सम्मिलित हैं।

(अध्याय-III)

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबन्धन की त्रुटियाँ, जिनके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ हुईं, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं :

नियमों, दिशा–निर्देशों, प्रक्रियायों, संविदाओं के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन नहीं होने से सात मामलों में ₹ 29.04 करोड़ की हानि/वसूल नहीं होना।

(कंडिका 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, एवं 4.11)

संगठन की वित्तीय हितों की रक्षा नहीं करने से एक मामले में ₹ 0.47 करोड़ की हानि।

(कंडिका 4.10)

अपर्याप्त/त्रुटीपूर्ण अनुश्रवण प्रणाली के कारण तीन मामलों में ₹ 16.47 करोड़ की हानि।

(कंडिका 4.3, 4.4 एवं 4.7)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं का सारांश निम्न प्रकार है:

बी0ई0आर0सी0 की दिशा–निर्देशों के अनुपालन नहीं करने से **बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड** ने ₹ 29.62 लाख का निष्फल व्यय किया एवं ₹ 4.72 करोड़ की राजस्व की हानि वहन की।

(कंडिका 4.1)

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं **बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड** में कर दायित्व के समुचित निर्धारण की प्रणाली के अभाव के कारण अग्रिम आयकर का अल्प भुगतान हुआ जो ₹ 1.39 करोड़ के ब्याज के परिहार्य भुगतान में परिणत हुआ।

(कंडिका 4.3)

टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र की प्राप्ति एवं टी0डी0एस0 वापसी हेतु दावा प्रस्तुत करने में **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड** की विफलता के फलस्वरूप **बोर्ड** को ₹ 12.87 करोड़ की हानि।

(कंडिका 4.4)

उपभोक्ताओं के आवासों में चालू मीटर प्रतिस्थापन एवं अनधिकृत विद्युत प्रयोग को ज्ञात करने हेतु उपभोक्ताओं के आवासों की निरीक्षण में **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड** की विफलता के फलस्वरूप ₹ 17.40 करोड़ के राजस्व की हानि।

(कंडिका 4.5)

लोड के विस्तार में **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड** द्वारा अत्यधिक विलम्ब के कारण ₹ 2.21 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.7)

(अध्याय – IV)

अध्याय - I

1.राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

अध्याय – I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सा0क्षे0उ0 की स्थापना, व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए, की जाती हैं। सितम्बर 2012 तक अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, बिहार में राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने 2011–12 में ₹ 7,811.28 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त वर्ष 2011–12 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) का 2.98 प्रतिशत था। बिहार राज्य की सा0क्षे0उ0 की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत एवं वित्त क्षेत्र में केन्द्रित हैं। उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने 2011–12 के लिये कुल ₹ 2,619.35 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2012 को उन्होनें 0.18 लाख[1] कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था।

1.2 निम्न विवरणानुसार 31 मार्च 2012 को कुल 66 सा0क्षे0उ0 में कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

सा0क्षे0उ0 का प्रकार	कार्यशील सा0क्षे0उ0	अकार्यशील सा0क्षे0उ0[2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[3]	22	40	62
सांविधिक निगमें	4	–	4
योग	26	40	66

1.3 उपरोक्त 22 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में एक कम्पनी, बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड सम्मिलित है, जिसका समामेलन 26 जुलाई 2010 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन हुआ था।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी प्रदत्त अंशपूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों, द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती है (मानित सरकारी कम्पनी)।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की

[1] 23 सा0क्षे0उ0 के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।
[2] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वो हैं जिन्होंने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।
[3] 619–बी कम्पनियाँ सहित।

अनुपूरक लेखापरीक्षा भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित होती है। चार सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0प0नि0) हेतु सी0ए0जी0 एकल लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भंडार निगम (बि0रा0भ0नि0) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि0रा0वि0नि0) की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों एवं सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

1.7 31 मार्च 2012 को, राज्य सा0क्षे0उ0 (मानित सरकारी कम्पनियाँ सहित) में ₹ 12,374.75 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण निम्नवत् है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

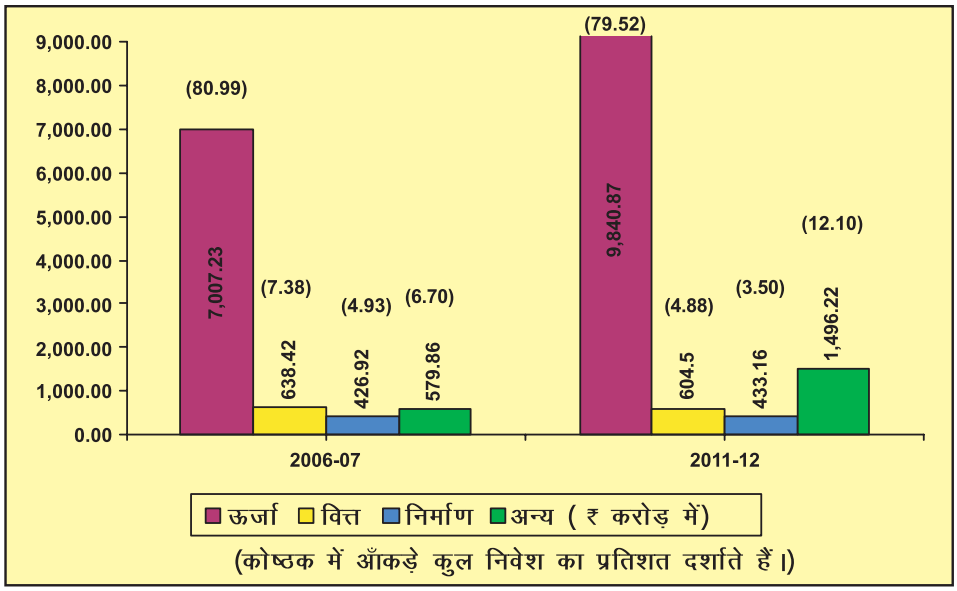
सा0क्षे0उ0 के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुलयोग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील सा0क्षे0उ0	264.14	991.28	1,255.42	185.53	10,201.85	10,387.38	11,642.80
अकार्यशील सा0क्षे0उ0	183.97	547.98	731.95	-	-	-	731.95
योग	**448.11**	**1,539.26**	**1,987.37**	**185.53**	**10,201.85**	**10,387.38**	**12,374.75**

राज्य सा0क्षे0उ0 में सरकारी निवेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण ***परिशिष्ट–1*** में दिया गया है।

1.8 31 मार्च 2012 तक राजकीय सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश का 94.09 प्रतिशत कार्यशील सा0क्षे0उ0 में तथा शेष 5.91 प्रतिशत अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में था। इस कुल निवेश का 5.12 प्रतिशत अंश पूँजी के लिये तथा 94.88 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। यह निवेश 2006–07 के ₹ 8,652.43 करोड़ से 43.02 प्रतिशत बढ़कर 2011–12 में ₹ 12,374.75 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे आलेख में प्रदर्शित है :



1.9 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2012 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में दी गयी है। विगत छः वर्षों में सा0क्षे0उ0 में निवेश का मुख्य प्रतिबल ऊर्जा क्षेत्र में था, जो राज्य सरकार/केंद्र सरकार/अन्य, द्वारा दिये गये ऋण के कारण 2006–07 के ₹ 7,007.23 करोड़ से 40.44 प्रतिशत से बढकर 2011–12 में ₹ 9,840.87 करोड़ हो गया। तथापि 2006–07 की तुलना में 2011–12 में अन्य क्षेत्रों में निवेश में 158.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्माण क्षेत्र के निवेश में भी आंशिक वृद्धि हुई।



बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/अर्थसाहाय्य प्रत्याभूति एवं ऋण

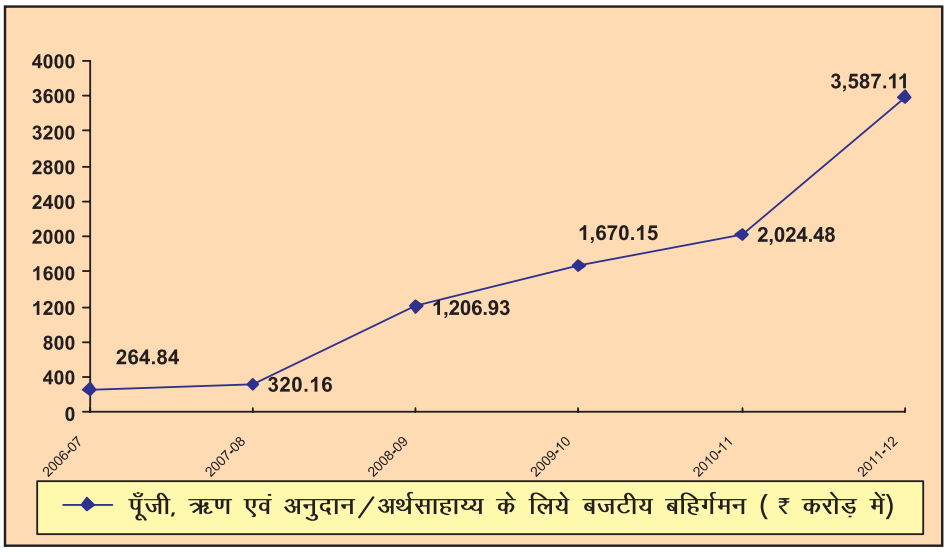
1.10 राज्य सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध में पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थसाहाय्य निर्गत प्रत्याभूतियाँ, अपलिखित ऋणों, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन और ब्याज की माफी में बजटीय बहिर्गमन का विवरण ***परिशिष्ट–3*** में दिया गया है। 2011–12 को समाप्त हुए तीन वर्षों का सारांशीकृत विवरण नीचे दिया गया है :-

(राशिः ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	3	26.00	3	41.29	2	2.00
2.	बजट से दिये गये ऋण	3	770.36	3	879.69	4	1,464.87
3.	प्राप्त अनुदान/अर्थसाहाय्य	3	873.79	3	1,103.50	1	2,120.24
4.	कुल बहिर्गमन[4]	8	1,670.15	7	2,024.48	6	3,587.11
5.	अपलिखित ब्याज/दांडिक ब्याज	1	0.12	-	-	-	-
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	-	-	1	194.58	-	-
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	1	44.15	1	31.85	1	3.47

[4] वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन, अंशों, ऋणों, एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के रुप में कम्पनियों (वास्तविक संख्या) को दिये गये बजटीय समर्थन को दर्शाता है।

1.11 पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है :-



राज्य सरकार द्वारा, अंश पूँजी, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्य के रूप में 2006–07 से 2011–12 के वर्षों में बजटीय समर्थन के विविधतापूर्ण रुख को दर्शाता है। बजटीय समर्थन 2007–08 के ₹ 320.16 करोड़ से बढ़कर 2011–12 में ₹ 3,587.11 करोड़ हो गया। वर्ष 2011–12 की अवधि में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने राज्य सरकार से कुल ₹ 2,120.24 करोड़ (कुल बजटीय समर्थन का 59.11 प्रतिशत) का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया। वर्ष के अंत में, चार[5] सा0क्षे0उ0 के विरुद्ध ऋणों की प्रत्याभूतियों के सम्बन्ध में कुल ₹ 249.58 करोड़ बकाया था। बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा बिहार सरकार को वर्ष 1982–83 से ही प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 8.87 लाख देय थे।

वित्तीय लेखाओं के साथ समाशोधन

1.12 राज्य सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा0क्षे0उ0 एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाशोधन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2012 की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त[6] लेखाओं के अनुसार राशि	सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	420.83	527.20	106.37
ऋण	15,502.99	10,958.28	4,544.71
प्रत्याभूतियाँ	890.07	249.58	640.49

1.13 प्रधान महालेखाकार द्वारा जाँचोपरांत समाशोधन के विषय को राज्य के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2011) जिसपर अद्यतन स्मारपत्र दिसम्बर 2012 में प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को भेजा गया।

5 बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

6 ये सूचनाएँ उन 39 सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध मे हैं जिनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखाओं मे किया गया है।

तथापि, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तथा सा0क्षे0उ0 को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

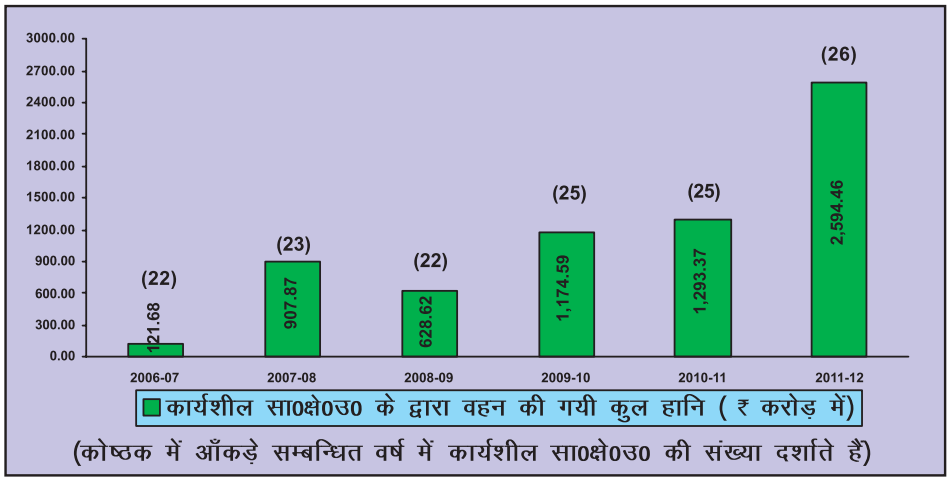
1.14 सभी सा0क्षे0उ0 के वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट–2*** में वर्णित हैं। सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम ***परिशिष्ट–5*** एवं ***6*** में क्रमशः वर्णित हैं। सा0क्षे0उ0 के आवर्त्त तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों की अल्प भूमिका दर्शाता है। नीचे दी गयी सारणी में 2006–07 से 2011–12 की अवधि में कार्यशील सा0क्षे0उ0 का आवर्त्त तथा राज्य के जी0डी0पी0 का विवरण दिया गया है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आवर्त्त[7]	1,337.29	1,587.96	1,996.59	2,508.83	4,031.46	7,811.28
राज्य का जी0डी0पी0[8]	1,03,517	1,18,923	1,51,650	1,77,537	2,17,814	2,62,230
राज्य के जी0डी0पी0 से आवर्त का प्रतिशत	1.29	1.34	1.32	1.41	1.85	2.98

राज्य जी0डी0पी0 से सा0क्षे0उ0 के आवर्त्त का अनुपात 2006–07 से 2009–10 की अवधि में 1.29 प्रतिशत एवं 1.41 प्रतिशत के बीच स्थिर रहा एवं वर्ष 2009–10 के 1.41 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2011–12 की अवधि में 2.98 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण वर्ष 2011–12 की अवधि में सात[9] सा0क्षे0उ0 के आवर्त्त में हुई वृद्धि थी।

1.15 2006–07 से 2011–12 की अवधि में कार्यशील सा0क्षे0उ0 के द्वारा वहन की गयी हानि नीचे बार चार्ट में दी गयी है :



अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 26 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 14 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 149.70 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 10 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 2,744.16 करोड़ की हानि वहन की। शेष दो सा0क्षे0उ0 में, एक कम्पनी ने अपने प्रथम लेखे समर्पित किया

7 आवर्त्त 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

8 राज्य जी0डी0पी0 के आँकडे वर्त्तमान मूल्यों पर, 2009–10 (औपबन्धिक), 2010–11 (त्वरित अनुमान) एवं 2011–12 (अग्रिम अनुमान)।

9 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, सात सा0क्षे0उ0 यथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य भंड़ार निगम।

जिसमें केवल परिचालन पूर्व व्यय शामिल था एवं अन्य सा0क्षे0उ0[10] ने अभी तक (नवम्बर 2012) अपनी प्रथम लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया था। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 75.45 करोड़) एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 37.89 करोड़) मुख्य थे। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार उपर्युक्त में भारी हानि वहन करने वाला बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 2662.38 करोड़) सम्मिलित है।

1.15.1 सा0क्षे0उ0 की हानियों के कारण मुख्यतः उनके वित्तीय प्रबन्धन, नियोजन, गतिविधियों के कार्यान्वयन, परिचालन एवं अनुश्रवण में त्रुटियाँ थे। सी0ए0जी0 के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा0क्षे0उ0 ने ₹ 2,594.46 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 21.48 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण नीचे दिए गए हैं :

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	योग
शुद्ध हानि	1,174.59	1,293.43	2,594.46	5,062.48
सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानियाँ	33.21	1,539.24	852.42	2,424.87
निष्फलित निवेश	3.45	28.94	21.48	53.87

1.16 सी0ए0जी0 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित उपर्युक्त हानियाँ सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं। वास्तविक नियन्त्रणीय हानियाँ इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। उपर्युक्त सारणी सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों में कारगर प्रबन्धन तथा नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता इंगित करती है।

1.17 राज्य के सा0क्षे0उ0 से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड निम्नांकित हैं:-

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	17.68	शून्य	7.44	शून्य	शून्य	शून्य[11]
ऋण	8,012.25	8,152.92	8,614.53	9,037.60	10,240.33	11,741.11
आवर्त्त[12]	1,337.29	1,587.96	1,996.59	2,508.83	4,031.46	7,811.28
ऋण/आवर्त्त अनुपात[13]	5.99:1	5.13:1	4.33:1	3.60:1	2.54:1	1.50:1
ब्याज का भुगतान	613.25	924.16	918.70	991.72	1,243.70	1,573.88
संचित हानियाँ	1,686.94	2,956.74	3,593.15	4,617.88	7,212.86	9,819.49

(उपरोक्त आँकड़े आवर्त्त को छोडकर, जो कार्यशील सा0क्षे0उ0 का है, समस्त सा0क्षे0उ0 के हैं)

1.18 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, सभी सा0क्षे0उ0 में नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ 2006–07 के 17.68 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 15.79 प्रतिशत हो गया। तथापि आवर्त्त में वृद्धि के कारण ऋण/आवर्त्त अनुपात में सुधार होकर 2006–07 के 5.99:1 से 2011–12 में 1.50:1 हो गया।

1.19 राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी, जिसके अन्तर्गत सभी सा0क्षे0उ0 को न्यूनतम लाभांश देना हो। 14 सा0क्षे0उ0 ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत

10 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

11 शून्य नियोजित पूँजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ इंगित करता है।

12 कार्यशील सा0क्षे0उ0 का आवर्त्त, उनके द्वारा 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

13 ऋण/ आवर्त्त अनुपात, ऋण का आवर्त्त से विभाजन को दर्शाता है।

लेखाओं के अनुसार ₹ 149.70 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 14 सा0क्षे0उ0 में से मात्र तीन कम्पनियाँ यथा, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड ने कुल ₹ 3.52 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

1.20 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। नीचे दी गयी सारणी कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा सितम्बर 2012 तक लेखाओं के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

क्रम संख्या	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या	22	23	25	25	26
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं की संख्या	13	15	17	34	23[14]
3.	बकाए लेखाओं की संख्या	197	205	213	186	191[15]
4.	प्रति सा0क्षे0उ0 का औसत बकाया (3/1)	8-95	8-91	8-52	7-44	7-35
5.	बकाए लेखाओं वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या	22	23	25	23	25
6.	बकाए लेखाओं की सीमा (वर्ष)	1 से 19	1 से 20	1 से 21	1 से 21	1 से 22

1.21 30 सितम्बर 2012 को 26 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से 25 सा0क्षे0उ0 के 191 लेखे बकाया थे। 25 कार्यशील सरकारी कम्पनियों के लेखे एक से 22 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। सा0क्षे0उ0 के बकाये का औसत 2007–08 के 8.95 प्रति सा0क्षे0उ0 से आंशिक रूप से घटकर 2011–12 में 7.35 प्रति सा0क्षे0उ0 हो गया था। लेखाओं के बकाये के कारण, लेखाओं की तैयारी/प्रमाणीकरण एवं वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब तथा मानव संसाधन की कमी थे।

1.22 उपरोक्त के अतिरिक्त, अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखाओं का अंतिमीकरण भी बकाए में थे। 31 मार्च 2012 तक 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से सात समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 33 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाए लेखाओं की सीमा 16 से 35 वर्षो तक था।

1.23 जैसा कि ***परिशिष्ट–4*** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 27 सा0क्षे0उ0 में ₹ 2,353.47 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 97.72 करोड़, ऋण : ₹ 1,900.57 करोड़, अनुदान : ₹ 91.76 करोड़ तथा अन्य : ₹ 263.42 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनकी लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। अन्तिमीकृत लेखाओं तथा उनकी लेखापरीक्षा

14 उक्त आँकडों में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2010–11 के दो अन्तिमीकृत लेखे, जो 30 सितम्बर 2011 को बकाए में नहीं दर्शाए गए थे, सम्मिलित हैं।

15 बिहार एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बकाये को, इसके गैरसरकारी कम्पनी में परिवर्तित हो जाने के कारण, बकाये में सम्मिलित नहीं किया गया है।

के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित तरीके से किया गया था तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ अथवा नहीं। इस प्रकार सा0क्षे0उ0 में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका की जाँच से वंचित रहा। साथ ही लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब का परिणाम कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम भी हो सकता है।

1.24 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करे तथा यह सुनिश्चित करे कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये गए हैं। प्रधान महालेखाकार द्वारा बकाया लेखाओं की स्थिति की सूचना सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों एवं सरकार के अधिकारियों को दी गई (अक्टूबर 2012)। इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन सा0क्षे0उ0 के नेट वर्थ का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं हो सका।

1.25 उपरोक्त बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को लेखाओं के बकाये के शीघ्र समापन एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समय पर लेखाओं के अन्तिमीकरण हेतु प्रयास करना चाहिये।

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

1.26 31 मार्च 2012 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (कम्पनियाँ) थीं । इनमें से 31 मार्च 2012 को सात सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया के अंतर्गत थे। अकार्यशील सा0क्षे0उ0 को बन्द करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके अस्तित्व में बने रहने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है। 2011–12 की अवधि में एक[16] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 ने वेतन, मजदूरी, स्थापना व्यय इत्यादि पर ₹ 0.12 करोड़ का व्यय किया।

1.27 31 मार्च 2012 को अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं :

क्रम संख्या	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें	योग
1.	अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या	40	–	40
2.	उपरोक्त (1) में से:			
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	3[17]	–	3
(ब)	बन्द, अर्थात् बन्द करने के आदेश/निर्देश निर्गत परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	4[18]	–	4

1.28 वर्ष 2011–12 के दौरान किसी सा0क्षे0उ0 का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 12 वर्षों के अधिक समय से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसका धारण/अनुसरण सशक्त होना चाहिए। यह

16 बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड।

17 कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड।

18 बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड।

अनुशंसा की जाती है कि, सरकार को, शेष 33 अकार्यशील सा0क्षे0उ0, जिनके अकार्यशील होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.29 वर्ष 2011–12[19] में 12 कार्यशील कम्पनियों ने अपने 21 लेखाओं को प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से नौ कम्पनियों के 12 लेखे अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु चयनित किये गये। सी0ए0जी0 के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सी0ए0जी0 की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रख–रखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभावों के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	1.71	4	5.59	6	64.86
2.	हानि में वृद्धि	10	16.63	9	17.17	4	17.19
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	0.15	शून्य	शून्य	1	3.71

1.30 वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त सभी 21 लेखाओं पर गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों के अनुपालन पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वर्ष के दौरान नौ[20] लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 25 मामले पाये गये।

1.31 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, कम्पनियों के लेखे के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं :

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2010–11)

लेखांकन मानक – 9 के प्रावधान के विपरीत राज्य सरकार से प्राप्त कोष पर अर्जित ब्याज को कम्पनी के आय के रूप में सम्मिलित करने के फलस्वरूप ₹ 10.84 करोड़ से दायित्वों का अंतःप्रर्दशन एवं आय व लाभ का अधिप्रर्दशन हुआ।

19 अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 तक।

20 बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (2010–11), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (2008–09),(2009–10) एवं (2010–11), बिहार राज्य जल विद्युत–षक्ति निगम लिमिटेड (1997–98),(1998–99) एवं (1999–2000), बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (2004–05) एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2010–11)।

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (2010–11)

विशिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त कोष के जमा पर अर्जित ब्याज को कम्पनी के आय में सम्मिलित करने के फलस्वरूप ₹ 33.88 करोड़ से चालू दायित्वों का अंतःप्रदर्शन एवं आय तथा लाभ का अधिप्रदर्शन हुआ।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (2009–10)

स्टेजिंग एवं शटरिंग में हुए ह्रास को प्रभारित नहीं/अंतःभारित किए जाने के फलस्वरूप ₹ 6.76 करोड़ से ह्रास का अंतःप्रदर्शन एवं लाभ का अधिप्रदर्शन हुआ।

बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड (1998–99)

विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध लम्बी अवधि से समायोजन हेतु लंबित अग्रिम का लेखे में प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 7.82 करोड़ से ऋणों एवं अग्रिमों का अधिप्रदर्शन एवं हानि एवं प्रावधानों का अंतःप्रदर्शन हुआ।

1.32 इसी प्रकार, 2011–12 के दौरान दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने अपने दो लेखे प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया। बिहार राज्य वित्तीय निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लेखे लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखाओं के संधारण की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभाव की विवरणी नीचे दी गयी है :-

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	1.74	2	17.34	1	0.33
2.	हानि में वृद्धि	2	3,475.34	2	9,267.22	1	1,888.94
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	7.08	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	1	2.47	1	7.85	शून्य	शून्य

1.33 सांविधिक निगमों के लेखे, जो वर्ष 2011–12 के दौरान अन्तिमीकृत किये गये, पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत् हैं :

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (2011–12)

- खपत के रूप में 68263.56 एम0टी0 कोयले की कमी को भारित नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 18.79 करोड़ से स्टॉकों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का अंतःप्रदर्शन हुआ।

- वर्ष 2006–07 से विलम्बित भुगतान अधिभार का लेखा उपार्जित आधार पर एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 2,771.06 करोड़ से देनदारों का अंतःप्रदर्शन, ₹ 1,221.80 करोड़ से प्रावधानों का अंतःप्रदर्शन एवं ₹ 1,549.26 करोड़ से हानि का अधिप्रदर्शन हुआ।

- वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 से सम्बन्धित स्रोत पर अग्रिम कर की कटौती की ₹ 12.87 करोड़ की राशि के काल बाधित दावे का प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 12.87 करोड़ से ऋणों एवं अग्रिमों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का अंतःप्रदर्शन हुआ।

- वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में सूखा प्रभावित गाँवों में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति के कारण बोर्ड को हुई हानि के विरुद्ध कृषि विभाग, बिहार सरकार से ₹ 382.82 करोड़ प्राप्य अर्थसाहाय्य को लेखा में नहीं लिए जाने के फलस्वरूप ₹ 382.82 करोड़ से राज्य सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य का अंतःप्रदर्शन एवं हानि का अधिप्रदर्शन हुआ।

- पटना नगर निगम द्वारा होल्डिंग कर के रूप में बोर्ड से दावा किए गए ₹ 307.20 करोड़ के चालू दायित्व की राशि का प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 307.20 करोड़ से चालू दायित्वों एवं हानि का अंतःप्रदर्शन हुआ।

बिहार राज्य वित्तीय निगम (2010–11)

मार्च 2011 में माफ कर दिए गए प्राप्य किराये का लेखांकन नहीं होने के फलस्वरूप, ₹ 0.25 करोड़ से प्राप्य किराये एवं लाभ का अधिप्रदर्शन हुआ।

1.34 सांविधिक अंकेक्षकों (सनदी लेखाकारों) को सी0ए0जी0 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत, उनके द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली, आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान करनी होती है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा 2010–11 में 10 कम्पनियों[21] तथा 2011–12 में 12 कम्पनियों[22] के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमें अनुशंसाएँ की गयीं	*परिशिष्ट–2* में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	पुर्जे एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिक सीमा तय न करना	06	अ–3, अ–8, अ–9, अ–12, अ–17, स–17.
2.	कम्पनी के प्रकृति एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का अभाव	11	अ–3, अ–6, अ–8, अ–9, अ–11, अ–12, अ–16, अ–17, अ–18, अ–20, स–17.
3.	परिमाणात्मक विवरण, अवस्थिति, पहचान संख्या, क्रय की तिथि, अचल सम्पत्तियों के ह्रासित मूल्य सहित अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना।	10	अ–3, अ–4, अ–6, अ–8, अ–9, अ–11, अ–16, अ–17, अ–20, स–17.

[21] ***परिशिष्ट–2***, के अनुसार क्रम संख्या अ–3, अ–4, अ–8, अ–9, अ–11, अ–12, अ–13, अ–14, अ–17 एवं अ–18।

[22] ***परिशिष्ट–2***, के अनुसार क्रम संख्या अ–3, अ–4, अ–6, अ–8, अ–9, अ–11, अ–12, अ–16, अ–17, अ–18, अ–20 एवं स–17।

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.35 2011–12 के दौरान औचित्य लेखापरीक्षा में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 4.82 करोड़ रुपये की वसूली के मामले इंगित किए गए थे, जिनमें से ₹ 2.71 करोड़ के मामले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्वीकार किये गये। वर्ष 2011–12 में, ₹ 2.54 करोड़ की राशि, जो 2010–11 से पहले की अवधि से सम्बन्धित थे, की वसूली की गयी।

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.36 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखे पर सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ0ले0प0प्र0) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती है।

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका में प्रस्तुत की गई	वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गई		
			पृ0ले0प0प्र0का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	पृ0ले0प0प्र0को विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2005-06	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	26 मई 2009 15 अप्रैल 2010 29 अप्रैल 2011 26 सितम्बर 2011 01 मार्च 2012	प्रतिवेदन को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने का कारण, सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।
2.	बिहार राज्य भंडार निगम	2007-08	2008-09	28 फरवरी 2011	
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2009-10	2010-11	24 सितम्बर 2012	
4.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973-74	1974-75 से 2002-03 (29) विवरण 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03	 9 जून 1997 2 सितम्बर 1998 2 सितम्बर 1998 2 दिसम्बर 1998 18 अप्रैल 2000 19 मार्च 2004 19 अक्टूबर 2004 12 अप्रैल 2005 07 अक्टूबर 2005 24 सितम्बर 2007 26 अक्टूबर 2007 25 जनवरी 2010	

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर वैधानिक नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगम की जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। सरकार को पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये। पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने में विलम्ब के विषय को सी0ए0जी0 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के ध्यान में भी दिसम्बर 2010 में लाया गया। बिहार राज्य पथ

परिवहन निगम के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में कोई सुधार नहीं आया। प्रधान महालेखाकार द्वारा इस विषय को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, के ध्यान में (मई 2011) में लाया गया तथा अद्यतन स्मार पत्र दिसम्बर 2012 में प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को भेजा गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.37 राज्य सरकार द्वारा सा0क्षे0उ0 के विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना के लिए 2011–12 में कोई कदम नहीं उठाया गया। झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा0क्षे0उ0 की पुनर्संरचना की जानी थी। 12 सा0क्षे0उ0 की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ–साथ प्रबन्धन के बँटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया था। तथापि, इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा0क्षे0उ0[23] के सम्बन्ध में ही किया गया था (सितम्बर, 2012)।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.38 राज्य में बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) का गठन अप्रैल 2002 में विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17(1) के अधीन विद्युत टैरिफ का विवेकीकरण, राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित मसौदे पर अपनी राय देने और लाइसेन्स जारी करने के उद्देश्य से किया गया। वर्ष 2011–12 की अवधि में, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2012–13 के लिये टैरिफ आदेश एवं अक्टूबर 2009 से जनवरी 2012 तक की अवधि के लिये ईंधन एवं ऊर्जा क्रय लागत समायोजन शुल्क (एफ0पी0पी0सी0ए0) से सम्बन्धित आदेश/नियमन जारी किये। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2006–07 से 2009–10 के लिये कुल राजस्व आवश्यकता के सत्यापन, मानक निलामी दस्तावेज से सम्बन्धित मामले, बिहार बी0ई0आर0सी0 (शुल्क, दंड एवं प्रभार) नियमन, 2005 में संशोधन एवं वितीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमन, 2011 से सम्बन्धित आदेश/नियमन जारी किये।

1.39 कार्य–क्षेत्र में चिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रुप में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकार के बीच एक समझ पत्र (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किये गये थे (सितम्बर 2001)। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब तक प्राप्त प्रगति का विवरण निम्नवत् है:

क्रम सं0	महत्वपूर्ण कदम	लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि	मार्च 2012 तक उपलब्धि
1.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग	दिसम्बर, 2001	राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना बिहार सरकार की विज्ञप्ति सं0 1284 दिनांक 15 अप्रैल 2002 द्वारा हुई है। आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए टैरिफ आदेश 30 मार्च 2012 को अधिसूचित किया गया जो 01 अप्रैल 2012 से लागू था।
2.	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	अक्टूबर 2012	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य केन्द्रीय एजेंसी (एन0एच0पी0सी0 एवं पी0जी0सी0आई0एल0) एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निष्पादन किया जा रहा था।

[23] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भंडार निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

<table>
<tr><th>क्रम सं0</th><th>महत्वपूर्ण कदम</th><th>लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि</th><th>मार्च 2012 तक उपलब्धि</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>22,484 गाँवों में से 17,791 (79.13 प्रतिशत) गाँव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं (31 मार्च 2012)। विवरण निम्नवत् हैं:–
<table>
<tr><th>क्रियान्वयन एजेंसी</th><th>10 वीं एवं 11 वीं योजना (पुनरीक्षित) के अन्तर्गत कुल क्षेत्र</th><th>उपलब्धि (ऊर्जान्वित एवं अधिग्रहण किया हुआ)</th></tr>
<tr><td>पी0जी0सी0आई0एल0</td><td>15,960</td><td>14,387</td></tr>
<tr><td>एन0एच0पी0सी0</td><td>3,736</td><td>3,062</td></tr>
<tr><td>बी0एस0ई0बी0</td><td>2,788</td><td>342</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>22,484</td><td>17,791</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बोर्ड का पुर्नसंगठन</td><td>दिसम्बर, 2001</td><td>बिहार सरकार ने पाँच नई कम्पनियाँ अर्थात्, बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पॉवर ट्रांसमीशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पॉवर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कम्पनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कम्पनी लिमिटेड, गठित करने का निर्णय (मार्च 2012) किया। इन कम्पनियों ने 01 नवम्बर 2012 से व्यवसाय करना शुरु कर दिया है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>11 के0भी0 के सभी वितरण फीडरों एवं सभी उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत मीटरीकृत करना</td><td>31 मार्च 2013</td><td>11 के0भी0 के वितरण फीडरों (84 प्रतिशत) में एवं 71 प्रतिशत उपभोक्ताओं के मीटर लगाने की प्रक्रिया (सितम्बर 2012 तक) पूर्ण।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ऊर्जा लेखापरीक्षा</td><td>उपलब्ध नहीं</td><td>i. मेसर्स पावर फाइनांस कॉरपोरेशन, एक केन्द्रीय सा0क्षे0उ0, नें पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत मेसर्स प्रनत इंजिनियरिंग लिमिटेड को थर्ड पार्टी ऊर्जा लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त किया (मई 2011)। इससे प्राप्त अनुभवों को गैर – ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्र पर लागू किया जाएगा।
ii. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत 64 शहरों एवं ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत सात शहरों में रिंग फेंसिंग मीटर, प्रणाली मीटर एवं उपभोक्ता मीटर की स्थापना कर रहा था। 30 सितम्बर 2012 की स्थिति इस प्रकार है :
<table>
<tr><th></th><th>लक्ष्य</th><th>प्रतिस्थापन</th></tr>
<tr><td>रिंग फेंसिंग (33 के0भी0)</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>रिंग फेंसिंग (11 के0भी0)</td><td>164</td><td>164</td></tr>
<tr><td>प्रणाली मीटर (33 के0भी0)</td><td>131</td><td>131</td></tr>
<tr><td>प्रणाली मीटर (11 के0भी0)</td><td>272</td><td>272</td></tr>
<tr><td>उपभोक्ता मीटर (33 के0भी0)</td><td>20</td><td>17</td></tr>
<tr><td>उपभोक्ता मीटर (11 के0भी0)</td><td>238</td><td>238</td></tr>
<tr><td>वितरण फीडर मीटर</td><td>7,563</td><td>5,164</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

क्रम सं0	महत्वपूर्ण कदम	लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि	मार्च 2012 तक उपलब्धि
6.	पारेषण एवं वितरण (पा. एवं वि.) हानि में कमी करते हुए 15.5 प्रतिशत तक लाना	उपलब्ध नहीं	वर्ष 2010–11 में बोर्ड का पारेषण एवं वितरण हानि 43.59 प्रतिशत था जो वर्ष 2011–12 के दौरान बढ़कर 44.05 प्रतिशत हो गया।
7.	स्थायी संपत्तियों पर तीन प्रतिशत वापसी	मार्च, 2004	बोर्ड स्थायी संपत्तियों पर तीन प्रतिशत की वापसी को वर्ष 2011–12 तक प्राप्त नहीं कर सका।
8.	वितरण सूचना प्रबन्धन प्रणाली	उपलब्ध नहीं	वितरण एवं सूचना प्रबन्धन प्रणाली का क्रियान्वयन पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एस0सी0ए0डी0ए0), पटना द्वारा किया जा रहा था तथा शेष बिहार में यह पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था जो प्रगति पर था (सितम्बर 2012)।
9.	न्यूनतम कृषि टैरिफ 50 पैसे प्रति इकाई	उपलब्ध नहीं	राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस0ई0आर0सी0) ने वर्ष 2012–13 के लिए सिंचाई एवं कृषि सेवाओं-I (आइ0ए0एस0–I) एवं सिंचाई एवं कृषि सेवाओं-II (आइ0ए0एस0–II) के लिए टैरिफ स्वीकृत की है, जो इस प्रकार है:– **आइ0ए0एस0**–I **(अमीटरीकृत)** ग्रामीण फीडर – ₹ 120/एच0पी0/महीना शहरी फीडर – ₹ 145/एच0पी0/महीना **आइ0ए0एस0**–I **(मीटरीकृत)** ग्रामीण फीडर – ₹ 1.00/इकाई शहरी फीडर – ₹ 1.50/ इकाई **मासिक न्यूनतम प्रभार के अधीन** ग्रामीण फीडर – ₹ 85/एच0पी0/महीना शहरी फीडर – ₹ 130/एच0पी0/महीना **एफ0पी0पी0सी0ए0 – लागू नहीं** **आइ0ए0एस0**–II – **स्टेट ट्यूबवेल एवं एल0आई0 (अमीटरीकृत)** ग्रामीण फीडर – ₹ 900/एच0पी0/महीना शहरी फीडर – ₹ 1000/एच0पी0/महीना **आइ0ए0एस0**–II **(मीटरीकृत)** ग्रामीण फीडर – ₹ 6.00/इकाई शहरी फीडर – ₹ 7.00/ इकाई एफ0पी0पी0सी0ए0 प्रभार लागू नियमों के अनुसार अतिरिक्त भारित (सितम्बर 2012)।

अध्याय - II

2. सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2. बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय - II

2. बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अप्रैल 1965 में राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुई। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु सभी भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करना, मुद्रण, विक्रय तथा आपूर्ति करना है।

मुद्रण प्रेस का आधुनिकीकरण

कम्पनी के पास वर्ष में 100.50 लाख पुस्तकें मुद्रण करने की संस्थापित क्षमता वाली मुद्रण प्रेस थी। प्रेस की क्षमता वर्ष–दर–वर्ष घटती गयी जिसके कारण थे (क) यंत्रों का पुराना होना, (ख) उचित अनुरक्षण का अभाव, (ग) जर्जर पुर्जों का बदला नहीं जाना, (घ) भारी खराबी, एवं (ङ) निम्न स्तरीय उत्पादन के कारण बाधित होकर चलना। मुद्रण प्रेस लगभग अक्रियाशील हो गया था तथा इसकी आधुनिकीकरण अथवा उन्नयन प्रक्रिया के जरिए पूर्णतः पुनरुत्थान करने की आवश्यकता थी। तथापि, प्रबन्धन अपने ढीला–ढाला प्रवृति के कारण आधिक्य निधि की उपलब्धता के बावजूद पुराने मुद्रण प्रेस को आधुनिक/उन्नत/बदलने हेतु कोई सुदृढ़ उपाय करने में असफल रहा। कम्पनी, इसके कारण, नवीन तकनीक के लाभ से वंचित रहा तथा उसे निजी मुद्रकों से पुस्तकों की मुद्रण करवानी पड़ी।

कागज का क्रय

कम्पनी द्वारा आवश्यक पाठ्य कागजों का क्रय किया जा रहा था एवं इसकी आपूर्ति निजी मुद्रकों को की जा रही थी। वर्ष 2010–12 के दौरान निविदा आमंत्रित किये बिना भारत सरकार के उपक्रम, हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच0पी0सी0एल0) से कागज प्राप्त किया गया। कम्पनी ने एच0पी0सी0एल0 के साथ न तो दर अनुबन्ध किया एवं न ही कागजों की क्रय तथा आपूर्ति हेतु अनुबन्ध किया। अनुबन्ध के अभाव में, कम्पनी 842 क्षतिग्रस्त रील कागजों को एच0पी0सी0एल0 द्वारा मरम्मत अथवा इसके बदलवाने में असफल रहा।

पुस्तकों की मुद्रण एवं आपूर्ति में विलम्ब

सर्व शिक्षा अभियान, जो एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा चलाया जाता है, के अन्तर्गत आपूर्ति आदेश के अनुसार कम्पनी पुस्तकों का मुद्रण तथा आपूर्ति पूर्ण नहीं कर पायी जिससे छात्र समय पर पुस्तक पाने की सुविधा से वंचित रहे। वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत पुस्तकों के मुद्रण हेतु निजी मुद्रकों को मुद्रण आदेशों को निर्गत करने में कम्पनी ने तीन माह से 12 माह का अत्यधिक समय लिया था। मुद्रकों को कार्य आदेश में उल्लेखित समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करनी थी। तथापि, वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान मुद्रकों द्वारा मुद्रण तथा सेट–मेकरों को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब का परास 36 से 170 दिनों के बीच था। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् ने वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण ₹ 3.13 करोड़ तथा वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान निम्न कोटि के पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के कारण ₹ 15.72 करोड़ की राशि की कटौती कर लिया। तथापि, कम्पनी दण्ड आरोपण हेतु मुद्रकों के साथ हुए अनुबन्ध के प्रावधानों का आह्वान करने में विफल रहा।

विपणन तथा विक्रय निष्पादन

कम्पनी ने सामान्य विक्रय के अन्तर्गत पुस्तकों के विक्रय हेतु कोई सुदृढ़

विपणन नीति प्रतिपादित नहीं किया था। सर्व शिक्षा अभियान तथा सामान्य विक्रय के अन्तर्गत अप्रचलित पुस्तकों का संचयन ₹ 9.07 करोड़ तक हो गया था।

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण था। कम्पनी में नकद/निधि प्रवाह विवरणी तैयार करने की प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। वर्ष 1998–99 से ही कम्पनी के लेखे बकाये में थे। बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नहीं किया गया था। ऋण दाताओं एवं ऋणों तथा अग्रिमों के आवर्तन/उम्र–वार तथा दल–वार विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं थे। कम्पनी ने प्रावधानों के विरुद्ध एक सेट–मेकर को ₹ 2.39 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

यद्यपि कम्पनी का आधारभूत कार्य पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन करना था तथापि इसका अपना मुद्रण प्रेस लम्बे समय से अक्रियाशील था तथा निधि की उपलब्धता होने के बावजूद प्रेस को आधुनिक/उन्नत बनाने हेतु कोई प्रभावी उपाय नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप, कम्पनी को निजी मुद्रकों की सेवाओं का आश्रय लेना पड़ा। औपचारिक अनुबन्ध के अभाव में कम्पनी एच0पी0सी0एल0 से क्षतिग्रस्त कागजों का मूल्य वसूलने में विफल रहा। बि0शि0प0प0 को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करने में विलम्ब हुआ जिसके कारण कम्पनी को दण्ड का भुगतान करना पड़ा। त्रुटिपूर्ण विपणन नीति एवं नियोजन के कारण अप्रचलित पुस्तकों का भारी संचयन हो गया था। कम्पनी में विद्यमान आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण था।

हमने छः अनुशंसाएँ की हैं जिनमें, मुद्रण प्रेस के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करने हेतु कम्पनी द्वारा प्रभावी अनुसरण ताकि पाठ्य पुस्तकों की मुद्रण तथा आपूर्ति हेतु निजी मुद्रकों पर निर्भरता को टाला जा सके; मुद्रित होने तथा आपूर्ति होने वाली पुस्तकों की मात्रा के आकलन की नियोजन में सुधार हो जिससे शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से पहले मुद्रण तथा वितरण हेतु समय सीमा का अनुपालन हो; पुस्तकों की विक्रय हेतु प्रभावी विपणन नीति प्रतिपादित हो, पाठ्य पुस्तकों की निम्न गुणवत्ता/विलम्ब से आपूर्ति के कारण दोषी मुद्रकों/सेट–मेकर से दण्ड वसूलने का प्रयास किया जाय; संविदा के प्रावधानों के अनुसार सेवा कर की वसूली हो तथा वित्तीय तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ हो, सम्मिलित हैं।

परिचय

2.1 बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी) को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अप्रैल 1965 में पूर्णतः सरकारी कम्पनी के रूप में समामेलित किया गया। कम्पनी का प्रशासनिक नियन्त्रण बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पास है। अन्य उद्देश्यों के अतिरिक्त कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं :

- पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन से सम्बन्धित व्यवसाय तथा अन्य गतिविधियों को अधिगृहित तथा अधीन करना;
- राज्य में प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु सभी विषयों पर तथा सभी भाषाओं में पाठ्य एवं अन्य पुस्तकें प्रकाशित करना, मुद्रित करना, विक्रय करना, आपूर्ति करना अथवा सम्बन्धित अन्य व्यवसाय करना;
- प्रकाशक एवं मुद्रक के रूप में व्यवसाय करना; तथा
- कम्पनी की प्रकाशन एवं उत्पादों के लिए ट्रेडमार्क अथवा ट्रेड नाम अथवा ब्रांड का प्रयोग करना।

कम्पनी द्वारा अपनायी गयी मुख्य गतिविधियों में भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, मुद्रण, विक्रय तथा आपूर्ति शामिल हैं। इसके

अतिरिक्त, सामान्य विक्रय के अन्तर्गत पुस्तकों का विक्रय खुले बाजार में भी किया जाता है।

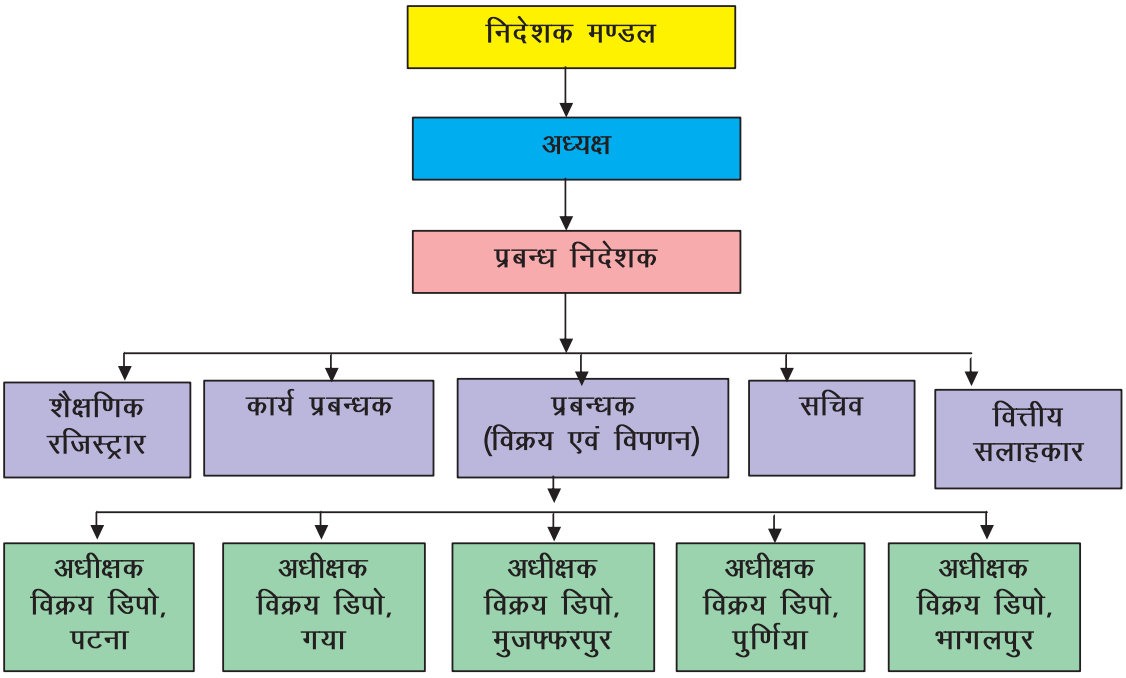
कम्पनी के पास एक मुद्रण प्रेस था जिसे वर्ष 1972 में संस्थापित किया गया था जिसकी 300 दिनों में प्रतिदिन दो पालियों में कार्य कर प्रतिवर्ष 100.50 लाख पुस्तकें मुद्रित करने की क्षमता थी। उचित मरम्मत तथा उपकरण नहीं बदलने आदि के कारण समय के साथ प्रेस की परिचालन क्षमता धीरे–धीरे घटती चली गई। प्रेस लगभग अक्रियाशील हो गया था (नवम्बर 2012) तथा इसकी क्षमता पुनः प्राप्त करने हेतु आधुनिकीकरण/उन्नयन/प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी तथा कम्पनी बाह्य स्रोतों से पुस्तकें मुद्रित करवा रही थी।

कम्पनी के प्रकाशन तथा विक्रय गतिविधियों की समीक्षाएँ 31 मार्च 1998 तथा 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में सम्मिलित किए गए थे जिनपर लोक उपक्रम समिति द्वारा विचार–विमर्श अभी किया जाना है (नवम्बर 2012)।

संगठनात्मक ढाँचा

2.2 कम्पनी का प्रबन्धन एक निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें 15 से अधिक तथा तीन से कम निदेशक नहीं हो सकते। 31 मार्च 2012 को बोर्ड में एक अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक (प्र0नि0) तथा राज्य सरकार से तीन नामित निदेशक थे। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के प्रमुख कार्यपालक हैं जिन्हें पाँच अनुभागीय प्रभारी सहयोग करते हैं। विस्तृत संगठनात्मक सारणी निम्नवत् हैः–

संगठनात्मक सारणी



कम्पनी पाँच[1] विक्रय डिपो तथा सम्बद्ध गोदामों का परिचालन कर रही थी। कम्पनी मुख्यालय, पटना में प्रबन्धक (विक्रय तथा विपणन) जो कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को प्रतिवेदन भेजता है, के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक विक्रय डिपो केन्द्र का संचालन एक अधीक्षक द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.3 अप्रैल 2012 तथा जून 2012 के बीच आयोजित वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में अन्य बातों के साथ–साथ मुद्रण प्रेस का आधुनिकीकरण/उन्नयन /प्रतिस्थापन, कागजों का क्रय, प्रकाशन तथा विक्रय गतिविधियाँ तथा वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन सम्मिलित है। इस उद्देश्य के लिए कम्पनी मुख्यालय तथा कुल पाँच में दो विक्रय डिपो[2] सहित सम्बद्ध गोदामों के अभिलेखों की जाँच की गयी। दो डिपो का चयन विक्रय डिपो पर उपलब्ध पुस्तकों के अंतिम स्टॉक की प्रतिशतता के निर्णयन प्रतिचयन आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.4 कम्पनी के प्रकाशन एवं विक्रय गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिये किया गया कि :

- मुद्रण प्रेस के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापन के लिए प्रभावी कार्रवाई की गयी;
- कागज का क्रय एवं खपत मितव्ययी था तथा कागज की बर्बादी निर्दिष्ट मानकों के अन्तर्गत था;
- पुस्तकों का मुद्रण तथा आपूर्ति अनुसूची के अनुसार था;
- कम्पनी ने पाठ्य पुस्तकों की आदर्श विक्रय हेतु विश्वसनीय विपणन नीति का प्रतिपादन किया था; तथा
- एक कुशल आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान था।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.5 निम्नलिखित प्रलेखों में शामिल मानकों, निर्देशों तथा प्रावधानों को मानदण्ड के रूप में उपयोग किया गया:

- कागज की अधिप्राप्ति हेतु निविदा प्रलेख/क्रय आदेशों में सन्निहित नियमें एवं शर्ते;
- पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु लागू नियमें, प्रक्रियाएँ, दिशा–निर्देशों तथा सरकारी निर्देशें;
- मुद्रकों/सेट–मेकरों के साथ अनुबन्ध के नियमें एवं शर्तें;
- प्रेस की आधुनिकीकरण एवं अन्य मामले के संबंध में बोर्ड के संकल्पों तथा तकनीकी समिति की अनुशंसाएँ; तथा

1 भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना तथा पुर्णिया।
2 गया, पटना।

- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (बि0शि0प0प0) के साथ समझौता ज्ञापन में पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति, पुस्तकों की गुणवत्ता आदि से सम्बन्धित प्रावधान।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति

2.6 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित लेखापरीक्षा कार्यपद्धति के मिश्रण की अपनाया गयाः

- निदेशक मण्डल के कार्यसूची प्रलेखों तथा बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा;
- कम्पनी तथा इसके डिपो के अभिलेखों की संवीक्षा, कम्पनी के अभिलेखों से आँकड़ों का संग्रहण, वित्तीय विवरणी, इत्यादि;
- कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में अभिलेखों की जाँच;
- कम्पनी में निहित आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रियाओं की जाँच; तथा
- प्रबन्धन के साथ विचार–विमर्श।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.7 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को सरकार तथा प्रबन्धन को अवगत कराने हेतु 4 मई 2012 को प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सरकार/प्रबन्धन को लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012) तथा 16 नवम्बर 2012 को आयोजित निकास सम्मेलन में इसकी चर्चा की गई जिसमें कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा वित्तीय सलाहकार ने भाग लिया। सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने में कम्पनी द्वारा व्यक्त मतों पर विचार किया गया जबकि सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा उत्तरवर्ती कण्डिकाओं में की गई है।

मुद्रण प्रेस का आधुनिकीकरण/उन्नयन

2.8 वर्ष 1972 में स्थापित मुद्रण प्रेस की संस्थापित क्षमता 300 दिनों में प्रतिदिन दो पालियों में काम कर वर्ष में 100.50 लाख पुस्तकें मुद्रित करने की थी। आने वाले वर्षों में प्रेस की क्षमता घटती गयी जिसका कारण था (क) मशीनों का पुराना होना (ख) उचित अनुरक्षण की कमी (ग) खराब पुर्जों को नहीं बदलना (घ) अत्यधिक खराबी तथा (ड.) निम्नस्तरीय उत्पादन के कारण बाधित होकर चलना। मुद्रण प्रेस लगभग अक्रियाशील हो चुका था तथा आधुनिकीकरण अथवा उन्नयण प्रक्रिया के जरिये इसे पूर्णतः पुर्नरुद्धार करने की आवश्यकता थी। हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि प्रेस के पुर्नरुद्धार अथवा खराब यंत्रों के प्रतिस्थापन हेतु प्रबन्धन ने प्रभावी कदम नही उठाये थे। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एन0पी0सी0) द्वारा एक परियोजना प्रतिवेदन 1999 में तैयार किया गया जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त नये संयत्र संस्थापित कर मुद्रण क्षमता बढ़ाने हेतु अनुशंसा की गई थी। सात वर्ष व्यपगत होने के बाद, एन0पी0सी0 को पुनः प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु सम्पर्क किया गया (अगस्त 2006) तथा उसे पुनरीक्षित आवश्यकताओं के मूल्यांकन तथा यंत्रों के विशेष विवरण का अन्तिमीकरण, यंत्रों के क्रय हेतु कार्यन्वयन योजना तथा निविदा प्रलेखों की तैयारी, उपकरणों की खरीद तथा संस्थापन हेतु उपयुक्त आपूर्तिकर्ता की अनुशंसा, प्रगति की समय–समय पर समीक्षा, कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण मापदण्ड तैयार करने आदि हेतु कम्पनी द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। अपने प्रतिवेदन में (अगस्त 2006) एन0पी0सी0 ने

प्राक्कलित किया कि प्रथम चरण में यंत्रों तथा सम्बन्धित उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 3.50 करोड़ की आवश्यकता होगी। निदेशक मण्डल ने एन0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को स्वीकार किया (नवम्बर 2006) तथा कम्पनी के अपने संसाधनों से यंत्रों के क्रय के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया। एक वर्ष व्यपगत होने के पश्चात् प्रबन्धन ने विभिन्न यंत्रों की आपूर्ति, निर्माण, संस्थापन तथा चालू करने हेतु खुली निविदा आमंत्रित किया (नवम्बर 2007)। पूछे जाने पर भी लेखापरीक्षा के समक्ष विलम्ब का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। जनवरी 2008 में तकनीकी समिति के समक्ष तकनीकी बोली रखी गयी तथा समिति ने निम्नलिखित प्रेक्षण कियाः

- बोली प्रक्रिया में किसी प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता ने भाग नहीं लिया था;
- यंत्रों के तकनीकी विनिर्देशन के हिस्से या तो छोड़ दिए गए थे अथवा उनके सम्बन्ध में पूर्ण प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी;
- उद्धृत यंत्र ब्राण्डेड नहीं थे (अर्थात् सुविख्यात तथा प्रसिद्ध निर्माता के नहीं थे); तथा
- केवल एक ही बोली लगाने वाला मानदण्ड को पूरा कर रहा था।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, तकनीकी समिति ने निविदा में प्रतिष्ठित/विख्यात निर्माताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निविदा रद्द करने तथा नई निविदा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया (जनवरी 2008)। तथापि, प्रबन्धन द्वारा नई निविदा आमंत्रित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात् निदेशक मण्डल ने पुराने यंत्रों को निपटाने का निर्णय लिया (जुलाई 2010) तथा मूल्यांकन करने के पश्चात् यंत्रों के निपटाने हेतु एन0पी0सी0 को अनुरोध किया (नवम्बर 2011) तथा नई मशीनरी के क्रय हेतु नयी बोली प्रलेखों को तैयार करने का निर्णय लिया।

आधिक्य निधि की उपलब्धता होने के बावजूद कम्पनी ने अपने प्रेस को आधुनिक/उन्नत बनाने हेतु प्रभावी उपाय नहीं किया जिसके कारण निजी मुद्रकों द्वारा पुस्तकों का मुद्रण आवश्यक हो गया

एन0पी0सी0 ने प्रेस आधुनिकीकरण योजना को दो चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया (जनवरी 2012)–चरण–I वर्तमान मशीनों की स्थिति एवं निपटारे की समीक्षा तथा नये मशीनों की अधिप्राप्ति के लिए और चरण–II नये यंत्रों के संस्थापन के लिए। एन0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर (नवम्बर 2012) प्रबन्धन द्वारा की गयी किसी भी कार्रवाई का कोई अभिलेख नहीं था।

इस प्रकार, प्रबन्धन के निष्क्रिय होने के कारण न केवल कर्मचारियों को व्यर्थ वेतन भुगतान करना पड़ा जो प्रेस के अक्रियाशील होने से (अनुवर्ती कंडिका 2.15 में चर्चा की गई) अनावश्यक हो गये थे वरन कम्पनी भी नये तकनीक के लाभों से वंचित रहा। फलतः कम्पनी को पुस्तकें निजी मुद्रकों से मुद्रित करवानी पड़ी। इसके अतिरिक्त, पुस्तकों के आन्तरिक मुद्रण की व्यवहार्यता (प्रतिस्थापन/अपने मुद्रण प्रेस के आधुनिकीकरण द्वारा) अथवा बाह्य स्त्रोतों से पुस्तकें मुद्रित करवाने के वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का औचित्य पता लगाने हेतु लागत–लाभ विश्लेषण नहीं किया गया था। हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि आधिक्य निधि की उपलब्धता के बावजूद कम्पनी विगत दस वर्षों में प्रेस को आधुनिक/उन्नत बनाने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाने में विफल रहा।

प्रबन्धन ने जवाब (नवम्बर 2012) में कहा कि एन0पी0सी0 की मदद से कुछ नई मशीनें खरीदने/आऊटर्सोस करने का प्रयास किया गया परन्तु यह मूर्त रूप नहीं ले सका। अंततः कम्पनी ने एन0पी0सी0 की सहायता से पुरानी मशीनों को निपटाने का निर्णय लिया (नवम्बर 2011)। एन0पी0सी0 ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था (जनवरी 2012) जो विचाराधीन था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने टाल–मटोल की प्रवृति अपना रखी थी तथा यह मुद्रण प्रेस के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 1999 से ही विभिन्न अवसरों पर एन0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कोई प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा।

कागज का क्रय

2.9 कम्पनी निजी मुद्रकों से पुस्तकें मुद्रित करवा रही थी तथा आवश्यक पाठ्य कागजों का क्रय कम्पनी द्वारा किया जा रहा था तथा निजी मुद्रकों को आपूर्ति की जा रही थी। हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि वर्ष 2007–10 के दौरान कागज के क्रय हेतु खुली निविदा आमंत्रित की गयी तथा न्यूनतम उद्धरण के आधार पर भारत सरकार का उपक्रम हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड (एच0पी0सी0एल0) को क्रय आदेश दिया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2010–12 के दौरान निम्नलिखित प्रतिफल के आधार पर कोई निविदा आमंत्रित किये बिना एच0पी0सी0एल0 से कागज अधिप्राप्त किया गयाः

- कम्पनी एच0पी0सी0एल0 से विगत 25 वर्षों से कागज अधिप्राप्त कर रही थी तथा उनके द्वारा आपूर्ति किये गये कागज की गुणवत्ता अन्य आपूर्तिकर्ताओं से उत्तम था।
- एच0पी0सी0एल0 ही एकमात्र आपूर्तिकर्ता था जो कम्पनी की आवश्यकता (प्रतिवर्ष लगभग 30000 एम0टी0 पाठ्य कागज तथा 3000 एम0टी0 कवर कागज) को पूर्ण कर सकता था।
- बातचीत के जरिये एच0पी0सी0एल0 निम्नतर दर पर कागज आपूर्ति करने को तैयार हो गया था।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने न तो कोई दर संविदा किया था न ही कागजों की आपूर्ति तथा क्रय हेतु एच0पी0सी0एल0 के साथ अनुबन्ध कार्यान्वित किया था जो क्षतिग्रस्त कागजों इत्यादि की आपूर्ति के मामले में अर्थदण्ड के आरोपन हेतु नियम एवं शर्तों की व्याख्या करता था।

क्षतिग्रस्त कागजों का बदला नहीं जाना

अनुबन्ध के अभाव में एच0पी0सी0एल0 द्वारा ₹ 79.89 लाख मूल्य के क्षतिग्रस्त कागजों का बदला नहीं जाना

2.9.1 वर्ष 2010–11 में मुद्रण कागज की क्रय सम्बन्धी अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अगस्त/सितम्बर 2010 के दौरान प्राप्त कुल 3276 रील कागज में से 842 रील का कोर पाईप क्षतिग्रस्त पाया गया तथा मुद्रण के लिए उपयुक्त नहीं था। कम्पनी द्वारा इंगित किये जाने पर एच0पी0सी0एल0 ने केवल 356 रीलों की मरम्मत की तथा 486 रील[3] की शेष मात्रा जिसकी कीमत ₹ 79.89 लाख थी, दो वर्षो से अधिक व्यपगत होने पर भी एच0पी0सी0एल0 द्वारा अभी तक (नवम्बर 2012) न तो मरम्मत किया और न ही बदला गया। इसके अतिरिक्त हमलोगों ने यह भी प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने क्षतिग्रस्त कागज के भण्डारण हेतु किराये पर लिये गोदाम के भाड़े पर ₹ 6.72 लाख की राशि व्यय किया।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2012) कि यह मामला एच0पी0सी0एल0 प्राधिकारियों के समक्ष रखा गया था तथा वे अनवाइन्ड/रिवाइन्ड द्वारा अपने खर्च पर रील का मरम्मत करने को तैयार हो गये थे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि कम्पनी ने इसी कारण उनका भुगतान भी रोक रखा था तथा यदि कोई हानि हुई तो उसे वसूल की जाएगी।

[3] 486 रील = 211.92 एम0टी0 कीमत ₹ 79.89 लाख (211.92 × ₹ 37700/ एम0टी0)।

उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि किसी अनुबन्ध के अभाव में दो वर्षों से अधिक व्यपगत होने के बाद भी कम्पनी एच0पी0सी0एल0 के साथ इस मामला को सुलझाने में विफल रही।

मुद्रण एवं पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति

2.10 सर्वशिक्षा अभियान (एस0एस0ए0), जो एक केन्द्र प्रयोजित योजना है, वर्ष 2001–02 में छः से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लाभदायी तथा प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु आरम्भ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पुस्तकों के मुद्रण हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (बि0शि0प0प0) वर्ष 2007–12 की अवधि में कम्पनी के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) में सम्मिलित हुआ। कम्पनी तथा बि0शि0प0प0 के बीच हस्ताक्षरित/सम्मिलित समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रत्येक वर्ग तथा विषय हेतु आवश्यक पुस्तकों की अनुमानित संख्या के मुद्रण तथा आपूर्ति के संबंध में माँग पत्र कम्पनी को बि0शि0प0प0 द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रत्येक वर्ष जुलाई तक जारी करना था तथा इस संबंध में अंतिम माँग पत्र प्रत्येक वर्ष सितम्बर तक निर्गत करना था। कम्पनी को प्रत्येक वर्ष मार्च तक बि0शि0प0प0 को पाठ्य पुस्तकें सौंपना था। निम्नलिखित तालिका बि0शि0प0प0 द्वारा कम्पनी को आरम्भिक माँग पत्र के जारी करने की तिथि, मुद्रण तथा आपूर्ति हेतु पुस्तकों की संख्या जिसके लिए माँग पत्र जारी किये गये तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त गत पाँच वर्षों में बि0शि0प0प0 को वास्तव में आपूर्ति की गयी पुस्तकों की संख्या तथा दिनांक प्रदर्शित करता है:–

क्रम सं0	शैक्षणिक वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	बि0शि0प0प0 के आरंभिक माँग पत्र की तिथि	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	14 मई 2009	25 मई 2010
2	बि0शि0प0प0 के अंतिम माँग पत्र की तिथि	15 नवम्बर 2006	06 सितम्बर 2007	13 नवम्बर 2008	05 अक्टूबर 2009	08 नवम्बर 2010
3	आदेश दिये गये पुस्तकों की संख्या (लाख में)	350.07	632.81	966.51 (181.79 सेट)	833.60 (154.53 सेट)	1017.22 (190.28 सेट)
4.	पुस्तकों की संख्या (लाख में)/ आपूर्ति की गयी पुस्तकों का सेट	350.01	632.80	853.87 (166.97 सेट)	818.86 (152.60 सेट)	1015.49 (190.04 सेट)
5.	वह तिथि जब आपूर्ति आरम्भ हुआ	07 फरवरी 2007	13 जनवरी 2008	7 मार्च 2009	15 जनवरी 2010	5 अक्टूबर 2010
6.	आपूर्ति पूर्ण होने की तिथि	16 जून 2007	17 जनवरी 2009	15 नवम्बर 2009	31 अगस्त 2010	20 सितम्बर 2011
7.	आपूर्ति में विलम्ब (प्रत्येक वर्ष मार्च के सापेक्ष)	76 दिन	260 दिन	228 दिन	153 दिन	172 दिन

(स्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध की गई सूचनाएँ)

कम्पनी द्वारा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में 76 से 260 दिनों का विलम्ब हुआ जिससे छात्र समय पर पुस्तकों की उपलब्धता से वंचित रहे

उपर्युक्त तालिका से यह प्रमाणित होता है कि बि0शि0प0प0 द्वारा पाठ्य पुस्तकों के अंतिम माँग पत्र के निर्गमन में वर्ष 2007–08 तथा 2009–10 के दौरान लगभग डेढ़ महीने का विलम्ब हुआ। उसी तरह, कम्पनी द्वारा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में 76 दिनों से 260 दिनों का विलम्ब हुआ जिससे छात्र समय पर पुस्तकों की उपलब्धता से वंचित रहे। आगे अभिलेखों की संवीक्षा से निम्न बिन्दुएँ उद्घाटित हुए :

(क) कम्पनी में मुद्रण कार्य पूर्ण करने के लिए समय सीमा तय करने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि बि0शि0प0प0 को छः माह की अवधि में पुस्तकों की आपूर्ति के प्रावधान के विरूद्ध कम्पनी ने निजी मुद्रकों को आदेश निर्गमन की अन्तिमीकरण हेतु वर्ष 2007–08 से 2011–12 के अवधि के दौरान तीन माह से 12 माह का अधिक समय लिया था। इस प्रकार, कम्पनी ने आदेश देने से पूर्व सर्व शिक्षा अभियान के तहत पुस्तकों के मुद्रण तथा आपूर्ति हेतु समय सीमा का पालन नहीं किया।

(ख) बोली प्रलेख में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार जो अनुबन्ध/कार्य आदेश का अंश है, के अनुसार, सुपुर्दगी/दायित्व के निष्पादन में मुद्रक/सेट–मेकर द्वारा किसी प्रकार के अक्षम्य विलम्ब से अपने निष्पादन प्रतिभूति का अपवर्तन/अर्थदण्ड का अधिरोपण तथा संविदा की समाप्ति का दायी होगा। इस तरह, मुद्रकों को कार्य आदेश में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करने की आवश्यकता थी। तथापि, यह पाया गया कि वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान मुद्रकों द्वारा मुद्रण तथा सेट–मेकरों[4] को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब का परास 36 से 170 दिनों के बीच था। समर्थ प्रावधानों के होने के बावजूद कम्पनी चूककर्ता मुद्रकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान सेट–मेकरों द्वारा विनिर्दिष्ट गंतव्यों तक पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब का परास पाँच माह से नौ माह के बीच था। यह भी देखा गया कि वर्ष 2009–10 में केवल दो सेट–मेकर तथा वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में एक सेट–मेकर क्रमशः 9.67 करोड़, 8.33 करोड़ तथा 10.17 करोड़ पुस्तकों की भारी मात्रा संभालने/आपूर्ति करने में लगे थे जिससे पुस्तकों की ससमय आपूर्ति प्रभावित हुई।

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार करते हुए प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2012) कि इस कार्य में 60 से अधिक अतिरिक्त मुद्रकों से विभिन्न पुस्तकें संग्रह कर सेट–मेकर द्वारा करोड़ों पुस्तकों को पैकटों में व्यवस्थित करना तथा उन्हें बिहार के 535 प्रखण्ड मुख्यालयों में भेजना शामिल था। साथ ही यह कहा गया कि कार्य की प्रकृति के कारण प्रगति के प्रत्येक चरण में कुछ विलम्ब हुआ। तथापि, विलम्ब दूर करने के लिए अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि कम्पनी लगभग 47 वर्षों से इस व्यवसाय में है, अतः उचित नियोजन से विभिन्न चरणों का अनुश्रवण कर विलम्ब को टाल सकती थी। कम्पनी को समय रहते सचेत हो जाना चाहिए तथा पुस्तकों को समय के अन्तर्गत आपूर्ति करना चाहिए ताकि शैक्षणिक सूची के अनुसार पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति न होने के कारण छात्रों को भविष्य में कष्ट न हो।

[4] कम्पनी ने सेट–मेकरों को वर्ष 2009–10 से विनिर्दिष्ट गंतव्यों तक मुद्रित पुस्तकों के पैकेटों की आपूर्ति करने हेतु लगा रखा था।

निम्न मुद्रण गुणवत्ता वाले पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति हेतु मुद्रकों पर अर्थदण्ड का अधिरोपण नहीं करना

निम्न गुणवत्ता वाले पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के कारण बि0शि0प0प0 द्वारा ₹ 15.72 करोड़ की कटौती की वसूली मुद्रकों से नहीं की गयी

2.11 बोली प्रलेख के उपवाक्य 38 तथा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण से सम्बन्धित कम्पनी तथा मुद्रकों के बीच अनुबन्ध के खण्ड 2 (अ) के अनुसार यदि मुद्रण, बाइन्डिंग/कवर पेस्टिंग, स्टीचिंग, ट्रीमिंग आदि की गुणवत्ता निम्न स्तरीय अथवा घटिया पायी जाती है तो कम्पनी अपने विवेक से आवंटित पुस्तकों के मूल्य का 15 प्रतिशत तक अर्थदण्ड लगा सकती है। यह अर्थदण्ड अन्य उपवाक्यों के अन्तर्गत अर्थदण्डों के अतिरिक्त होना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि बि0शि0प0प0 ने कम्पनी के विभिन्न विपत्रों से वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान निम्न गुणवत्ता वाले पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के लिए ₹ 15.72 करोड़ की राशि काट लिया था। तथापि, कम्पनी ने इसके बदले में निम्न गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति हेतु मुद्रकों पर अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया था। इस प्रकार, कम्पनी को ₹ 15.72 करोड़ की परिहार्य हानि वहन करनी पड़ी। मुद्रकों पर अर्थदण्ड अधिरोपन नहीं करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2012) कि मुद्रकों का ब्यौरा, जिनकी पुस्तकें निम्न गुणवत्ता वाले पायी गयीं, अज्ञात थे, जिसके फलस्वरूप, सम्बन्धित मुद्रकों पर अर्थदण्ड अधिरोपण नहीं हो सका। अब मुद्रकों का ब्योरा बि0शि0प0प0 से संग्रहित किया जा रहा था तथा इसके बाद सम्बन्धित मुद्रकों पर अर्थदण्ड अधिरोपण किया जाएगा।

उत्तर कम्पनी में आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का अभाव इंगित करता है।

पुस्तकों की विलम्बित आपूर्ति हेतु अनुबन्ध के प्रावधानों का आह्वान नहीं होना

पाठ्य पुस्तकों की विलंबित आपूर्ति के कारण बि0शि0प0प0 ने ₹ 3.13 करोड़ की कटौती की

2.12 कम्पनी तथा बि0शि0प0प0 के बीच हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के अनुसार कम्पनी जिला को पाठ्य पुस्तकों/मुद्रण सामग्री का वितरण पूर्ण करेगा जैसा कि माँग पत्र/आदेश में विनिर्दिष्ट है तथा जैसा कि प्रथम पक्ष के साथ समय–समय पर सहमति बनी है तथा जिसमें विफल होने पर बि0शि0प0प0 द्वारा अर्थदण्ड लगाया जा सकता है जो कम्पनी को स्वीकार्य होगा। बि0शि0प0प0 के माँग पत्र के अनुसार, पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति 15 मार्च तक होनी चाहिए। बोली प्रलेख के उपवाक्य 27.1 तथा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा आपूर्ति से सम्बन्धित कम्पनी तथा मुद्रकों के बीच अनुबन्ध के उपवाक्य 2 (अ) के अनुसार सुपुर्दगी/दायित्व के निष्पादन में मुद्रक द्वारा किसी प्रकार के अक्षम्य विलम्ब से मुद्रक अपने निष्पादन प्रतिभूति की जब्ती/अर्थदण्ड का अधिरोपण, तथा चूक के लिए अनुबन्ध की समाप्ति के लिए दायी होगा।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान बि0शि0प0प0 ने पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण ₹ 3.13 करोड़ की राशि की कटौती किया। तथापि, कम्पनी पुस्तकों की विलम्ब से सुपुर्दगी के कारण अर्थदण्ड का अधिरोपण हेतु मुद्रकों के साथ अनुबन्ध के प्रावधानों का आह्वान करने में विफल रहा।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2012) कि विशेष परिस्थितियों के अधीन पुस्तकों की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा कुछ समय विस्तार भी दिया गया। आँकड़े तैयार किये जा रहे थे तथा मामला बि0शि0प0प0 के समक्ष रखा जाएगा।

तथ्य यही है कि कम्पनी या तो मुद्रकों से अर्थदण्ड की कटौती करने में या बि0शि0प0प0 के समक्ष मामला रखने में विफल हुआ।

विपणन एवं विक्रय निष्पादन

बाजार में विक्रय की गयी पुस्तकें (सामान्य विक्रय)

2.13 सर्वशिक्षा अभियान (एस0एस0ए0) के अन्तर्गत आपूर्ति हेतु पुस्तकों के मुद्रण के अतिरिक्त कम्पनी ने सामान्य विक्रय के अन्तर्गत खुले बाजार में विक्रय हेतु वर्ग IX से XII वर्ग तक के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें मुद्रित करवाया। इसके लिए एक सुदृढ़ विपणन नीति तथा मुद्रित होने वाली पुस्तकों की संख्या का उचित निर्धारण आवश्यक था। हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि:

- कम्पनी के पास राज्य में वर्ग IX से XII वर्ग के विद्यार्थियों को इन पुस्तकों की विक्रय हेतु कोई विपणन नीति नहीं थी।
- 2008–09 से पूर्व, एक विशेष शैक्षणिक वर्ष में मुद्रित होने वाली पुस्तकों का निर्धारण प्राक्कलन आधार पर सीमांत वृद्धि/कमी के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत विक्रय के आधार पर किया गया था। तथापि, वर्ष 2008–09 के आगे से उक्त प्रथा बंद कर दी गयी थी तथा कोई वैज्ञानिक आधार स्वीकार किये बिना प्रबन्धन के निर्णय अनुसार पुस्तकें मुद्रित की जा रही थीं। औसत आधार पर निर्धारण बंद करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।
- कम्पनी ने प्रत्यक्षतः खुले बाजार में पुस्तकों का विक्रय नहीं किया। बाजार में पुस्तकों की विक्रय अभिकर्ताओं के माध्यम से हुई, जिन्हें उनके द्वारा विक्रय की गयी पुस्तकों के मूल्य (विक्रय मूल्य) के 17 प्रतिशत की दर से कमीशन का भुगतान किया गया। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2007–12 के दौरान उपलब्ध पुस्तकों की कुल संख्या, विक्रय की गयी पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों का अंत शेष, पुस्तकों की कुल उपलब्धता के सापेक्ष कुल विक्रय की प्रतिशतता तथा कुल विक्रय के सापेक्ष अन्तिम स्टॉक की प्रतिशतता को दर्शाता है।

(पुस्तकों की संख्या लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति (वर्ष के दौरान मुद्रित पुस्तकों की संख्या)	कुल	विक्रय	अन्तिम शेष	पुस्तकों के अन्तिम स्टॉक का मूल्य (₹ करोड़ में)	स्टॉक की कुल उपलब्धता से कुल विक्रय की प्रतिशतता	उपलब्ध कुल स्टॉक से अन्तिम स्टॉक की प्रतिशतता
2007-08	46.47	37.04	83.51	44.49	39.02	अप्राप्त	53	46.72
2008-09	39.02	55.83	94.85	51.42	43.43	6.94	54	45.79
2009-10	43.44	55.15	98.59	38.78	59.81	9.58	39	60.67
2010-11	59.81	73.70	133.51	47.73	85.78	26.81	36	64.25
2011-12	85.78	7.80	93.58	30.20	63.38	अप्राप्त	32	67.73

(स्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

जैसा कि उपर्युक्त विवरणों से देखा जा सकता है कि कम्पनी वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में कुल उपलब्ध पुस्तकों की मात्र 32 से 54 प्रतिशत ही विक्रय कर सकी। उपलब्ध स्टॉक से अन्तिम स्टॉक की प्रतिशतता का परास 45.79 तथा 67.73 के बीच था। अन्तिम स्टॉक में रखी गयी पुस्तकों की संख्या वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान विक्रय की गयी पुस्तकों से अधिक थी। अधिकांश उपलब्ध पुस्तकों के विक्रय में कम्पनी की विफलता के कारण विक्रय नहीं की गयी पुस्तकों के स्टॉक पर निधि का परिहार्य अवरोधन हुआ जिसका परास वर्ष 2008–09 में ₹ 6.94 करोड़ से वर्ष

2010–11 में ₹ 26.81 करोड़ के बीच था। इससे मुद्रित होने वाली पुस्तकों की आवश्यक संख्या के निर्धारण में कम्पनी का त्रुटिपूर्ण नियोजन इंगित होता है। इस प्रकार, आदेश किये/प्राप्त किये गए तथा विक्रय किये गये पाठ्य पुस्तकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर था। प्रबन्धन सामान्य विक्रय के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों की विक्रय बढ़ाने के लिए सुदृढ़ विक्रय रणनीति प्रतिपादित करने तथा कार्यान्वित करने में विफल रहा।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2012) कि किसी प्रमाणिक आँकड़ों के अभाव में मुद्रित होने वाली तथा विक्रय होने वाली पुस्तकों की संख्या शुरू से ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है क्योंकि पुस्तकों की कमी से स्टॉक में अभाव तथा अधिकता से स्टॉक बहुतायत हो जाता है जो फलस्वरूप अप्रचलित हो जाता है। पुस्तकों का मुद्रण आदेश देने हेतु सामान्यतः तीन वर्षों के औसत विक्रय तथा स्टॉक के साथ–साथ परीक्षण विधि स्वीकार/विचार किया गया था। समाचार पत्र/पत्रिका आदि में विज्ञापन के जरिये पुस्तकों के विक्रय बढ़ाने का प्रयास जारी था।

उत्तर वृहत् स्टॉक के संचयन जो कि मुद्रित होने वाली पुस्तकों के निर्धारण हेतु दोषपूर्ण नियोजन के कारण हुआ पर स्पष्टीकरण नहीं देता है।

अप्रचलित पुस्तकों के कारण परिहार्य हानि

2.13.1 जैसा कि उपर्युक्त कंडिका 2.10 में समीक्षा की गयी है, कम्पनी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ग I से VIII हेतु बि0शि0प0प0 द्वारा दिये गए आदेश के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करवाती है तथा बि0शि0प0प0 द्वारा विनिर्दिष्ट गंतव्य तक नये सत्र के आरंभ होने से पहले जो कि प्रत्येक वर्ष का मार्च माह होता है, पुस्तकें आपूर्ति की जानी होती हैं। कम्पनी सामान्य विक्रय के अन्तर्गत वर्ग IX से XII हेतु भी पाठ्य पुस्तकें मुद्रित करवाती है। उपर्युक्त निर्दिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा आपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न वर्गों के लिए मुद्रित ₹ 9.07 करोड़[5] मूल्य के 50.00 लाख[6] पुस्तकें 31 मार्च 2012 तक नहीं विक्रय हुए तथा अप्रचलित हो गए। प्रबन्धन द्वारा वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 की अवधि के दौरान पाठ्यक्रम में परिर्वतन पुस्तकों की अप्रचलित होने का कारण बताया गया। तथापि, हमारे लेखा परीक्षा संवीक्षा में निम्न बातें उद्घाटित हुईं :

- पाठ्यक्रम में परिर्वतन पाठ्य पुस्तकों के अप्रचलित होने का एकमात्र कारण नहीं था। हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि बि0शि0प0प0 द्वारा दिये गये समय/विस्तारित समय के अन्तर्गत पुस्तकों की आपूर्ति में हुए विलम्ब पाठ्य पुस्तकों के अप्रचलित होने का मुख्य कारण था। बि0शि0प0प0 द्वारा कम्पनी को सूचित किया गया था (अगस्त 2009) कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुछ वर्गों का पाठ्यक्रम परिर्वतित होने वाला है तथा नया पाठ्यक्रम वर्ष 2010–11 से लागू होगा। तथापि, कम्पनी ने पाठ्य पुस्तकें जो 12 अगस्त 2009 तक अर्थात् पाठ्यक्रम में परिर्वतन होने तक बिना आपूर्ति किये थीं, उनसे सम्बन्धित मुद्रण आदेश को स्थगित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया।

[5] ₹ 6.93 करोड़ स0शि0अ0 के अन्तर्गत + ₹ 2.14 करोड़ सामान्य विक्रय के अर्न्तगत = ₹ 9.07 करोड़।

[6] सर्वशिक्षा अभियान - ₹ 36.46 लाख + सामान्य विक्रय - ₹13.54 लाख।



कम्पनी के गोदाम में पड़ी अप्रचलित–पुस्तकें

- सामान्य विक्रय के अन्तर्गत बड़ी संख्या में पुस्तकें बिना विक्रय के रह गयीं जिनका मुख्य कारण कम्पनी द्वारा मुद्रित होने वाली पुस्तकों की संख्या के निर्धारण हेतु कोई वैज्ञानिक आधार नहीं अपनाना (उपर्युक्त कण्डिका 2.1.3 में चर्चा की गई है), पाठ्यक्रम में परिवर्तन के पश्चात् लक्षित अपभोक्ताओं के पास मुद्रित पुस्तकों की उपलब्धता, स्टॉक में उपलब्धता के बावजूद नये पुस्तकों का मुद्रण, आदि हैं।
- इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि दिसम्बर 2009 से ये अप्रचलित पुस्तकें किराये के गोदाम में रखी गयीं जिनपर दिसम्बर 2009 से अप्रैल 2012 की अवधि के दौरान किराये के मद में ₹ 89 लाख व्यय हुआ।

कम्पनी ने अप्रचलित पुस्तकों के मद में ₹ 9.96 करोड़ की हानि वहन किया

इस प्रकार, कम्पनी को पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब तथा फलस्वरूप बि0शि0प0प0प0 द्वारा इसे स्वीकार न करने के साथ ही मुद्रित होने वाली पुस्तकों की आवश्यकता निर्धारण करने की त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण ₹ 9.96 करोड़ (₹ 9.07 करोड़ + ₹ 0.89 करोड़) की हानि हुई।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2012) कि समयबद्धता एवं अन्य कारणों जैसे कि स्थान का अभाव, पैकिंग की जटिल प्रकृति, संसदीय चुनाव तथा कुछ जिलों में बाढ़ आदि के कारण मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की सुपुर्दगी नहीं हो सकी। यह भी कहा गया कि 38.18 लाख पुस्तकें अन्य सरकारी विभागों को निःशुल्क आपूर्ति की गयी थी तथा शेष 10.62 लाख पुस्तकें जो क्षतिग्रस्त हो गये थे एवं जो प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं रह गए थे उनका निपटान नीलामी विक्रय द्वारा किया जा रहा था।

जैसा कि लेखापरीक्षा में प्रेक्षित किया गया कि पुस्तकों के अप्रचलित होने के मुख्य कारण मुद्रित होने वाली पुस्तकों की संख्या का अनुचित निर्धारण, पाठ्यक्रम में परिवर्तन के जानकारी के बाद भी सुपुर्दगी सीमा के अन्तर्गत पुस्तकों की सुपुर्दगी में विफलता तथा स्टॉक में पहले से ही उपलब्ध पुस्तकों का मुद्रण थे।

वित्तीय प्रबन्धन

सक्षम वित्तीय प्रबन्धन निधि पर सुदृढ़ नियन्त्रण प्रणाली स्थापित करने हेतु प्रदान की जाती है क्योंकि यह निर्णयन तथा उपलब्ध निधि के उत्तम उपयोग हेतु एक साधन के रूप में कार्य करता है। लेखापरीक्षा विश्लेषण ने वित्तीय प्रबन्धन में निम्न त्रुटियों को उद्घाटित किया।

लेखाओं के अन्तिमीकरण में बकाया

2.14 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 तथा 216 के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छः माह के अन्तर्गत अंशधारकों के वार्षिक आम सभा (ए0जी0एम0) में सी0ए0जी0 के पूरक टिप्पणियों सहित लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ कम्पनी की लेखा प्रस्तुत करना होता है।

कम्पनी ने वर्ष 1997–98 तक अपना लेखा अन्तिमीकृत किया था तथा 31 मार्च 2012 को इसकी लेखाओं के अन्तिमीकरण में 13 वर्षों (1998–99 से 2011–12) का बकाया था। लेखाओं का समय पर अन्तिमीकरण के अभाव में यह लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं हो सका कि वित्तीय लेनदेनों का उचित ढंग से लेखांकित किया गया तथा जिस उद्देश्य के लिए राशि वसूली गयी तथा व्यय की गयी, उसे प्राप्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब से न केवल धोखाधड़ी के जोखिम का भय होता है, बल्कि उत्तरदायी तथा जिम्मेवारी का निर्धारण भी नहीं हो पाता है।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2012) कि विलम्ब का कारण सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं करने के साथ ही झारखण्ड सरकार द्वारा कम्पनी में निदेशक/अंशधारी का मनोनयन नहीं होने से दिसम्बर 2007 से अप्रैल 2012 तक वार्षिक आम सभा नहीं होना था। इस सम्बन्ध में झारखण्ड सरकार से कोई प्रतिक्रिया पाने में विफल रहने पर कम्पनी ने कानूनी परामर्श लेने के बाद झारखण्ड सरकार द्वारा निदेशक मनोनित किए बिना 7 मई 2012 को वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जिसमें वर्ष 1997–98 का लेखा अंगीकार की गयी थी।

हमलोग जवाब से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि लेखाओं के बकाए की स्थिति समय–समय पर सरकार के संज्ञान में लायी गयी थी। कम्पनी की लेखाएँ 1998–99 से बकाया में थीं जिसके लिए नवम्बर 2007 तक वार्षिक आम सभा का आयोजन न होना बाधक नहीं था। दिसम्बर 2007 से अप्रैल 2012 की अवधि के दौरान वार्षिक आम सभा आयोजित करने के लिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सभा का आयोजन सम्भव था, पहले ही कानूनी सलाह ली जा सकती थी। तथ्य यह है कि प्रबन्धन ने बकायों को परिसमाप्त करने हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किया।

वित्तीय नियन्त्रण में त्रुटियाँ

2.14.1 हमलोगों ने वित्तीय नियन्त्रण में निम्नलिखित त्रुटियाँ प्रेक्षित कियाः

- कम्पनी में नकद/निधि प्रवाह विवरण की तैयारी की प्रणाली प्रचलन में नहीं थी।
- कम्पनी में कोई बजटिंग प्रणाली प्रचलन में नहीं थी।
- स्थायी परिसंपत्तियाँ पँजी का संधारण नहीं किया गया था।
- वर्ष 2007–12 के दौरान बैंक समाशोधन विवरणी कम्पनी द्वारा तैयार नही किया गया था। अनुसूचित बैंकों के चालू खाता में शेष के रूप में ₹ 30.54 लाख की

राशि चार वर्षों से अधिक समय से दिखाया जा रहा था जिसका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।

- ऋणदाता तथा ऋणों एवं अग्रिमों का उम्र–वार तथा दल–वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।
- विविध देनदारों, ऋणदाताओं तथा ऋणों एवं अग्रिमों इत्यादि से सम्बन्धित सहायक लेजर अद्यतन नहीं किया गया था।

बि0शि0प0प0 द्वारा विपत्रों पर विचार नहीं करना

2.14.2 कम्पनी बि0शि0प0प0 से प्राप्त माँग–पत्रों के अनुसार पाठ्य पुस्तकें मुद्रित करवाती है तथा बि0शि0प0प0 के निर्दिष्ट स्थानों पर पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करती है। इसके बाद, कम्पनी बि0शि0प0प0 को आपूर्ति की गई पाठ्य पुस्तकों की प्रतिपूर्ति हेतु विपत्र प्रस्तुत करती है। अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि कम्पनी ने वर्ष 2007–08 की अवधि में ₹ 64.82 करोड़ का विपत्र प्रस्तुत किया था जिसमें केवल ₹ 64.33 करोड़ की राशि पर बि0शि0प0प0 द्वारा भुगतान हेतु विचार किया गया, तथा शेष ₹ 0.49 करोड़ की राशि बि0शि0प0प0 द्वारा भुगतान नहीं किया गया। भुगतान हेतु उपर्युक्त राशि पर विचार नहीं करने का बि0शि0प0प0 द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया। इस प्रकार, सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में दावा वसूल करने में प्रयास की कमी के कारण वे अदत्त रहे।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2012) कि बकाए की वसूली हेतू बि0शि0प0प0 के साथ मामले को लिया जाएगा।

सेवा–कर की वसूली नहीं होना

अनुबन्ध के प्रावधान के विरुद्ध सेट–मेकर को ₹ 2.39 करोड़ के सेवा कर का भुगतान

2.14.3 बोली प्रलेख की उपवाक्य 19 (ब) के साथ पठित कम्पनी तथा सेट–मेकर/बोली लगाने वाले के बीच अनुबन्ध के उपवाक्य 2 (अ) के अनुसार सभी कर, चुंगी, सेवा कर तथा विलम्ब शुल्क इत्यादि जो पाठ्य–पुस्तकों की सुपुर्दगी के सम्बन्ध में व्यय किये गये हों, चाहे जिस कारण से भी हों, वे बोली लगाने वाले द्वारा वहन की जाएगी।

हमने प्रेक्षित किया (जून 2012) कि वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के लिए क्रमशः ₹ 1.02 करोड़ तथा ₹ 1.37 करोड़ निगम द्वारा सेट–मेकर/बोली लगाने वाले को विपत्र की राशि के अतिरिक्त सेवाकर के रूप में भुगतान की गई। अनुबन्ध में निहित शर्तों के अनुसार, सेवा कर का वहन बोली लगाने वाले द्वारा किया जाना था, अतः सेवा कर के मद में सेट–मेकरों को ₹ 2.39 करोड़ राशि का भुगतान मान्य नहीं था एवं जिसकी वसूली होनी चाहिए थी। तथापि, कम्पनी ने राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

प्रबन्धन ने कहा (नवंबर 2012) कि उपवाक्य 19 (ब), करों, चुंगी, सेवा कर इत्यादि के बारे में है जो पाठ्य–पुस्तकों की सुपुर्दगी के प्रसंग में है। दूसरे शब्दों में गोदाम मालिक को गोदाम–किराया, परामर्श शुल्क यदि कोई मशीनों के आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान की गई हो तथा ट्रक या लौरी के द्वारा पुस्तकों के परिवहन के लिए भुगतान किया जाने वाला भाड़ा जिस पर सेवा कर लगता है; उपवाक्य 19 (ब) के अनुसार बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जाना है। इस तरह से बोली लगाने वाला सेट बनाने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सेवा कर भारित करने का हकदार बनता है।

बोली प्रलेख की उपवाक्य 19 (ब) के अनुसार, सभी शुल्कों, चुंगी तथा करों इत्यदि सेवा कर सहित, का वहन बोली लगाने वाले द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त बोली प्रलेख की उपवाक्य 24 में यह स्पष्ट है कि बोली लगाने वाला प्रत्याशित बोली लगाने वाले के पटना स्थित गोदाम से सम्बन्धित प्रखण्डों तक सेट बनाए हुए किताबों को पहुँचाने तक में व्यय किए सभी करों, शुल्कों, अनुज्ञप्ति शुल्क, सभी तरह की बीमा, चुंगी इत्यादि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। इस प्रकार, कम्पनी ने उपर्युक्त उपवाक्य का उल्लंघन कर संवेदक/बोली लगाने वाले को सेवा कर के रूप में ₹ 2.39 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया।

मानव–शक्ति

निरर्थक मजदूरी का भुगतान

2.15 कम्पनी का मुख्य उद्देश्य पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, मुद्रण, विक्रय तथा आपूर्ति था। कम्पनी का मुद्रण प्रेस जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, दीर्घकाल से ही लगभग अक्रियाशील था। इसके अतिरिक्त, चूँकि मुद्रण प्रेस कार्य नहीं कर रहा था, कर्मियों का उपयोग उनकी बहाली के उद्देश्य के अनुसार नहीं किया जा सका।

कम्पनी के पास 31 मार्च 2012 को प्रेस इकाई में 89 कर्मी थे जो मुद्रण प्रेस के अक्रियाशील होने के कारण बेकार पड़े रहे। 89 कर्मियों में सिर्फ सात से 13 कर्मी बाह्य स्रोतों से कराए जाने वाले मुद्रण कार्य के अनुश्रवण में लगाये गये थे तथा शेष कर्मी प्रेस के अक्रियाशील होने के कारण बेकार पड़े रहे। हमारी संवीक्षा से यह उद्घाटित हुआ कि कम्पनी द्वारा वर्ष 2007–12 के दौरान वेतन/मजदूरी के मद में ₹ 20.76 करोड़ का व्यय किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2012) कि कर्मियों का उपयोग प्रकाशन इकाई तथा मुद्रकों/सेट मेकर के भवनों में पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा आपूर्ति के कार्य के अनुश्रवण में किया जा रहा था। कुछ कर्मियों की पदस्थापना शिक्षा विभाग में भी की गई है जो कम्पनी का नियन्त्रक विभाग है।

प्रबन्धन का जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि कम्पनी प्रेस की अक्रियाशील होने के कारण यह कर्मियों को लाभकारी ढंग से उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर सका जिसके लिए इनको नियोजित किया गया था। प्रबन्धन ने अनुश्रवण के लिए तथा शिक्षा विभाग में पदस्थापित कर्मियों का विस्तृत विवरण नहीं उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग में प्रेस कर्मियों की पदस्थापना तथा कम्पनी द्वारा उनके वेतन का भुगतान न्यायोचित नहीं है क्योंकि दोनों का अस्तित्व पूर्णतः अलग–अलग है।

आन्तरिक नियन्त्रण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक नियन्त्रण

2.16 आन्तरिक नियन्त्रण प्रबन्धन का एक अस्त्र है जो एक आश्वासन प्रदान करता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति मितव्ययिता, दक्षता एवं क्रमिक तरीके से की जा रही है। यह देखा गया कि कम्पनी की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

- कम्पनी ने प्रभावशाली शासन हेतु सूचनाओं/आँकड़ों के संग्रहण एवं संचयन हेतु कोई व्यापक प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली की व्यवस्था स्थापित नहीं की थी।
- कम्पनी की वार्षिक लेखाएँ वर्ष 1998–99 से ही बकाए में थे।

- कम्पनी के पास वार्षिक वित्तीय लेखओं को तैयार करने हेतु कोई लेखा नियमावली नहीं थी।
- भण्डारों एवं पुस्तकों इत्यादि का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इसलिए कमियों या अधिकता का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था और न ही इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता था।
- आर्थिक तथा भौतिक आँकड़ों के बीच सामंजस्य नहीं था।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.17 कम्पनी के पास 47 वर्षो से अधिक अस्तित्व में होने के बावजूद, अपनी आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी तथा कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा की जाती थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली भी तैयार नहीं की गई थी। हमारी संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए आपत्तियों का अनुपालन कम्पनी द्वारा नहीं किया गया।

अतः कम्पनी की कार्यशैली के सम्बन्ध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने हेतु आन्तरिक नियन्त्रण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा की सलाह के अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ कर लिया जाएगा।

निष्कर्ष

अनेक क्षेत्रों में कम्पनी के निष्पादन का स्तर आदर्श से कम पाया गया। यद्यपि कम्पनी का मूल क्रियाकलाप पाठ्य–पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन था, फिर भी इसका अपना मुद्रण प्रेस दीर्घकाल से अक्रियाशील था क्योंकि निधि की उपलब्धता के बावजूद अप्रचलित मुद्रण प्रेस के आधुनिकीकरण/उद्धरण/प्रतिस्थापन के लिए कम्पनी द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कम्पनी को मुद्रण के लिए निजी मुद्रकों के सेवाओं का आश्रय लेना पड़ा। हानि के सम्बन्ध में औपचारिक अनुबन्ध के अभाव में, कम्पनी हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड से क्षतिग्रस्त कागजों का मूल्य वसूलने में विफल रही। सर्वशिक्षा अभियान की समय सूची का पालन नहीं कर पाने के कारण बिहार शिक्षा परियोजना को पुस्तकों की आपूर्ति करने में विलम्ब हुआ जिसका परास 76 से 260 दिनों का था। कम्पनी को पुस्तकों की विलम्ब से आपूर्ति करने के कारण बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को परिहार्य दण्ड का भुगतान करना पड़ा जिसकी वसूली मुद्रकों/सेट–मेकरों से उनके साथ किए अनुबन्ध में निहित शर्त्तो के अनुसार नहीं की जा सकी। कम्पनी ने सामान्य विक्रय योजना के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का विक्रय बढ़ाने हेतु किसी ठोस विपणन नीति का प्रतिपादन नहीं किया था जिसके फलस्वरूप पुराने पुस्तकों तथा अन्तिम स्टॉक का संचयन हो गया था। वित्तीय नियन्त्रण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण पाया गया। कम्पनी के वर्ष 1998–99 से आगे के वार्षिक लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया गया था।

अनुशंसाएँ

कम्पनी के लिए आवश्यक है कि :

- पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं आपूर्ति के लिए निजी मुद्रकों पर निर्भरता मिटाने हेतु मुद्रण प्रेस के आधुनिकीकरण/उन्नयन/प्रतिस्थापन के मामले को प्रभावशाली तरीके से जारी रखे;
- मुद्रित तथा आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों की संख्या के निर्धारण के लिए नियोजन में सुधार तथा शैक्षणिक अवधि के शुरू होने से पहले मुद्रण तथा वितरण में समय–सारणी का अनुपालन करे;
- पुस्तकों का विक्रय बढ़ाने हेतु एक प्रभावशाली विपणन नीति प्रतिपादित करे;
- पाठ्य पुस्तकों की निम्न गुणवत्ता/विलम्ब से आपूर्ति के कारण लगाया गया जुर्माना गलती करने वाले मुद्रकों/सेट–मेकरों से वसूल करने का प्रयास करे;
- संविदा के प्रावधानों के अनुसार सेवा कर की वसूली करे; तथा
- वित्तीय एवं आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करे।

अध्याय - III

3.सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

3. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की विद्युत–शक्ति संचरण गतिविधि पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय – III

3. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की विद्युत–शक्ति संचरण गतिविधि पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

बिहार में विद्युत संचरण एवं ग्रिड परिचालन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित होता है। 31 मार्च 2007 को बोर्ड के पास 5559.05 सर्किट किलोमीटर (सी0के0एम0) एवं 67 अति उच्च विभव (ई0एच0टी0) सब–स्टेशन (एस0एस0) का संचरण नेटवर्क था जो कि 31 मार्च 2012 तक बढ़कर 6400 सी0के0एम0 एवं 7078 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम0भी0ए0) के स्थापित क्षमता के साथ 86 एस0एस0 हो गया। संचारित उर्जा की मात्रा जो 2007–08 में 7371.44 मिलियन युनिट (एम0यू0) था, बढ़कर 2011–12 में 10799.30 एम0यू0 हो गया। बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा संचरण गतिविधियों में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभाविता के निर्धारण के लिए की गई।

योजना एवं विकास

निष्पादन लेखापरीक्षा में ली गई अवधि में बोर्ड ने कोई राज्य विद्युत योजना (एस0ई0पी0) नहीं बनायी। साथ ही बिहार में संचरण तंत्र को बढ़ाने/सुदृढ़ करने हेतु बोर्ड द्वारा कोई भी वर्षवार अल्प अवधि योजना नहीं बनाई गई थी। यद्यपि, बिहार में संचरण तंत्र को मजबूत करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी0जी0सी0आई0एल0) के द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) बोर्ड के लिए बनाया गया था। आगे, बोर्ड ने भी उपर्युक्त अवधि में पाँच एस0एस0 एवं पाँच संचरण लाइन बनाने का निर्णय लिया था।

क्षमता विस्तार

एस0एस0 एवं लाइन की क्षमता बढ़ाने का कार्य अपने लक्ष्यों को नहीं पा सका क्योंकि पाँच वर्षों की अवधि में 30 एस0एस0 एवं 2202.30 सी0के0एम0 के ई0एच0टी0 लाईन लक्ष्य के विरुद्ध केवल 19 एस0एस0 एवं 841.16 सी0के0एम0 लाइनों का ही निर्माण हो सका। उक्त कमी परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण हुई।

परियोजना प्रबंधन

बोर्ड अपनी परियोजनाओं को समयानुसार पूर्ण नहीं कर सका। 2007–12 की अवधि में हमने चार से 78 महीनों की समयवृद्धि तथा ₹ 2.71 करोड़ की लागत वृद्धि के उदाहरण देखे। निविदा अंतिमीकरण में विलम्ब, रेलवे से अनुमोदन लेने में विलम्ब, आरेखन एवं प्रारूपों के अनुमोदन में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब इत्यादि लक्षित बढ़ोतरी की उपलब्धि में कमी के कारण थे

परिचालन एवं रख–रखाव

कुल संचरण क्षमता प्रत्येक वर्ष में आवश्यकता से अधिक थी। बोर्ड, उच्चतम एवं न्यूनतम वोल्टेज को मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने में विफल रहा। पटना मण्डल के 38 फीडरों में से आठ फीडर 366 एम्पीयर से अधिक भारित थे। आठ 220 किलो वोल्ट एस0एस0 (तीन एकल बस बार एस0एस0 एवं पाँच दोहरे बस बार एस0एस0) में से केवल चार एस0एस0 में ही बस बार सुरक्षा पैनल (बी0बी0पी0पी0) दिया गया था।

रख–रखाव

शक्ति ट्रान्सफॉर्मरों का निष्पादन

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में खराब हुए कुल 16 ट्रान्सफॉर्मरों में से दो में स्थापित सुरक्षा पद्धति के असफल होने के कारण आग लग गई एवं वे जल गए, चार ट्रान्सफॉर्मर उनके बुकहोल्ज और डिफरेंशियल रिले की विफलता के कारण खराब हो गए, दो वांइडिग की विफलता के कारण खराब हो गए, तथा शेष आठ आंतरिक गड़बड़ी के कारण खराब हुए, जिन्हें सावधिक जाँच एवं उचित रख–रखाव से टाला जा सकता था।

संचरण हानियाँ

संचरण हानियाँ 5.13 प्रतिशत एवं 9.75 प्रतिशत के बीच थी और 2011–12 तक के सभी पाँच वर्षों में सी0ई0ए0 एवं

बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत के मानक से अधिक थीं। 2007–08 से 2011–12 की अवधि में बोर्ड द्वारा मानकों से अधिक वहन की गई संचरण हानियाँ 1830.29 एम0यू0 थीं जिनका मूल्य ₹ 710.40 करोड़ था। सब–स्टेशन ट्रान्सफॉर्मरों द्वारा उपभोग की गई उर्जा का लेखांकन नहीं होना एवं पुराने ऊर्जा ट्रान्सफॉर्मरों द्वारा अत्याधिक रूपांतरण हानि, अधिक संचरण हानि के कारणों में सम्मिलित थे।

ग्रिड प्रबंधन

जून 2012 तक 86 सब–स्टेशनों एवं एक जेनेरेटर में से केवल आठ में (9.3 प्रतिशत) रिमोट टर्मिनल युनिट उपयोग होता हुआ पाया गया। साथ ही, 2007–12 में बोर्ड को पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र से 135 (अ प्रकार), 71 (ब प्रकार) एवं 79 (स प्रकार) के ग्रिड मानकों के उल्लंघन के संदेश प्राप्त हुए।

वित्तीय प्रबंधन

हमने पाया कि बोर्ड, टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं की संविदा मांग को बढ़ाने में विफल रहा जिसके कारण अल्प विपत्रीकरण हुआ और ₹ 11.67 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

आगे, बोर्ड ने उपभोक्ता से अनुबन्ध करने की प्रक्रिया में विलम्ब किया जिससे बोर्ड ₹ 8.08 करोड़ के राजस्व को प्राप्त करने से वंचित रह गया।

सामग्री प्रबंधन

बोर्ड के पास बड़ी मात्रा में अंतशेष स्टॉक था जो यह इंगित करता है कि बोर्ड की क्रय नीति दोषपूर्ण थी। 2007–08 से 2011–12 की अवधि में प्रतिमाह उपभोग के संदर्भ में अंतशेष स्टॉक 19 से 59 महीनों के लिए था।

भण्डार में स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं होना

भंडारों का भौतिक सत्यापन (पी0भी0) प्रत्येक वर्ष नहीं हो रहा था और यह केवल 2007–08 एवं 2011–12 में हुआ था। आगे, बोर्ड पर्यवेक्षण प्रतिवेदनों के आयोजन एवं स्क्रैप/अप्रचलित सामग्रियों को बेचने हेतु कोई प्रयास नहीं किया, जिससे राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी।

अनुश्रवण एवं नियंत्रण

एस0एस0 के परिचालन के अनुश्रवण के लिए लागू की गई प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) अपूर्ण थी। बोर्ड केबल को हटवाने के लिए निविदा को ससमय अन्तिमीकरण करने में विफल रहा और केबल की चोरी/क्षति और सुरक्षा के कारण उसे ₹ 1.50 करोड़ की हानि हुई।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

बोर्ड ने बिहार में संचरण तंत्र में वृद्धि/सुदृढ़ीकरण के लिए कोई वर्षवार योजना नहीं बनाई। संचरण तंत्र का परिचालन दक्षपूर्ण एवं प्रभावी नहीं था, जिसके कारण बोर्ड की संचरण हानि मानकों से अधिक थी, एस0एस0 का भोल्टेज स्तर तयसीमा के अन्दर नहीं रखा जा सका, फीडरों पर भार थर्मल भार सीमा से ज्यादा पाया गया था। बोर्ड की आपदा प्रबंधन सुविधाएँ अप्रर्याप्त थीं। बोर्ड का उर्जा लेखांकन प्रभावशाली नहीं था क्योंकि हानियों की उच्च प्रतिशतता तथा नकारात्मक हानियाँ पाई गई थीं। बोर्ड द्वारा उर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। अंतशेष स्टॉक की भारी मात्रा ने यह इंगित किया कि बोर्ड की क्रय नीति दोषपूर्ण थी। बोर्ड द्वारा स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और सर्वेक्षण करवाने एवं स्क्रैप/अप्रचलित सामग्रियों को बेचने हेतु कोई प्रयास नहीं किया। बोर्ड की अनुश्रवण तंत्र प्रभावशाली नहीं था जिसके कारण संचरण लाइन अनेक बार बंद हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा सात अनुशंसाएँ की गई हैं जिनमें अल्प अवधि और परिप्रेक्ष्य योजना का निर्माण, निर्माण कार्य में देरी को टालने हेतु टास्क फोर्स की अनुशंसाओं पर अमल, संचरण तंत्र का मानकों के अनुरूप परिचालन, संचरण हानि को कम करने हेतु प्रभावशाली उपायों को लागू करना, समुचित आपदा प्रबंधन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्रय संभाग एवं अनुश्रवण क्रियाकलापों में सुधार सम्मिलित हैं।

परिचय

3.1 भारत सरकार ने, 2012 तक सभी को विश्वसनीय एवं गुणवत्ता पूर्ण विद्युत की आपूर्ति हेतु फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन0ई0पी0) बनाई, जिसमें यह कहा गया कि संचरण तंत्र के लिए समुचित एवं ससमय निवेश की आवश्यकता है इसके अलावा देश के लिए एक मजबूत एवं समग्र विद्युत–शक्ति तंत्र का विकास करने के लिए दक्ष एवं समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। इसने केन्द्रीय/राज्य संचरण उपदेयताओं के समन्वय से राष्ट्रीय एवं राज्य ग्रिड के विकास की आवश्यकता को भी चिन्हित किया।

बिहार में विद्युत का संचरण एवं ग्रिड का परिचालन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित होता है जिसको यह शक्ति प्रदत्त है कि वह एक दक्ष, समुचित एवं उचित समन्वित ग्रिड प्रबंधन और विद्युत संचरण प्रदान करे। बोर्ड, बिहार सरकार के उर्जा विभाग को प्रतिवेदित करता है। बोर्ड का गठन विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अंतर्गत 1958 में हुआ था। बोर्ड बिहार में विद्युत उत्पादन, वितरण एवं संचरण की गतिविधियों में संलिप्त है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 172 के अनुसार बोर्ड, जिसका गठन खारिज किए गए कानून के तहत हुआ था, ही राज्य संचरण उपयोगिता (एस0टी0यू0) के रूप में अनुमान्य होगा एवं अधिनियम के नियमों के अंतर्गत 10 जून 2003, जो कि नियुक्ति की तिथि है, से एक वर्ष की अवधि तक एक अनुज्ञप्तिधारक होगा। बिहार सरकार के समय–समय पर किए गए निवेदन पर उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने बोर्ड को 31 दिसम्बर 2012 तक एक एस0टी0यू0 एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारक के रूप में कार्य करने पर सहमति (अगस्त 2012) प्रदान की है।

3.2 बोर्ड का प्रबंधन, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त सात सदस्यों वाले बोर्ड में निहित है। दैनिक परिचालन बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा सदस्य (प्रशासन), सदस्य (वित्त एवं राजस्व), सदस्य (संचरण), सदस्य (उत्पादन) एवं सचिव की सहायता से किया जाता है। 2007–08 की अवधि में बोर्ड द्वारा 7371.44 मिलियन यूनिट (एम0यू0) की उर्जा संचारित की गई थी जो कि 2011–12 में बढ़कर 10799.30 एम0यू0 हो गई, अर्थात् 2007–12 की अवधि में 47.18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। 31 मार्च 2012 को बोर्ड के पास 6400 सर्किट किलोमीटर (सी0के0एम0) एवं 86 सब–स्टेशन (एस0एस0) जिनकी स्थापित क्षमता 7078 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम0भी0ए0) (2450 एम0भी0ए0 200/132 के0भी0 पर एवं 4628 एम0भी0ए0 132/33 के0भी0 पर) थी, जो कि 220 के0भी0 पर 15023.40 एम0यू0 वार्षिक संचारित करने में समर्थ था। 2011–12 में बोर्ड का टर्न ओवर ₹ 5268.79 करोड़ था, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत के समान था। 31 मार्च 2012 को बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या 10278 थी।

बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

3.3 विद्युत–शक्ति क्षेत्र में सुधार के अंश के रूप में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) का विघटन होना था। बिहार सरकार ने पाँच कंपनी अर्थात् बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को गठित एवं परिचालित करने का निर्णय लिया (मार्च 2012)। इन कंपनियों ने अपना व्यापार 01 नवम्बर 2012 के प्रभाव से आरंभ किए।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की अपूर्ण संचरण योजना पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2003 के भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में शामिल किया गया था। प्रतिवेदन पर लोक उपक्रम समिति ने जुलाई 2010 में विचार विमर्श किया था।

लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं कार्य पद्धति

3.4 अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 के दौरान किए गए वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक की अवधि को सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा जाँच में बोर्ड के मुख्यालय के विभिन्न अनुभाग, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस0एल0डी0सी0), राज्य में स्थापित सात अंचलों में से पाँच[1] अंचल और 16 संचरण प्रमंडलों में से आठ प्रमंडलों[2] के अभिलेखों की संवीक्षा सम्मिलित है।

बोर्ड ने निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में 19 सब–स्टेशन (एस0एस0) (क्षमताः 940 एम0भी0ए0) एवं 28 लाइनों (क्षमता : 841.16 सी0के0एम0) (पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी0जी0सी0आई0एल0) द्वारा बनाए गए 15 एस0एस0 एवं 24 लाइनों, जो बोर्ड के बदले बनाए गए, को मिलाकर) का निर्माण किया था इसके साथ–साथ निवर्त्तमान रूपांतरण क्षमता में 1660 एम0भी0ए0 की वृद्धि भी की थी। चार एस0एस0 एवं चार लाइनों (लंबाई : 52 सी0के0एम0) जो बोर्ड ने बनाए थे, में से दो एस0एस0 (क्षमता : 80 एम0भी0ए0) तथा चार लाइनों (लम्बाई : 52 सी0के0एम0) एवं निवर्त्तमान रूपांतरण क्षमता में 170 एम0भी0ए0 की वृद्धि की जाँच की गई। नमूनों का चुनाव प्रमण्डलों में कार्यरत एस0एस0 की क्षमता के आधार पर, रैंडम चुनाव पद्धति से किया गया था।

लेखापरीक्षा मापदंड के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनाये गए कार्य पद्धति में बोर्ड के उच्च अधिकारियों को प्रवेश सम्मेलन में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, मुख्यालय एवं चयनित इकाइयों के कर्मियों से पारस्परिक विचार–विमर्श, लेखापरीक्षा मानदंडों के संदर्भ में आकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना, प्रबंधन से लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर विचार–विमर्श तथा प्रबंधन/सरकार को उनके टिप्पणी हेतु प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा जारी करना शामिल है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

3.5 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या :

- राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना एवं बिहार विद्युत विनियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार परिप्रेक्ष्य योजना बनाई गई थी और विफलता, अगर कोई है तो, उसका योजना पर प्रभाव का निर्धारण;
- संचरण तंत्र मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभाविता के साथ विकसित एवं स्थापित किया गया था;
- संचरण तंत्र के परिचालन एवं रख–रखाव का कार्य मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभाविता के साथ किया गया था;

1 विद्युत संचरण अंचल पटना, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, गया तथा डेहरी–ऑन–सोन

2 विद्युत संचरण प्रमण्डल खगौल, पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, हाजीपुर, बिहारशरीफ, गया तथा डेहरी–ऑन–सोन

- आकस्मिक रुकावटों के विरुद्ध इसके परिचालन की सुरक्षा हेतु आपदा प्रबंधन तंत्र का गठन किया गया था;
- प्रभावी उर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा प्रचलित था;
- ससमय विपत्रों को जारी करने एवं वसूली करने के उद्देश्य के लिए एक प्रभावी एवं दक्ष वित्तीय प्रबंधन तंत्र था;
- दक्ष एवं प्रभावी सामग्री प्रबन्धन तंत्र मौजूद था;
- ग्रिड कोड मानकों के अनुसार सब–स्टेशनों एवं लाइनों का निष्पादन एवं प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन बनाने की क्रिया की समीक्षा हेतु एक अनुश्रवण प्रणाली प्रचलित थी।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

3.6 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदंड थे :

- राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना के अधिनियम तथा राष्ट्रीय दर नीति;
- बोर्ड की परियोजना प्रतिवेदन एवं परिप्रेक्ष्य योजना;
- मितव्ययिता, दक्षता, प्रभाविता, समानता एवं नैतिकता के सिद्धांतों के संदर्भ में संविदा देने की मानक प्रक्रिया;
- संचरण परियोजनाओं को लागू करने के विवेचनात्मक विश्लेषण हेतु उर्जा मंत्रालय द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स का प्रतिवेदन;
- संचरण योजना मानदंड (एम0टी0पी0सी0) का मैनुअल जैसे की ए0सी0ए0आर0 पैंथर कन्डक्टर हेतु 366 एम्पीयर का थर्मल भार सीमा;
- योजना, परिचालन युक्त तकनीकी इन्टरफेस का कोड (सी0टी0आई0)/ग्रिड कोड, संबंध कोड जैसे की 220 के0भी0 एस0एस0 के लिए 198–245 के0भी0 तथा 132 एस0एस0 के लिए 119–145 के0भी0 का वोल्टेज स्तर, बस बार सुरक्षा पैनल की स्थापना जैसे नियंत्रण उपाय, आदि;
- संचरण हानि के संबंध में बी0ई0आर0सी0/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी0ई0ए0) द्वारा जारी किए गए मानक/दिशा निर्देश;
- ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित कमिटी का प्रतिवेदन जिसमें ''संचरण में सर्वोत्तम प्रयास'' अनुशंसित थे; तथा
- पूर्वी क्षेत्र पावर कमिटी (ई0आर0पी0सी0) / पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (इ0आर0एल0डी0सी0) के प्रतिवेदन।

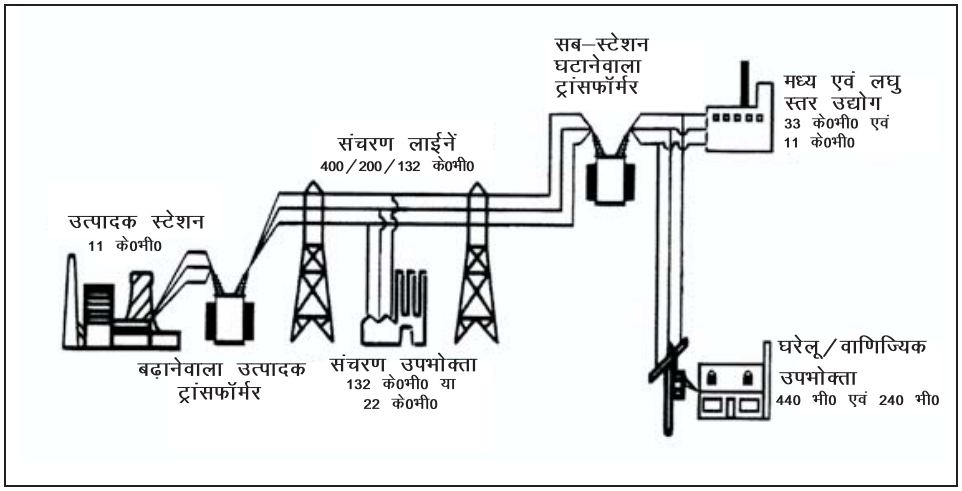
संचरण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

3.7 विद्युत के संचरण को उच्च वोल्टेज, सामान्यतः 132 के0भी0 और उससे ऊपर लंबी दूरी तक स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया गया है। अपेक्षाकृत निम्न वोल्टेज पर उत्पादन प्रतिष्ठान से उत्पादित विद्युत–शक्ति को इसके संचरण से पहले उच्च वोल्टेज पर लाया जाता है ताकि संचरण में हानि को कम किया जा सके और ग्रिड की

दक्षता को बढ़ाया जा सके। सब–स्टेशन (एस0एस0), उच्च वोल्टेज विद्युत तंत्र के अंतर्गत वे सुविधा होते हैं जिनका उपयोग वोल्टेज को एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ाने घटाने, विद्युत तंत्रों को जोड़ने और उपकरणों को तंत्र के अंदर और बाहर ले जाने के लिए होता है। उत्पादन प्रतिष्ठानों में स्थापित एस0एस0 लंबी दूरी तक संचरण हेतु वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रान्सफॉर्मरों का उपयोग करते हैं।

संचरण लाइनें उच्च वोल्टेज विद्युत–शक्ति का वहन करती हैं। तत्पश्चात घटाने वाले संचरण एस0एस0, उपभोक्ताओं को वितरण हेतु वोल्टेज को उप संचरण वोल्टेज स्तर तक घटाते हैं। नियत वोल्टेज पर विद्युत पहुँचाने के लिए वितरण तंत्र की आवश्यकता होती है जिसमें तार, खम्भे, ट्रान्सफॉर्मर एवं अन्य उपकरण शामिल हैं।

विद्युतीय उर्जा को संरक्षित नही किया जा सकता है, इसलिए उत्पादन, शक्ति की माँग के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार, प्रत्येक संचरण तंत्र को विद्युत–शक्ति उत्पादन की माँग से नजदीकी संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु एक परिष्कृत नियंत्रक तंत्र की आवश्यकता है जिसे ग्रिड प्रबंधन कहते हैं। संचरण प्रक्रिया का एक सचित्र प्रदर्शन नीचे दिया गया है:



लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.8 हमने 18 अप्रैल 2012 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में बोर्ड को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया, तत्पश्चात् लेखा–परीक्षा निष्कर्षों को सितम्बर 2012 में बोर्ड एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया और उनपर 29 नवम्बर 2012 को आयोजित निकास सम्मेलन में विचार–विमर्श किया गया। निकास सम्मेलन में उपसचिव, उर्जा विभाग, बिहार सरकार, अध्यक्ष एवं बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। निष्पादन लेखापरीक्षा का अंतिमीकरण करते समय बोर्ड द्वारा व्यक्त मतों पर विचार किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अगले कंडिकाओं में की गई है।

योजना एवं विकास

राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना

3.9 अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के समन्वय से राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आधारित नेटवर्क की नीति एवं विकास में केन्द्रीय संचरण उपादेयताओं (सी0टी0यू0) एवं राज्य संचरण उपादेयताओं (सी0टी0यू0) की अहम जिम्मेदारी होती है। दसवीं योजना के अंत

(मार्च 2007) तक देश का संचरण तंत्र 765/एच0भी0डी0सी0/400/230/220 के0भी0 पर 1.98 लाख सर्किट किलोमीटर (सी0के0एम0) के संचरण लाइनों का था जिसको ग्यारहवीं योजना अर्थात् मार्च 2012 तक बढ़ाकर 2.93 लाख सी0के0एम0 तक करने की योजना थी। राष्ट्रीय विद्युत योजना ने 2006–07 के अंत तक अंतःक्षेत्रीय संचरण क्षमता के कुल 14100 मेगा वाट (एम0डब्लू0) होने का आकलन किया था तथा आगे ग्यारहवीं योजना में 23600 एम0डब्लू0 जोड़ने की योजना बनाई जिससे कुल अंतर्देशीय क्षमता 37,700 एम0डब्लू0 हो जाए।

इसी प्रकार, 2007–08 के प्रारंभ में बोर्ड के संचरण नेटवर्क में 4478 एम0भी0ए0 की संचरण क्षमता के साथ 67 अति उच्च विभव (ई0एच0टी0) एस0एस0 एवं 5559.05 सी0के0एम0 की ई0एच0टी0 संचरण लाइनें शामिल थीं। 31 मार्च 2012 को संचरण नेटवर्क में 7078 एम0भी0ए0 की संचरण क्षमता के साथ 86 ई0एच0टी0 एस0एस0 एवं 6400 सी0के0एम0 की ई0एच0टी0 संचरण लाइनें शामिल थीं जो कि वर्ष 2007–08 की तुलना में 28.36, 58 एवं 15.13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्शाती थीं।

बिहार में संचरण तंत्र की वृद्धि/सुदृढ़ीकरण के लिए बोर्ड ने न तो राज्य विद्युत योजना बनाई एवं न ही वर्षवार लघु अवधि योजना बनाई

अन्तर्राज्यीय संचरण तंत्र की योजना एवं विकास के लिए एस0टी0यू0 जिम्मेदार थी। क्षमता वृद्धि की योजना के लिए मांग का आकलन एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। हमने यह देखा कि निष्पादन लेखापरीक्षा में ली गई अवधि में बोर्ड ने कोई राज्य विद्युत योजना (एस0ई0पी0) नहीं बनाई। आगे, बिहार में संचरण तंत्र में वृद्धि/सुदृढ़ीकरण के लिए बोर्ड ने वर्षवार अल्प अवधि योजना नहीं बनाई थी। यद्यपि, बिहार में उप–संचरण तंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी0जी0सी0आई0एल0) ने, बोर्ड के लिए, 2007–08 से 2011–12 के दौरान सब–स्टेशन की क्षमता एवं संचरण लाईन में वृद्धि की योजना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (फेज–II, भाग–I एवं भाग–II) तैयार किया जिसमें 25 एस0एस0 (1740 एम0भी0ए0), 50 लाइनों (1967.30 सी0के0एम0) तथा 1630 एम0भी0ए0 की क्षमता वृद्धि की योजना थी। आगे, बोर्ड ने भी उपर्युक्त अवधि में पाँच एस0एस0 एवं पाँच संचरण लाइनों (लंबाई : 235 सी0के0एम0) के निर्माण का निर्णय लिया।

बोर्ड ने, जवाब में, यह माना (अक्टूबर 2012) कि बिहार में संचरण तंत्र में वृद्धि/सुदृढ़ीकरण हेतु बोर्ड ने वर्षवार योजना नहीं बनाई थी। किन्तु पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर एक समग्र योजना बिहार में संचरण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई थी जिसको अनुबन्ध करने की तिथि से 18 से 30 महीनों के अंदर समाप्त करना था।

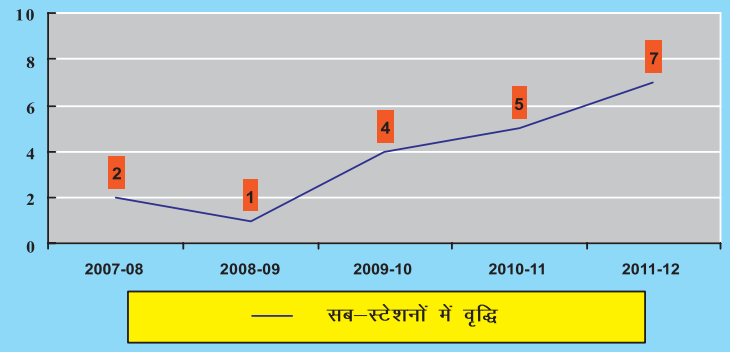
संचरण नेटवर्क एवं इसका विकास

3.10 2007–08 से 2011–12 की अवधि में ई0एच0टी0 स्तर पर बोर्ड की संचरण क्षमता को ***परिशिष्ट–7*** में दर्शाया गया है।

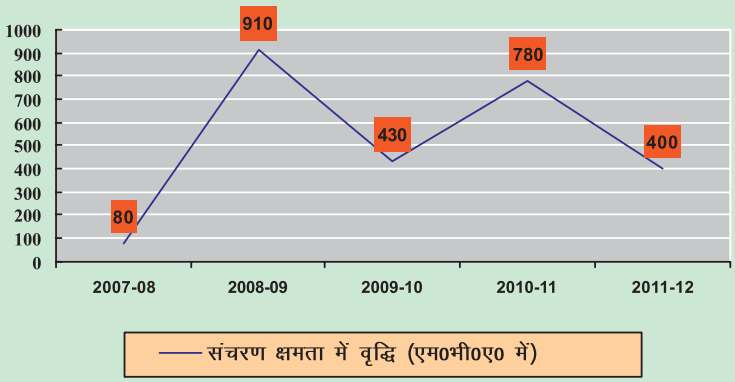
परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि सब स्टेशनों में वृद्धि, क्षमता विस्तार, एवं नए संचरण लाइनों के निर्माण हेतु बोर्ड द्वारा वर्षवार योजना नहीं बनाई गई थी।

हमने देखा कि 30 ई0एच0टी0, एस0एस0 के लक्षित निर्माण एवं 2202.30 सी0के0एम0 के ई0एच0टी0 लाईनों को बिछाने के (जिसमें 25 एस0एस0 एवं 1967.30 सी0के0एम0 लाइनों का निर्माण पी0जी0सी0आई0एल0 को करना था, सम्मिलित है) के विरूद्ध, बोर्ड/पी0जी0सी0आई0एल0 नें पाँच वर्ष की अवधि में 19 ई0एच0टी0 एस0एस0 एवं 841.16 सी0के0एम0 लाइनों का निर्माण क्रमशः 63 प्रतिशत एवं 38 प्रतिशत उपलब्धि के साथ किया। 2011–12 तक अंत हुए पाँच वर्षों की अवधि में संचरण की क्षमता के 4060 एम0भी0ए0 (3370 एम0भी0ए0 पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा तथा 690 एम0भी0ए0 बोर्ड द्वारा) की वृद्धि की योजना के विरूद्ध 2600 एम0भी0ए0 की वृद्धि की गई।

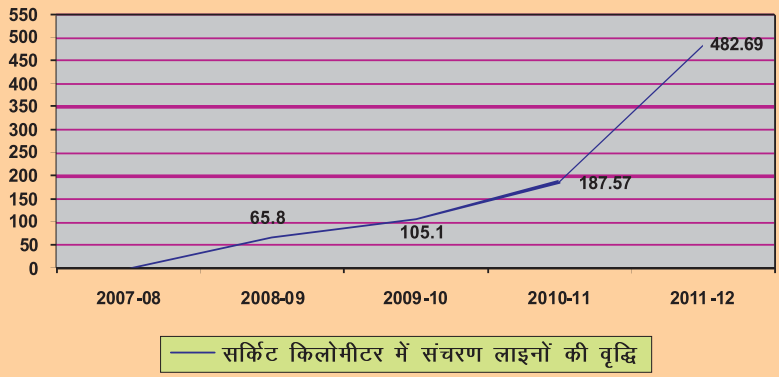
लाइन ग्राफ : सब स्टेशनों की संख्या में वृद्धि



लाइन ग्राफ : संचरण क्षमता में वृद्धि (एम0भी0ए0 में)



लाइन ग्राफ : सर्किट किलोमीटर में लाइनों की वृद्धि



हमारी लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि लक्षित वृद्धि की उपलब्धि में कमी के मुख्य कारण परियोजनाओं का विभिन्न कारणों से विलम्ब से पूर्ण होना था, जिसके विभिन्न कारण थे, जैसे कि भू–अधिग्रहण में विलम्ब, मार्ग के अधिकार में परेशानी, रेलवे से अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब, निविदा के अन्तिमीकरण में विलम्ब आदि। कारणों की कंडिका संख्या 3.12, 3.13 एवं 3.14 में विस्तृत चर्चा की गई है।

बोर्ड ने माना (अक्टूबर 2012) कि मुख्य रूप से वैसे मुद्दे, जो बोर्ड के नियंत्रण में नहीं थे, जैसे भू–अधिग्रहण में विलम्ब, स्थानीय लोगों द्वारा व्यवधान तथा आर0ओ0डब्लू0 समस्या, के कारण लक्षित वृद्धि में कुछ कमी और समय में वृद्धि हुई। निविदा अन्तिमीकरण में विलम्ब, रेलवे से अनुमोदन में विलम्ब, आरेखन एवं प्रारूपों को अनुमोदन आदि जैसे कारण नियंत्रणाधीन थे तथा इनको कुशल समन्वय एवं ससमय प्रयासों से टाला जा सकता था।

संरचना तंत्रों का परियोजना प्रबंधन

3.11 विचार से स्थापना तक संचरण परियोजना में विभिन्न गतिविधियाँ संलिप्त रहती हैं। संचरण परियोजना की मुख्य गतिविधियाँ हैं (i) परियोजना बनाना (ii) मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण तथा (iii) परियोजना क्रियान्वयन चरण। परियोजना निर्माण अवधि में कमी करने के लिए उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने संचरण परियोजनाओं पर एक कार्य दल का गठन किया (फरवरी 2005) जिसका उद्देश्य था :

- संचरण परियोजना लागू करने में महत्वपूर्ण तत्वों का विश्लेषण,
- सी0टी0यू0 एवं एस0टी0यू0 के अच्छे प्रयासों को लागू करना, तथा
- 24 महीनों की अवधि के लिए एक नमूना संचरण परियोजना कार्यक्रम का सुझाव देना।

कार्य दल ने संचरण तंत्र को तीव्र गति से पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित सुझाव एंव अनुशंसाएँ दीं (जुलाई 2005)।

- कार्य की तैयारी से सम्बन्धित गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, प्रारूप एवं जाँच, वन एवं अन्य वैधानिक अनुमतियाँ, निविदा प्रक्रिया आदि को परियोजना आकलन एवं अनुमोदन के चरण से पहले/समानान्तर ही करना तथा संचरण लाइन परियोजना का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ करना।
- संचरण परियोजनाओं को स्पष्ट परिभाषित पैकेजों में इस प्रकार बाँटना जिससे कि पैकेजों की अधिप्राप्ति एवं उनको लागू कम से कम समन्वय एवं अन्तरापृष्ठ से किया जा सके एवं साथ ही वह प्रतियोगिता आकर्षित करे जिससे लागत प्रभावी अधिप्राप्ति हो सके।
- टावर निर्माण के प्रारूपों का मानक बनाया जाए जिससे परियोजना क्रियान्वयन में छः से 12 महीने बचाए जा सके।

3.12 हमने देखा कि बोर्ड ने सभी निर्माण परियोजनाओं को टर्न–की के आधार पर करवाया जिसमें कि कार्य से पूर्व की विभिन्न गतिविधियाँ जैसे सर्वेक्षण, प्रारूप एवं जाँच, वन एवं अन्य वैधानिक अनुमतियाँ, आदि को संवेदकों से ही करवाया गया जो कि कार्य

दल के सुझावों के विपरीत था जिसके फलस्वरूप परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ।

परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने हेतु कार्य दल द्वारा दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के बावजूद बोर्ड बहुत सारे एस0एस0 एवं लाइनों का क्रियान्वयन करने में विफल रहा जैसा कि नीचे वर्णित है :

क्षमता (के0भी0) में	कुल निर्मित की संख्या		निर्माण में विलम्ब (संख्या)		लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की संख्या		समय वृद्धि [3] (महीनों में)		लागत वृद्धि (₹ करोड़ में)	
	एस0 एस0	लाइन	एस0 एस0	लइन	एस0 एस0	लाइन	एस0एस0	लाइन	एस0एस0	लाइन
220	01	02	01	02	-	-	-	-	-	-
132	18	26	17	26	02	04	72 से 78	4 से 72	4.12	2.71
कुल	**19**	**28**	**18**	**28**	**02**	**04**			**4.12**	**2.71**

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में निर्माण किए गए कुल 19 एस0एस0 एवं 28 संचरण लाइनों में से, 15 एस0एस0 एवं 24 संचरन लाइनों का निर्माण पी0जी0सी0आई0एल0 ने बोर्ड के लिए किया था जिनमें से 14 एस0एस0 एवं 24 संचरण लाइनें दो से 38 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुई थीं। बोर्ड ने उक्त अवधि में शेष चार एस0एस0 एवं चार संचरण लाईनों का निर्माण चार से 78 महीने के विलम्ब से पूर्ण किया।

एस0एस0 एवं संचरण लाइनों के निर्माण में विलम्ब के कारणों में, जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया था, बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण एवं मिट्टी जाँच प्रतिवेदनों का विलम्ब से अनुमोदन, मार्ग के अधिकार की समस्या, भू–अधिग्रहण में विलम्ब, निविदा अंतिमीकरण एवं कार्य आदेश निर्गत करने में बिलम्ब, संवेदकों द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब, रेलवे से ससमय अनुदान नहीं प्राप्त करना, आदि थे। साथ ही टावर निर्माण का मानक प्रारूप भी बोर्ड द्वारा नहीं बनाया गया था जिसके कारण परियोजनाएँ विलम्बित हुईं।

एस0एस0, संचरण लाइनों एवं अन्य निर्माण परियोजनाओं में हुए समय एवं लागत वृद्धि के कुछ उदाहरणों की विस्तृत चर्चा नीचे की गई है :

शेरघाटी में सब–स्टेशन के निर्माण में लागत एवं समय वृद्धि

3.13 टर्न–की के आधार पर शेरघाटी में एक 40 एम0भी0ए0 एस0एस0 तथा उससे संबंधित गया से शेरघाटी तक 132 के0भी0 लाइन के ₹ 14 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर निर्माण के लिए, दिसम्बर 2003 में निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) निर्गत की गई। एन0आई0टी0 के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, बोली की वैधता की अवधि, बोली की तकनीकी एवं वित्तीय भाग के खुलने की तिथि से 180 दिनों तक थी। एन0आई0टी0 के प्रत्युत्तर में एक बोली (मेसर्स आलस्तोम इंडिया लिमिटेड) प्राप्त हुई (जनवरी 2004)। बोली लगाने वाले ने ₹ 18.46 करोड़ का दर लगाया था। बोर्ड ने वैधता अवधि (जुलाई 2004 तक) में निविदा के अंतिमीकरण करने के बजाय फर्म को दर वार्ता के लिए आमंत्रित (दिसम्बर 2004) किया और फर्म से निविदा की वैधता अवधि को बढ़ाने का निवेदन किया जिसे बोली लगाने वाले ने सामाग्रियों को लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया। बोर्ड ने ₹ 21.50 करोड़ का संशोधित

[3] लेखापरीक्षा में किए गए नमूना जाँच

प्राक्कलित लागत पर एक नया निविदा प्रकिया आरंभ करने का निर्णय लिया (जून 2005), किन्तु दूसरी निविदा के प्रत्युत्तर में कोई भी बोली नहीं प्राप्त हुई। बोर्ड ने पुनः निविदा आमंत्रित की (जुलाई 2006) तथा अंततः कार्य को ₹ 22.14 करोड़ की लागत पर आवंटित कर दिया (मई 2008)। कार्य को कार्य आवंटन की तिथि से 18 महीने के अंदर पूर्ण करना निर्धारित था। कार्य को जनवरी 2012 में प्रथम एन0आइ0टी0 की वैधता अवधि की तिथि से छः वर्षों बाद पूर्ण किया गया। आगे, कार्य कार्यादेशानुसार पूर्णता की अनुसूचित तिथि से 14 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुआ। इसके फलस्वरूप ₹ 3.68 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

बोली की वैधता अवधि के अंदर निविदा का अंतिमीकरण नहीं करने के कारण एस0एस0 छः वर्षों के विलम्ब से पूर्ण हुआ तथा लागत में ₹ 3.68 करोड़ की वृद्धि हुई

हमने पाया कि बोर्ड, एकल निविदाकर्ता, जिसका प्रस्तावित दर प्राक्कलित लागत से अधिक था, को प्रथम निविदा की वैधता अवधि के दौरान कार्य आदेश आवंटित करने के संबंध में निर्णय लेने में विफल रहा।

इस प्रकार निविदा के वैधता अवधि में अंतिमीकरण नहीं करने के कारण, परियोजना प्रारंभ होने से पूर्व ही साढ़े तीन वर्षों से अधिक विलम्बित हो गई तथा बोर्ड को परियोजना पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2012) कि एक बोली प्राप्त हुई तथा मूल्य भाग में भिन्नता के साथ अधिक उच्च दर प्राप्त हुआ। अंततः फर्म को दर वार्ता के लिए बुलाया गया किन्तु फर्म ने दर कम करने से मना कर दिया और निविदा को खारिज कर दिया गया। उत्तर यह नहीं बताता है कि बोली की वैधता अवधि में निविदा का अंतिमीकरण क्यों नहीं किया गया। आगे एन0आई0टी0 में दी गयी प्राक्कलित राशि मत जानने के प्रयोजन से थी एवं उसकी तुलना बोली से करना उचित नहीं था। दर में अनियमितता के संबंध में निविदाकर्ता ने स्पष्टीकरण वैधता अवधि के समाप्त होने से पहले ही दे दी थी तथा अंततः कार्य को एकल निविदाकर्ता को आवंटित किया गया।

मसौढ़ी में सब–स्टेशन का अनियोजित निर्माण

3.14 मसौढ़ी में एक 40 एम0भी0ए0 की क्षमता का एस0एस0 का निर्माण करने के लिए बोर्ड, मेसर्स भोजपुर कन्स्ट्रक्सन प्रा0 लि0 (संवेदक) को ₹ 5.12 करोड़ की लागत से एक कार्य आदेश निर्गत (अगस्त 2000) किया। कार्य के लिए सामग्रियों की आपूर्ति बोर्ड को करनी थी। कार्य आदेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने की अनुसूचित अवधि 15 महीने अर्थात् अक्टूबर 2001 थी।

कार्य को एक तिहाई पूर्ण करने के बाद, संवेदक ने कार्य को ढाँचा, आधार का प्रारूप तथा ट्रान्सफॉर्मर/ब्रेकर के आरेखन की अनुपलब्धता, विपत्रों के भुगतान में विलम्ब आदि कारणों से बंद कर दिया (नवम्बर 2001)। बोर्ड ने, मार्च 2005 में, बिहार सरकार से ₹ पाँच करोड़ मिलने के बाद संवेदक से शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण करने का पुनः निवेदन किया। संवेदक ने मूल्य वृद्धि की मांग की जिसे बोर्ड ने अस्वीकार कर दिया। बोर्ड ने एस0एस0 का निर्माण विभागीय रूप से करवाने का निर्णय लिया तथा उसे ₹ 6.86 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया (मई 2008)।

बिना उचित नियोजन किए कार्यादेश प्रदान करने के कारण सब–स्टेशनों के निर्माण–कार्य में छः वर्षों से अधिक विलम्ब हो गया था, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.74 करोड़ की लागत वृद्धि हुई

हमने पाया कि निधि उपलब्ध कराने में बिहार सरकार से चूक हुई जिससे क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ। साथ ही, बोर्ड ने भी बिना आवश्यक प्रारूपों/आरेखनों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किए ही कार्य प्रारंभ किया जो कि बोर्ड की अनुचित योजना का द्योतक था।

इस प्रकार, बिना समुचित योजना के कार्य आवंटित करने से एस0एस0 का कार्य छः वर्षों से अधिक से विलंबित हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 1.74 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2012) कि विभिन्न कारणों जैसे ऊर्जा ट्रान्सफॉर्मर की अनुपलब्धता, निधि की कमी, एवं निर्माण सामग्री को ले जाने में कठिनाई, आदि से मसौढ़ी एस0एस0 के निर्माण का कार्य कई बार विस्तारित किया गया तथा ससमय स्थापित नहीं किया जा सका और सामग्रियों के मूल्य बढ़ने के कारण लागत वृद्धि वहन किया गया। तथ्य यह है कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन का प्रारंभ समुचित निधि एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना करना बोर्ड की अनुचित योजना का द्योतक है।

परिहार्य व्यय

3.15 बिहार सरकार (जी0ओ0बी0), पी0जी0सी0आई0एल0, उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जी0ओ0आई0) तथा बोर्ड के मध्य हस्ताक्षरित (मई 2006) अनुबंध के अनुसार, बिहार शरीफ में 220/132 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर0 एण्ड एम0) कार्य बोर्ड द्वारा होना था। उपर्युक्त कार्य के लिए कुल ₹ 26.89 करोड़ की निधि उपलब्ध थी। बोर्ड ने बिहारशरीफ में ग्रिड सब–स्टेशन के आर0 एण्ड एम0 का कार्य मेसर्स टेक्नो इलेक्ट्रिक एवं इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को ₹ 29.26 करोड़ की लागत पर आवंटित (सितम्बर 2008) किया। कार्य क्षेत्र में एक नया 20 एम0भी0ए0 132/33 के0भी0 ₹ 2.01 करोड़ के मूल्य के ट्रान्सफॉर्मर की स्थापना भी सम्मिलित थी जिसकी स्थापना केवल सब–स्टेशन ट्रान्सफॉर्मर (630 के0भी0ए0×2) को प्रकाश एवं अन्य सहायक उपयोग हेतु 33 के0भी0 पर आपूर्ति करने के लिए किया जाना था।

आगे, उपर्युक्त अनुबंध के अनुसार, बिहार में वर्तमान में स्थापित एस0एस0 की क्षमता वृद्धि का कार्य भी पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा किया जा रहा था जिसमें कम क्षमता वाले ट्रान्सफॉर्मर को बदल कर उच्च क्षमता वाले ट्रान्सफॉर्मर लगाने का कार्य सम्मिलित था। तदनुसार, पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा सुलतानगंज एस0एस0 में एक 7.5 एम0भी0ए0 132/33के0भी0 ट्रान्सफॉर्मर को एक नए 20 एम0भी0ए0 ट्रान्सफॉर्मर से बदला गया (जुलाई 2008) तथा उक्त बदलाव के फलस्वरूप, 7.5 एम0वी0ए0 ट्रांसफॉर्मर बेकार हो गया, तथा अभी तक (नवम्बर 2012) बिना किसी उपयोग के भंडार में रखा था।

खाली पड़े 7.5 एम0भी0ए0 132/33 के0भी0 ट्रान्सफॉर्मर के उपयोग करने के विवेकपूर्ण निर्णय लेने में विफल रहने के कारण बोर्ड को ₹ 2.01 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा

हमने पाया कि बिहारशरीफ में नए ट्रांसफॉर्मर की स्थापना में हुए खर्च को 7 .5 एम0भी0ए0 ट्रांसफॉर्मर (सुलतानगंज में बदला हुआ), का उपयोग बिहारशरीफ के सब–स्टेशन ट्रान्सफॉर्मर के 33 के0भी0 आपूर्ति के लिए था, के इस्तेमाल कर बचाया जा सकता था।

इस प्रकार खाली पड़े 7.5 एम0वी0ए0 132/33 के0भी0 ट्रान्सफॉर्मर का उपयोग करने के विवेकपूर्ण निर्णय लेने में विफलता के कारण बोर्ड को ₹ 2.01 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2012) कि बदला हुआ ट्रान्सफॉर्मर बहुत पुराना था एवं वह एस0एस0 को 33 के0वी0 आपूर्ति के लिए भरोसेमंद नहीं था तथा उसे आपातकाल के लिए स्थानापन्न के रूप में रखा गया था। जबाव तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर सामान्य अवस्था में था तथा उसे हाथीदह एस0एस0 में उपयोग करने हेतु भेजा गया था (दिसम्बर 2009) किन्तु मार्ग में व्यवधान के कारण उसे नहीं पहुँचाया

जा सका था। इस प्रकार वह बोर्ड के अविवेकी निर्णय के कारण बेकार हो गया तथा बोर्ड को परिहार्य व्यय करना पड़ा।

संचरण तंत्र का निष्पादन

3.16 कम से कम व्यवधानों के साथ गुणवत्ता पूर्ण उर्जा की आपूर्ति हेतु बोर्ड का निष्पादन मुख्यतः उसके ई0एच0टी0 संचरण नेटवर्क के दक्ष रखरखाव पर निर्भर करता है। सब–स्टेशनों एवं लाइनों के परिचालन के दौरान, उप–तन्त्रों के संघटकों के अंतर्गत आपूर्ति–मांग की रूपरेखा की पहचान की जाती है तथा लाइन हानियों को कम करने एवं वोल्टेज रूपरेखा में सुधार करते हुए उर्जा की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु नेटवर्क सुधार योजनाएँ लागू की जाती हैं। ये योजनाएँ वर्तमान में ट्रान्सफॉर्मर क्षमता की वृद्धि, अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर की स्थापना, अतिरिक्त लाइनों को बिछाने तथा कैपेसिटर बैंक की स्थापना के लिए होती है। तन्त्र के ओ0एण्ड एम0 के संबंध में बोर्ड के निष्पादन की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

संचरण क्षमता

3.17 उत्पादन प्रतिष्ठानों से उर्जा खींचने तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भार वृद्धि को पूरा करने के लिए बोर्ड, विभिन्न ई0एच0टी0 वोल्टेज के लाइनों तथा एस0एस0 का निर्माण करता है। एक ट्रान्सफॉर्मर ए0सी0 वोल्टेज एवं करंट को अन्य वोल्टेज एवं करंट में अति उच्च कुशलता से रूपांतरित करता है। प्रक्रिया में निम्नतम हानि के साथ ए0सी0 वोल्टेज में बढ़ोत्तरी एवं घटोत्तरी प्राप्त करने हेतु वोलटेज स्तर को बढ़ाया या घटाया जाता है। उर्जा खिंचाव सामान्यतः 220 के0भी0 पर होता है। परन्तु बोर्ड ऊर्जा का खिंचाव 132 के0भी0 पर करता है। मार्च 2012 को समाप्त हुए पाँच वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष के अंत तक बोर्ड द्वारा निर्मित संचरण क्षमता (220 के0भी0 तथा 132 के0भी0) के साथ–साथ संचरित क्षमता (प्राप्त की गई उच्चतम मांग) निम्नलिखित थे :

संचरण क्षमता (एम0भी0ए0) में				
वर्ष	स्थापित	30 प्रतिशत सीमांत को छोड़ते हुए	संयोगहीन माँग को मिलाकर उच्चतम माँग	आधिक्य/कमी (3–4)
1	2	3	4	5
2007-08	4558	3191	1244	1947
2008-09	5468	3828	1348	2480
2009-10	5898	4129	1508	2621
2010-11	6678	4675	1664	3011
2011-12	7078	4955	1712	3243

(स्रोतः बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

ऊपर दी गयी तालिका से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2012 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों में कुल संचरण क्षमता आवश्यकता से अधिक थी। मार्च 2012 के अंत तक की विद्यमान संचरण क्षमता, 30 प्रतिशत अनावश्यकता के लिए छोड़ते हुए, 3243 एम0भी0ए0 अधिक थी। आगे, 2007–12 की अवधि में निर्मित 15 नमूना जाँच किए गए एस0एस0 में से सात[4] 132/33 के0भी0 सब–स्टेशनों ने 5.8 मे0वा0 तथा 10 मे0वा0 के (स्थापित क्षमता का 15 से 30 प्रतिशत) बीच का भार प्राप्त किया जो तीन महीने

[4] बेलागंज, ढाका, मसौढ़ी, अत्ताउल्ला करपी, टेकारी, हुलासगंज एवं शीतलपूर के एस0एस0

से 60 महीने की अवधि का था। इस प्रकार नेटवर्क में अतिरिक्त/बेकार क्षमता का होना तथा समान अवधि में पटना जोन के आठ फीडरों में अतिभारिता एवं पटना एवं मुजफ्फरपुर जोन के 38 एस0एस0 में उच्च वोल्टेज का होना संचरण जाल के निर्माण में अवैज्ञानिक योजना को दर्शाता है।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2012) कि स्थापित क्षमता को 220/132 के0भी0 एवं 132/33 के0भी0 को जोड़कर दिखाया गया था तथा उच्चतम भार मुख्यतः 132/33 के0भी0 क्षमता पर प्राप्त की जाती है।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई उच्चतम भार में ई0एच0टी0 उपभोक्ताओं को 132 के0भी0 स्तर पर आपूर्ति की गई उर्जा भी सम्मिलित है जो कि 220/132 के0भी0 एस0एस0 से दी जाती है।

सब–स्टेशन

सब–स्टेशनों की पर्याप्तता

3.18 संचरण योजना मानदंड मैनुअल में (एम0टी0पी0सी0) विभिन्न एस0एस0 की अधिकतम अनुमान्य क्षमता अर्थात् 220 के0भी0 के लिए 320 एम0भी0ए0 एवं 132 के0भी0 के लिए 150 एम0भी0ए0 एस0एस0 का प्रावधान है। अधिकतम क्षमता स्तर की जाँच में यह पाया गया कि तीन[5] 220 के0भी0 एवं एक[6] 132 के0भी0 एस0एस0 ने अनुमान्य क्षमता स्तरों को पार किया।

एम0टी0पी0सी0 यह भी विहित करता है कि प्रत्येक 132 के0भी0 या उससे अधिक क्षमता वाले एस0एस0 में कम से कम दो ट्रान्सफॉर्मर होना चाहिए। आगे एम0टी0पी0सी0 द्वारा सुझाए गए संचरण योजना एवं सुरक्षा मानक भी यह इंगित करता है कि एस0एस0 में ट्रान्सफॉर्मरों का आकार एवं संख्या इस प्रकार नियोजित होनी चाहिए कि किसी एक ट्रान्सफॉर्मर के खराब होने की स्थिति में भी बाकी ट्रान्सफॉर्मर, भार का 80 प्रतिशत आपूर्ति कर सके। तथापि, यह पाया गया कि बेगुसराय के 220/132 के0भी0 एस0एस0 में एवं वैशाली तथा बिहारशरीफ के 132/33 के0भी0 एस0एस0 में एक ही ट्रान्सफॉर्मर स्थापित था।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2012) कि एम0टी0पी0सी0 ग्रिड क्षमता के उत्तम आकार के संबंध में एक सामान्य दिशानिर्देश देता है तथा क्षमता का अतिक्रमण होना कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। जवाब तथापि, इस तथ्य के महत्व का संज्ञान नहीं लेता है कि सब–स्टेशनों में ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता एवं संख्या जैसा कि एम0टी0पी0सी0 द्वारा वर्णित किया गया है, ग्रिड के बेहतर एवं सुरक्षित परिचालन के लिए है और संचरण तंत्र के प्रभावी परिचालन के लिए इनका अनुपालन होना चाहिए।

वोल्टेज प्रबंधन

3.19 अन्तर्राज्यीय संचरण तंत्र का उपयोग करने वाले सभी अनुज्ञप्ति धारकों को सभी संभावित प्रयासों जैसे कैपेसीटर, रियेक्टर, लचीला वैकल्पिक विद्युत प्रवाह संचरण तंत्रों इत्यादि की स्थापना कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रिड का वोल्टेज हमेशा सीमाओं के अन्तर्गत रहे। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुसार एस0टी0यू0 को 400 के0भी0, 220के0भी0 एवं 132 के0भी0 लाइनों के लिए वोल्टेज का स्तर क्रमशः 380 से

5 बिहारशरीफ, बोधगया एवं डेहरी–ऑन–सोन
6 जक्कनपुर

420 के0भी0, 198 से 245 के0भी0 तथा 119 से 145 के0भी0 के बीच बनाए रखना चाहिए।

अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक की अवधि के पटना एवं मुजफ्फरपुर जोन के क्रमशः पाँच एवं तीन प्रमण्डलों के 220/132 के0भी0 बस वोल्टेज से संबंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि तीन 220/132 के0भी0 एस0एस0 में दर्ज किया गया वोल्टेज 252 के0भी0 और 177 के0भी0 के मध्य था जबकि 35 132/33 के0भी0 एस0एस0 में दर्ज वोल्टेज 154 के0भी0 तथा 98 के0भी0 के मध्य था। इस प्रकार बोर्ड ग्रिड मानकों के अनुसार न्यूनतम एवं अधिकतम वोल्टेज को सुनिश्चित करने में विफल रहा जिसके कारण एस0एस0 में स्थापित विभिन्न ट्रान्सफॉर्मरों में बार–बार व्यवधान हुआ।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2012) कि वोल्टेज को ट्रान्सफॉर्मर में लगे ऑन लोड टैप चेंजर (ओ0एल0टी0सी0) के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और तीन एस0एस0 में कैपेसीटर बैंक स्थापित किया गया है। आगे बोर्ड ने यह भी स्वीकार किया कि उच्च वोल्टेज की अवस्था में वोल्टेज रूपरेखा को नीचे करने हेतु रिएक्टरों की स्थापना बोर्ड के तंत्र में नहीं की गई है एवं वह पी0जी0सी0आई0एल0 के तंत्रों पर निर्भर है।

लाइनें

ई0 एच0 टी0 लाइनें

3.20 एम0टी0पी0सी0 के अनुसार, लाईनों पर अनुमान्य भार सामान्यतः थर्मल लोडिंग सीमा (टी0एल0एल0) से अधिक नहीं हो सकती है। टी0एल0एल0 ऊर्जान्वित चालकों के तापमान को सीमित करता है एवं लाईनों के लटकाव को प्रतिबन्धित तथा खिंचाव ताकत के क्षरण को रोकता है। टी0एल0एल0 लाईनों के अधिकतम ऊर्जा प्रवाह को सीमित करता है। एम0टी0पी0सी0 के अनुसार 210 वर्ग मि0मि0 ए0सी0एस0आर0[7] पैंथर चालक वाले 132 के0भी0 लाईन का टी0एल0एल0 366 एम्पीयर होनी चाहिए।

अनुमान्य सीमा से अधिक लाईन को भारित करने के फलस्वरूप वोल्टेज में उतार–चढ़ाव, लाईन हानियाँ एवं फीडरों में व्यवधान/खराबी हुई

132 के0भी0 फीडरों पर लाईन भार की जाँच से यह पाया गया कि पटना प्रमंडल के 38 फीडरों में से आठ फीडर 366 एम्पीयर से अधिक भारित थे (367 से 450 एम्पीयर)। लाईनों पर क्षमता से अधिक भार डालने के फलस्वरूप निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में सात एस0एस0 में वोल्टेज का उतार–चढ़ाव हुआ, दो फीडरों में पाँच से 28.5 प्रतिशत के बीच उच्च संचरण हानि हुई; तथा अतिभारित 132 के0भी0 फीडरों में 77 बार व्यवधान/बंदी हुई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2012) कि नए संचरण लाइनों में लगभग 70 से 75 मेगावाट का औसत भार डाला जाता है तथा कुछ असामान्य स्थिति को छोड़कर भार पैटर्न को सीमाओं के अंदर ही रखा जाता है।

बस बार सुरक्षा पैनल (बी0बी0पी0पी0)

3.21 एक विद्युत सब–स्टेशन में आनेवाली एवं जानेवाली संचरण लाईन एवं ट्रान्सफॉर्मरों के अंतःजुड़ाव के लिए बस बार को एक संप्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बी0बी0पी0पी0 संपूर्ण ऊर्जा नेटवर्क पर बस बार गड़बड़ियों के कुप्रभाव को सीमित करता है जो अनावश्यक व्यवधान को रोकता है तथा केवल उन्हीं ब्रेकरों, जो बस बार गड़बड़ियों को दूर करने हेतु आवश्यक हैं; का व्यवधान के लिए चयन करता

[7] स्टील से प्रचलित अल्यूमिनियम चालक

है। ग्रिड मानक एवं नेटवर्क के उत्तम प्रथाओं के अनुसार सभी 220 के0भी0 एस0एस0 को ग्रिड व्यवधानों के दौरान स्थिरता बनाए रखने तथा गड़बड़ियों के तीव्र निपटारे के लिए बी0बी0पी0पी0 को सेवा में रखना है। हमने देखा कि आठ 220 के0भी0 एस0एस0 (तीन एकल बस बार एस0एस0 तथा पाँच दोहरे बस बार एस0एस0) जहाँ बी0बी0पी0पी0 की स्थापना आवश्यक थी, में से बोर्ड ने केवल चार एस0एस0 में पैनल लगाया।

रख–रखाव

पावर ट्रान्सफॉर्मर का निष्पादन (पी0टी0आर0)

3.22 पावर ट्रान्सफॉर्मर विद्युत् ऊर्जा आपूर्ति तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लागत तीव्रताबोधक अंग है। अतः उनके जीवन काल में वृद्धि तथा उनके रखरखाव व्यय में कमी करने का विशेष महत्त्व है। पावर ट्रान्सफॉर्मरों के परिचालन स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु अक्सर विभिन्न प्रकार के ईंधन विश्लेषण जैसे स्टैण्डर्ड ऑयल विघटन गैस विश्लेषण (डी0जी0ए0) किए जाते हैं। पी0टी0आर0 को विद्युतरोधी बनाने हेतु विद्युतरोधी तरल में संसेचित ठोस विद्युतरोधक के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के विद्युतरोधी प्रणाली की वास्तविक स्थिति को जाँचने हेतु अक्सर डी0जी0ए0 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पी0टी0आर0 के अन्दर अवरोध होने पर तरल विद्युतरोधक का स्तर इस प्रकार गिर जाता है कि उससे उपजी गैस के यौगिक से अवरोध के कारण का पता चल जाता है।

नीचे की सारणी में वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक खराब हुए ट्रान्सफॉर्मरों की स्थिति को वर्णित किया गया है:

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में ट्रान्सफॉर्मरों की संख्या	खराब ट्रान्सफॉर्मरों की संख्या	गारण्टी अवधि में खराब हुए ट्रान्सफॉर्मरों की संख्या	सामान्य जीवनकाल में खराब हुए ट्रान्सफॉर्मरों की संख्या	मरम्मती एवं रख–रखाव पर व्यय (₹ करोड़ में)
2007–08	111	06	शून्य	06	6.26
2008–09	126	01	शून्य	01	8.09
2009–10	139	01	शून्य	01	10.33
2010–11	159	01	शून्य	01	7.75
2011–12	176	07	शून्य	07	8.03

(स्रोत : बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

सारणी से यह देखा जा सकता है कि निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 16 ट्रान्सफॉर्मर खराब हो गए। 16 में से दो ट्रान्सफॉर्मर में स्थापित सुरक्षा प्रणाली के खराब होने के कारण आग लग गई और वे जल गए (150 एम0भी0ए0 क्षमता का एक 220/132 के0भी0 ट्रान्सफॉर्मर मार्च 2008 में तथा दूसरा 20 एम0भी0ए0 का 132/33 के0भी0 ट्रान्सफॉर्मर अगस्त 2010 में), चार ट्रान्सफॉर्मर बुचहोल्ज रिले तथा डिफरेन्शियल रिले खराब हो जाने के कारण खराब हो गए (जुलाई 2008, अगस्त 2009, अगस्त 2011 तथा अक्टूबर 2011), दो ट्रान्सफॉर्मर वाईंडिंग के गड़बड़ी के कारण खराब हो गए (नवम्बर 2007 एवं दिसम्बर 2007), एक ट्रान्सफॉर्मर खराब ईन्सूलेशन के कारण बिगड़ गया (मई 2011) तथा शेष सात ट्रान्सफॉर्मर आंतरिक कमियों के कारण खराब हो गए जिन्हें समय–समय पर जाँच करके खराब होने से रोका जा सकता था।

चालू ट्रान्सफॉर्मरों की कार्य दक्षता की पुष्टि करने हेतु समय–समय पर जाँच की कोई व्यवस्था नहीं थी

हमने यह पाया कि चालू ट्रान्सफॉर्मरों की समय–समय पर जाँच हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कि विविध मानकों की दक्षता की पुष्टि हो सके। नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि छः[8] 220/132 के0भी0 एस0एस0 में ट्रान्सफॉर्मर स्थापित किया गया परन्तु सिर्फ बोधगया, एस0एस0 में स्थापित ट्रान्सफॉर्मर का डी0जी0ए0 जाँच एक बार कराया गया (जुलाई 2008)। ट्रान्सफॉर्मरों की समय–समय पर जाँच कराने की जगह बोर्ड द्वारा सिर्फ ट्रान्सफॉर्मर खराब होने के उपरान्त ही उनके बिगड़े पुर्जों की जानकारी हेतु जाँच कराई जाती है। समय–समय पर जाँच नहीं होने का कारण आधारभूत संरचना एवं पर्याप्त शट–डाऊन की अनुपलब्धता थी। आगे योजना के अनुसार संचरण यंत्रों का रख–रखाव कार्य वर्ष में दो बार यानी गर्मी और सर्दी में कराया जाना था। हालांकि, निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान किसी भी एस0एस0 में योजनागत संधारण नहीं किया गया।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ईन्सूलेशन स्तर को माँपने हेतु ब्रेक डाऊन वोल्टेज (बी0डी0भी0) जाँच कराया जाता है। निम्न बी0डी0भी0 मान आने पर ईंधन का शुद्धिकरण कराया जाता है और उसके बाद ईंधन के नमूने को समय–समय पर प्रमाणित सरकारी प्रयोगशाला में भेजा जाता है। बोर्ड का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सिर्फ एस0एस0 बोधगया में ही एक बार जाँच कराया गया था।

हॉट लाइन प्रमण्डल/अवर प्रमण्डलों की कार्यशैली

3.23 संचरण प्रणाली के बिना रुकावट परिचालन हेतु नियमित एवं समय–समय पर रख–रखाव अति आवश्यक है। संचरण लाईनों की निर्धारित रख–रखाव के अलावा भी डा0 एस0 मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित समिति के रिपोर्ट में भी भारत में संचरण लाईनों के रख–रखाव के सर्वोत्तम तरीकों में सुधार हेतु निम्न विधियाँ सुझाई गई हैं :

- हॉट लाईन रख–रखाव
- हॉट लाईन धुलाई
- ईन्सूलेटरों का हॉट लाईन पंक्चर का पता लगाना
- पोर्टेबल अर्थिंग हॉट लाइन उपकरणों के प्रयोग से निरोधक रख–रखाव
- लाईनों के कम्पन की माप
- थर्मो स्केनिंग
- उपकरण की प्रदूषण जाँच

बोर्ड के पास कोई भी हॉट लाईन तकनीक (थर्मो–विजन कैमरों के उपयोग के अतिरिक्त) उपलब्ध नहीं था

हॉट लाईन तकनीक (एच0एल0टी0) के तहत् एस0एस0 एवं विद्युत् ऊर्जा के संचरण को बाधित किए बिना ही रख–रखाव से संबंधित कार्य जैसे हॉट स्पॉट नट एवं बोल्टों को कसना, कन्डक्टर की क्षति, ईन्सूलेटरों को बदलना, इत्यादि किए जा सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत सारे लाईनों एवं एस0एस0 का निरोधात्मक रख–रखाव थर्मो स्केनिंग के द्वारा किया जाता है। एच0एल0टी0 को भारत में वर्ष 1958 में प्रस्तावित किया गया था। हमने यह पाया कि निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नियमित एवं समय–समय पर रख–रखाव हेतु बोर्ड के पास उपर्युक्त वर्णित कोई अन्य हॉट लाईन तकनीक (थर्मो विजन कैमरों को छोड़कर) उपलब्ध नहीं थी। साथ ही, बोर्ड के पास कोई पृथक् हॉट लाईन प्रमंडल/अवर प्रमंडल अस्तित्व में नहीं था।

बोर्ड ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए (अक्टूबर 2012) यह बताया कि हॉट लाइन रख–रखाव प्रमंडल तथा संरचना को स्थापित करने हेतु विचार किया जाएगा।

[8] बिहारशरीफ, बोधगया, डेहरी–ऑन–सोन, फतुहा, खगौल एवं गोपालगंज।

संचरण हानियाँ

3.24 ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों से संचरण एवं वितरण माध्यम के जरिए उपभोक्ताओं तक बिजली पहुँचाने के क्रम में ऊर्जा की हानि हो जाती है जिसे संचरण एवं वितरण हानि कहते हैं। उत्पादन केन्द्रों/ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा एवं वितरण हेतु आपूर्ति की गई ऊर्जा के अन्तर को संचरण हानि कहते हैं। वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक हुए संचरण हानि को निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

विवरणी	इकाई	वर्ष				
		2007-08	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
संचरण हेतु प्राप्त ऊर्जा	एम0यू0	7961.30	8584.69	9836.58	10882.86	11965.88
शुद्ध ऊर्जा संचरण	एम0यू0	7371.44	8144.14	9217.97	9898.16	10799.30
वास्तविक संचरण हानि	एम0यू0	589.86	440.55	618.61	984.70	1166.58
	प्रतिशत	7.41	5.13	6.29	9.05	9.75
सी0ई0ए0 मानक के अनुसार संचरण हानि	प्रतिशत	4	4	4	4	4
बी0ई0आर0सी0 मानक के अनुसार संचरण हानि	प्रतिशत	4	4	4	4	4
बी0ई0आर0सी0 मानक से अधिक संचरण हानि	एम0यू0	271.48	97.01	225.26	548.50	688.04
	₹ दर प्रति ईकाई	2.96	3.12	3.03	3.87	4.64
	₹ करोड़ में	80.36	30.27	68.25	212.27	319.25

(स्रोत : बोर्ड का वार्षिक लेखा, बी0ई0आर0सी0 के टैरिफ आदेश और बोर्ड द्वारा समर्पित सूचना)

संचरण हानि को सी0ई0ए0 एवं बी0ई0आर0सी0 के मानकों के अन्दर रखने में विफलता के कारण वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान 1830.29 एम0यू0 की अधिक हानि हुई जिसका मूल्य ₹ 710.40 करोड़ था

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संचरण हानि 5.13 प्रतिशत से 9.75 प्रतिशत के बीच रहा तथा सी0ई0ए0 एवं बी0ई0आर0सी0 के चार प्रतिशत के मानक से 2011–12 तक सभी पाँच वर्षों में अधिक रहा। बोर्ड को वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के लिए निर्धारित मानक से 1830.29 एम0यू0 अधिक की संचरण हानि हुई जिसका मूल्य ₹ 710.40 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अत्यधिक संचरण हानि के कारणों में कंडक्टरों को चोरी से बचाने के लिए संचरण लाईनों को अनावश्यक चार्ज किया जाना, उपकेन्द्रों में रोशनी/सहायक खपत के लिए उपकेन्द्रों के ट्रांसफॉर्मरों द्वारा खपत की गई ऊर्जा हेतु मीटर स्थापित नहीं रहने के कारण लेखांकन नहीं हो पाना तथा पुराने ऊर्जा ट्रान्सफॉर्मरों के द्वारा अत्याधिक रूपांतरण हानि का होना शामिल थे।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2012) कि संचरण हेतु बाहर से एवं स्वयं के उत्पादन से प्राप्त ऊर्जा के आँकड़े लेखापरीक्षा के द्वारा दर्शाए गए आँकड़ों से कम थे तथा अगर उक्त आँकड़े लिए जाते तो संचरण हानि तीन से छः प्रतिशत के बीच रहती। हमने, यद्यपि, संचरण के लिए उपलब्ध ऊर्जा के आँकड़े बोर्ड के वार्षिक लेखे से लिए थे और उसे ही हानि की गणना का आधार माना गया है।

ग्रिड प्रबंधन

ग्रिड का रख–रखाव एवं एस0एल0डी0सी0 का निष्पादन

3.25 ऊर्जा के सुचारू रूप से उत्पादन ईकाईयों से राज्य संचरण उपादेयताओं/उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए संचरण एवं ग्रिड प्रबंधन महत्त्वपूर्ण कारक है। ग्रिड प्रबंधन, आपस में जुड़े हुए विद्युत् ऊर्जा प्रणाली के पल–पल के ऊर्जा संतुलन को सुनिश्चित करता है जिससे उनकी विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययिता एवं दक्षता को कायम रखा जा सके। भारत में ग्रिड प्रबंधन सी0ई0ए0 के द्वारा जारी ग्रिड कोड में दिए मानकों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रिड के अन्तर्गत पाँच क्षेत्र आते हैं जैसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर–पूर्वी तथा दक्षिणी ग्रिड। इन सभी का अपना एक क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, (आर0एल0डी0सी0) होता है जो एक सर्वोच्च निकाय होता है तथा जो संदर्भित क्षेत्र में ऊर्जा प्रणाली के समेकित परिचालन को सुनिश्चित करता है। बिहार राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस0एल0डी0सी0) जो कि पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (ई0आर0एल0डी0सी0), कोलकाता का एक भाग है, राज्य में ऊर्जा प्रणाली के समेकित परिचालन को सुनिश्चित करता है। राज्य सरकार ने (फरवरी 2007) यह अधिसूचित किया कि एस0एल0डी0सी0 बोर्ड द्वारा परिचालित होगा। एस0एल0डी0सी0 को किसी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (ए0एल0डी0सी0) द्वारा डाटा को प्राप्त करने या उसे हस्तांतरित करने तथा 132 के0भी0 एवं 33 के0भी0 उपकरणों के पर्यवेक्षीय नियंत्रण में कोई सहायता नहीं प्राप्त होती है।

भार अनुश्रवण के लिए आधारभूत संरचना

3.26 सारे उप–केन्द्रों के लिए लागू ग्रिड मानकों के अंतर्गत भार प्रेषण केन्द्र में आपातकाल के दौरान संचरण प्रणाली की दक्षता एवं भार को अनुश्रवण करने के लिए रिमोट टर्मिनल इकाई/उप–केन्द्र प्रबंधन प्रणाली (आर0टी0यू0/एस0एम0एस0) महत्त्वपूर्ण है।

अक्टूबर 2012 तक केवल आठ (9.3 प्रतिशत) आर0टी0यू0 प्रयुक्त पाए गए। फलस्वरूप आपातकालीन स्थिति में सब–स्टेशनों की वास्तविक समय भार का अनुश्रवण नहीं हो पाया एवं प्रणाली का लाभ प्राप्ति नहीं किया जा सका

हमने पाया कि बोर्ड के संचरण नेटवर्क में कुल 86 एस0एस0 (आठ 220/132 के0भी0 एस0एस0 तथा 78 132/33 के0भी0एस0एस0) और एक[9] जेनेरेटर था जिसमें से 27 (31 प्रतिशत) एस0एस0 और एक जेनेरेटर को वास्तविक समय डाटा को लिखने के लिए आर0टी0यू0 उपलब्ध कराया गया था ताकि ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जा सके। स्थापित किए गए 27 आर0टी0यू0 में से पाँच आर0टी0यू0 को लिंक की अनुपलब्धता के कारण प्रणाली से जोड़ा नहीं जा सका। 14 आर0टी0यू0 अक्टूबर 2012 तक चलने कि स्थिति में नहीं थे। अतः सिर्फ आठ (9.3 प्रतिशत) आर0टी0यू0 ही अक्टूबर 2012 तक उपयोग में लाए जा सके। इसके फलस्वरूप आपातकालीन स्थिति में एस0एस0 का वास्तविक समय भार का अनुश्रवण नहीं किया जा सका तथा प्रणाली का लाभ नहीं प्राप्त हो सका।

बोर्ड ने (अक्टूबर 2012) इस तथ्य को स्वीकारते हुए बताया कि पी0जी0सी0आई0एल0 से निवेदन किया गया है कि वह सारे चालू एवं भविष्य में चालू होने वाले एस0एस0 को डाटा टेली–मीटरींग एवं ध्वनि संवाद् से जोड़ने का काम करें।

आवृत्ति प्रबंधन द्वारा ग्रिड अनुशासन

3.27 ग्रिड कोड के अनुसार, ग्रिड के प्रभावशाली परिचालन के लिए संचरण उपादेयताओं को ग्रिड अनुशासन को कायम रखना है। ग्रिड के सभी अंगीभूत सदस्यों

[9] बरौनी थर्मल पावर स्टेशन।

से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 49 से 50.5 हर्ट्ज (अप्रैल 2009 से प्रभावी 49.2 तथा 50.3 हर्ट्ज) के बीच की एक आवृत्ति प्रणाली बरकरार रखें। कई कारणों जैसे उत्पादन क्षमता में कमी, उच्च माँग, भार उत्पादन संतुलन का नहीं होना, तथा अप्रर्याप्त भार–अनुश्रवण एवं प्रबंधन के कारण ग्रिड की आवृति स्वीकृत आवृति स्तरों से ऊपर या नीचे चली जाती है। ग्रिड अनुशासन को लागू करने के लिए ई0आर0एल0डी0सी0 तीन प्रकार के उल्लंघन संदेशों जैसे अ, ब एवं स को निर्गत करती है।

- संदेश 'अ' को तब निर्गत किया जाता है जब आवृति 49.2 हर्ट्ज से कम और अतिरिक्त निकासी 50 एम0डब्लू0 से ज्यादा या निर्धारित आवृति का 10 प्रतिशत, दोनों में से जो कम है, हो।

- संदेश 'ब' को तब निर्गत किया जाता है जब आवृति 49.2 हर्ट्ज से कम हो और अतिरिक्त निकासी दस मिनट से ज्यादा समय के लिए 50 से 200 एम0डब्ल्यू0 के बीच हो या फिर पाँच मिनट से ज्यादा समय के लिए 200 एम0डब्ल्यू0 हो।

- संदेश 'स' (गंभीर प्रकृति) संदेश 'ब' के निर्गत होने के 15 मिनट के बाद निर्गत किया जाता है जब आवृति लगातार 49.2 हर्ट्ज से कम हो और अतिरिक्त निकासी 100 एम0डब्ल्यू0 से ज्यादा हो या निर्धारित आवृति का 10 प्रतिशत, जो भी कम है, हो।

बोर्ड ने वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान ग्रिड मापदण्डों का उल्लंघन किया, यद्यपि वर्ष 2011–12 में ग्रिड मापदण्डों के उल्लंघन के मामलों में काफी कमी आई

हमने पाया कि बोर्ड ने मार्च 2012 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में 135 (अ प्रकार), 71 (ब प्रकार) और 79 (स प्रकार) के संदेश प्राप्त किए। इनमें से बोर्ड द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल 131 संदेश प्राप्त किए गए जिसमें 51 'स' प्रकार (गंभीर प्रकृति) के संदेश थे। वर्ष 2007–08 से 2011–12 के बीच बोर्ड द्वारा चार से 48 'अ' प्रकार के संदेश प्राप्त किए गए। अतः आवंटित ऊर्जा से ज्यादा निकासी के कारण बोर्ड ने वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान ग्रिड मापदण्डों का उल्लंघन किया, हॉलांकि वर्ष 2011–12 के दौरान ग्रिड मापदण्डों के उल्लंघन के मामलों में काफी कमी आई।

ऊर्जा क्रय से सम्बन्धित योजना

3.28 बोर्ड द्वारा वितरण स्कंध के परामर्श से लम्बी अवधि के लिए ऊर्जा आपूर्ति की योजना बनाई जाती है जिसमें संविदित उत्पादन क्षमता, केन्द्रीय प्रक्षेत्र से नियतन एवं भविष्य में चालू होने वाली परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए शुद्ध अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता हेतु व्यवस्था की जाती है। बोर्ड द्वारा अपने प्रतिदिन की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने हेतु भी दिवस–पूर्व योजना बनाई जाती है। वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक पाँच वर्षों की अवधि में राज्य की कुल आवश्यकता, आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा एवं ऊर्जा की कमी को नीचे की तालिका में विस्तार से दर्शाया गया है :

(आँकड़े एम0यू0 में)

क्रम सं0	विवरणी	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	कुल ऊर्जा की आवश्यकता	11134	12874	14886	17213	19905
2	आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा[10]	7371	8144	9218	9898	10799
3	ऊर्जा आपूर्ति में कमी	3763	4730	5668	7315	9106
4	कमी की प्रतिशतता	33.80	36.74	38.08	42.50	45.75

(स्रोत : 17 वें ऊर्जा शक्ति सर्वेक्षण का प्रतिवेदन तथा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता था कि ऊर्जा आपूर्ति में कमी की प्रतिशतता वृद्धि क्रम में थी यानि यह वर्ष 2007–08 में 33.80 से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 45.75 प्रतिशत हो गयी।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2012) कि राज्य में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए आइ0पी0पी0 तथा राज्य में स्थापित हो रहे नई चीनी मिलों से ऊर्जा क्रय के प्रयास किए गए तथा साथ–साथ ही बी0टी0पी0एस0 एवं एम0टी0पी0एस0 में नई इकाईयों का निर्माण किया जा रहा है।

निर्धारित आवंटित ऊर्जा के निकासी नहीं होने के कारण हानि

3.29 17वें भारतीय ऊर्जा शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में 2011–12 में कुल अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता 19905 एम0यू0 थी। आगे, वर्ष 2011–12 में बोर्ड के पास निजी उत्पादन, केन्द्रीय सेक्टर से निर्धारित ऊर्जा, निजी ऊर्जा उत्पादकों से ऊर्जा क्रय इत्यादि मिलाकर कुल 12284.83 एम0यू0 ऊर्जा उपलब्ध थी। 12284.83 एम0यू0 उपलब्ध ऊर्जा में से बोर्ड ने ₹3.62/युनिट की औसत दर से 12144.44 एम0यू0 ऊर्जा, जिसका मूल्य ₹4393.44 करोड़ था, का क्रय किया।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने क्रयित कुल उपलब्ध 12144.44 एम0यू0 ऊर्जा में से 664.15 एम0यू0 ऊर्जा का निकासी नहीं किया, जिसे गैर–अनुसूचित विनिमय (यू0आई0) के अन्तर्गत विक्रय माना गया। इस प्रकार, 664.15 एम0यू0 ऊर्जा, जिसका मूल्य ₹209.95 करोड़ था, का विक्रय यू0आई0 के तहत् ₹3.16/युनिट की औसत दर से कर दिया गया जिसे ₹3.62/युनिट की औसत लागत पर क्रय किया गया था।

हमने पाया कि हाँलाकि राज्य में ऊर्जा की अत्यधिक कमी थी तथा बोर्ड द्वारा आपूर्ति की जा रही बिजली वर्ष 2011–12 की कुल आवश्यकता की 54.25 प्रतिशत थी, बोर्ड द्वारा आवंटित ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया, जिसे अंततः ₹0.46 प्रति युनिट हानि की दर से गैर–अनुसूचित विनिमय के तहत बेच दिया गया।

यद्यपि राज्य में ऊर्जा की अत्यधिक कमी थी, बोर्ड ने आवंटित ऊर्जा की निकासी नहीं की जिससे ₹ 30.32 करोड़ की हानि हुई

इस प्रकार, निश्चित आवंटित ऊर्जा ईकाईयों का उपयोग नहीं करने से बोर्ड को वर्ष 2011–12 में, ऊर्जा की क्रय लागत के तुलना में, ₹30.32 करोड़ की हानि हुई।

बोर्ड द्वारा जवाब में कहा गया (अक्टूबर 2012) कि ऊर्जा की निकासी तंत्र की स्थिति एवं माँग पर निर्भर थी। कभी–कभी खराब मौसम के कारण जैसे कि वर्षा, चक्रवात,

10 उत्पादन, लघु एवं दीर्घकालिक क्रयों तथा केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से आहरण को शामिल करते हुए।

तेज हवा, ट्रंक लाईन के टूट जाने, ऊर्जा ट्रान्सफॉर्मरों के खराब होने, ऊर्जा की माँग घट जाने के कारण ऊर्जा की निकासी घट जाती है। जवाब मान्य नहीं था क्योंकि बोर्ड द्वारा बताया गया कारण अल्पावधि के लिए मान्य थी जबकि यह देखा गया कि बोर्ड द्वारा जून 2011 से मार्च 2012 के बीच में नौ महीनों तक लगातार अनुसूचित आवंटित ऊर्जा से कम ऊर्जा की निकासी की गई।

आपदा प्रबन्धन

3.30 आपदा प्रबन्धन (आ0प्र0)का उद्देश्य तंत्र के आई बड़ी खराबी के असर को दूर करने तथा इसे कम से कम समय में पुर्नस्थापित करना है। सर्वोत्तम पद्धति के अनुसार सभी ऊर्जा उपादेयताओं में वृहत् खराबी की हालत में संचरण तंत्रों के त्वरित पुर्नस्थापन हेतु आपदा प्रबन्धन की स्थापना की जानी चाहिए। इसे आकस्मिक पुर्नस्थापन तंत्र, जेनेरेटर सेट, वाहन, अग्निशमन उपकरणों, दक्ष एवं विशेषज्ञ कर्मियों के अभिनियोजन के माध्यम से किया जाता है।

आपात स्थितियों में, आपदा प्रबंधन केन्द्र, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, नई दिल्ली एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के रूप में काम करेगी। आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम के रूप में निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा ब्लैक स्टार्ट[11] हेतु उत्पादन प्रतिष्ठानों को चालू करने से संबंधित कोई मॉक–ड्रील नहीं किया गया था।

आपदा प्रबन्धन हेतु अपर्याप्त सुविधाएँ

3.31 राज्य में सिर्फ एक उत्पादन प्रतिष्ठान (बी0टी0पी0एस0)[12] है। प्रतिष्ठान में ब्लैक स्टार्ट सुविधा उपलब्ध नहीं थी जो आपदा प्रबन्धन से संबंधित तैयारियों की अपर्याप्तता को प्रदर्शित करता था।

वृहत् उत्पादन प्रतिष्ठानों को जोड़ने वाले ई0एच0टी सब–स्टेशनों में डीजल जेनरेटिंग स्टेशन एवं सिंक्रोस्कोप[13] आपदा प्रबन्धन के अंग होते है। हमने पाया कि डीजल जेनरेटर सेट सभी आठ 220 के0भी0 सब–स्टेशन में उपलब्ध थे (पाँच डीजल जेनरेटर सेट कार्यशील थे जबकि तीन अकार्यशील थे) जबकि मात्र तीन सिंक्रोस्कोप मौजूद थे जिसमें से एक उपयोग में नहीं था। आगे, बोर्ड द्वारा आतंकी हमलों, तोड़–फोड़ तथा बम की धमकी से उत्पन्न होने वाले संकट का सामना करने के लिए मेटल–डिटेक्टर की व्यवस्था तथा सुरक्षा हेतु सुरक्षा बलों को सौंपने के लिए अति संवेदनशील संस्थापनों को चिह्नित नहीं किया गया था।

बोर्ड ने वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया तथा जवाब में कहा (अक्टूबर 2012) कि उपर्युक्त कमियों को दूर करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

ऊर्जा लेखांकन एवं उसकी लेखापरीक्षा

3.32 संचरण हानि का निर्धारण एवं उसे कम करने हेतु ऊर्जा लेखांकन एवं उसकी लेखापरीक्षा आवश्यक है। संचरण हानि की गणना मीटर रीडिंग यंत्र (एम0आर0आई0) द्वारा उत्पादन से संचरण (जी0टी0) तथा संचरण से वितरण (टी0डी0) बाउन्ड्री मीटरिंग

11 क्रियाविधि, जो आंशिक अथवा पूर्ण अंधकार से निकलने हेतु जरूरी है।

12 बरौनी थर्मल पावर स्टेशन।

13 एक ए0सी0 विद्युत ऊर्जा प्रणाली में यह एक यंत्र है जो दो प्रणालियों (उत्पादन एवं ऊर्जा नेटवर्क) की सामंजस्यता की सीमा को दर्शाता है।

प्वाईन्ट पर लिए गए रीडिंग के आधार पर की जाती है। 31 मार्च 2012 तक टी0डी0 327 तथा जी0टी0 34 के बीच कुल 361 इंटरफेस बाउन्ड्री मीटरिंग बिन्दु थे जबकि नमूना जाँच किए गए प्रमंडलों में कुल 14 जी0टी0 बिन्दुओं में से 12 में 0.2 एस0[14] श्रेणी के मीटर लगे थे तथा शेष में 0.5 एस श्रेणी के मीटर लगे थे। आगे, नमूना जाँच किए गए प्रमण्डलों में कुल 242 टी0डी0 बिन्दुओं में से 206 में 0.2 एस श्रेणी के मीटर तथा 29 में 0.5 एस श्रेणी के मीटर लगे थे तथा शेष सात में लगे मीटरों का विशिष्टीकरण निर्दिष्ट नहीं था।

विभिन्न सब–स्टेशनों के ज्यादा हानि वाले फीडरों तथा हानि के कारणों को निर्धारित करने के लिए मीटर रीडिंग प्रतिवेदनों की ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई

आगे, जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक के तीन माह की अवधि के आठ प्रमंडलों के 38, 132 के0भी0 फीडरों के आँकड़ों के विश्लेषण से यह पता चला कि हानियों की प्रतिशतता उच्च थी जो कि 10 फीडरों में 5.9 से 94.69 प्रतिशत तथा 16 फीडरों में 0.04 से 3.33 प्रतिशत थी जबकि शेष 12 फीडरों के मीटर खराब थे जिसमें से सात ऋणात्मक हानि दर्शा रहे थे। आगे यह भी ज्ञात हुआ कि ऋणात्मक हानि मुख्य रूप से अंतर्गामी एवं बर्हिगामी बिन्दुओं पर भिन्न–भिन्न श्रेणियों के मीटर लगे होने के कारण खराब मीटरों एवं मीटरों को करेंट ट्रान्सफॉर्मर एवं पोटेंशियल ट्रान्सफॉर्मर से मिलान किए बिना लगाने के कारण था। फलतः ऊर्जा लेखांकन एवं संचरण हानियाँ, जो बोर्ड द्वारा गणना की गई थी, अवास्तविक प्रतीत हो रही थी।

आगे, हमने यह भी पाया कि इस संबंध में बोर्ड ने अपनी क्रियाओं को सिर्फ ऊर्जा प्राप्ति एवं पारेषित की गई सूचनाओं के संग्रहण/संकलन तक सीमित रखा था। उच्च हानि वाले फीडरों तथा हानि के करणों को निर्धारित करने वाले प्रतिवेदन के विश्लेषण के साथ–साथ मीटर रीडिंग प्रतिवेदन का ऊर्जा लेखापरीक्षा निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नहीं किया गया था।

बोर्ड ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2012) कि सभी 0.5 श्रेणी के मीटर को 0.2 श्रेणी के मीटरों से बदलने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि 0.2 श्रेणी के 200 मीटर मँगाए गए थे जिसमें से 150 मीटर लगाए जा चुके थे। हाँलाकि, उच्च हानियों की प्रतिशतता की उपस्थिति एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं कराने के कारणों पर जवाब में कुछ भी नहीं कहा गया था।

वित्तीय प्रबंधन

3.33 वर्ष 2005 की राष्ट्रीय विद्युत नीति के प्रमुख लक्ष्यों में एक मुख्य लक्ष्य ऊर्जा प्रक्षेत्र की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करना एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना था। बोर्ड वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान हानि में जा रहा था। तथापि बोर्ड की संचित हानि जो वर्ष 2007–08 में ₹ 2109.41 करोड़ थी, 303.94 प्रतिशत बढ़कर 2011–12 के दौरान ₹8520.71 करोड़ हो गई। चूँकि बोर्ड द्वारा संचरण क्रियाओं से संबंधित वित्तीय आँकड़े अलग से तैयार नहीं किए गए थे अतः निष्पादन लेखापरीक्षा में उनका विश्लेषण नहीं किया जा सका।

अति उच्च विभव उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण

3.34 अति उच्च विभव उपभोक्ताओं (132 के0भी0) को विद्युत आपूर्ति एवं उसका ऊर्जा विपत्रीकरण एवं अनुश्रवण बोर्ड की संचरण स्कन्ध के सात संचरण अंचलों द्वारा किया जाता था। आगे, विद्युत की आपूर्ति एवं उसका विपत्रीकरण विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय जारी आदेशों के अनुसार निर्देशित होता था। निष्पादन

[14] इस श्रेणी के मीटर अनुमत्य त्रुटि सीमा को प्रतिशत में दर्शाते हैं यथा, 0.2 एस0 श्रेणी मीटर के लिए त्रुटि एकल पावर फैक्टर से 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान विद्युत आपूर्ति तंत्र एवं उसके विपत्रीकरण की जाँच की गई तथा जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं :

टैरिफ प्रावधानों के अनुसार रेलवे कर्षण सेवा (आर0टी0एस0) उपभोक्ताओं का सांविदिक माँग का नहीं बढ़ाया जाना

3.35 दिसम्बर 2010 में जारी टैरिफ आदेश के नियमों एवं शर्तों के अनुसार उच्च विभव उपभोक्ता का ट्रान्सफॉर्मर क्षमता उनके सांविदिक माँग के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, सिर्फ रेलवे को छोड़कर, जहाँ इसे सांविदिक माँग का 200 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है। आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उपभोक्ता मान्य क्षमता से अधिक क्षमता का ट्रान्सफॉर्मर प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो इसे गलत आचरण के अन्तर्गत समझा जाएगा।

विद्युत संचरण अंचल, पटना, गया एवं बिहारशरीफ के दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि चार आर0टी0एस0 उपभोक्ता दानापुर–खगौल बिन्दु, फतुहा–खुसरूपुर बिन्दु, जहानाबाद बिन्दु एवं मोकामा बिन्दु पर टैरिफ प्रावधानों के उल्लंघन में 1×21.6 एम0भी0ए0 क्षमता का ट्रान्सफॉर्मर रखे हुए थे यद्यपि कि उनका सांविदिक माँग क्रमशः केवल साढ़े सात, सात, दो और पाँच एम0भी0ए0 था। अतः टैरिफ आदेश में वर्णित प्रावधान के अनुसार उपर्युक्त उपभोक्ताओं का संविदिक माँग 10.80 एम0भी0ए0 होना चाहिए था ताकि उनका मिलान टैरिफ में उल्लिखित ट्रान्सफॉर्मर क्षमता 200 प्रतिशत के अनुसार हो जाए।

टैरिफ आदेश में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार उपभोक्ताओं की सांविदिक माँग बढ़ाने में बोर्ड की विफलता के कारण ₹ 11.67 करोड़ राजस्व की हानि हुई

हमने यह देखा कि बोर्ड, टैरिफ आदेश में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, इन उपभोक्ताओं का सांविदिक माँग बढ़ाने में असफल रहा था जिसके कारण इनका विपत्रीकरण कम क्षमता के अनुसार हो रहा था जिसके कारण ₹ 11.67 करोड़[15] राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2012) कि रेलवे को नए टैरिफ के अनुसार सांविदिक माँग बढ़ाने के लिए अनेक बार लिखा गया है परन्तु अनेक आग्रहों के बावजूद रेलवे द्वारा अपने मूल सांविदिक माँग को नहीं बढ़ाया गया तथा कहा गया कि उपर्युक्त टैरिफ रेलवे को मान्य नही हैं। बोर्ड द्वारा दिया गया जवाब युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी आदेश सभी उपभोक्ताओं के लिए बाध्यकारी था जिसमें रेलवे भी शामिल था। आगे, मार्च 2011 में छपरा में नए आर0टी0एस0 संयोजन के मामले में रेलवे द्वारा टैरिफ आदेश में वर्णित प्रावधानों को मान लिया गया था एवं 10.80 एम0भी0ए0 के सांविदिक माँग को स्वीकार कर लिया गया था।

माँग शुल्क का अल्प विपत्रीकरण

3.36 टैरिफ प्रावधानों के अनुसार माँग शुल्क का विपत्रीकरण महीने के दौरान अंकित अधिकतम माँग के आधार पर अथवा सांविदिक माँग का 85 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के अनुसार होना चाहिए।

15 ऊर्जा शुल्क पर हानि = ₹ 39894894 + ₹ 423540 + ₹ 27428508 + ₹ 11109434 = ₹ 78856376
माँग शुल्क पर हानि = ₹ 6460080 + ₹ 8883600 + ₹ 14167000 + ₹ 8298541 = ₹ 37809221
ऊर्जा शुल्क एवं माँग शुल्क पर कुल हानि = ₹ 78856376 + ₹ 37809221= ₹ 116665597 अर्थात् ₹ 11.67 करोड़

बारम्बार मीटर द्वारा अंकित अधिकतम माँग को फिर शुरू से कर देने के कारण ₹ 0.54 करोड़ का अल्प विपत्रीकरण

रेलवे कर्षण सेवा (आर0टी0एस0) उपभोक्ता (सांविदिक माँग –7500 के0भी0ए0) जो कि कर्मनाशा ग्रिड से जुड़ा था, के विपत्रीकरण से संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा में पाया गया कि मीटर द्वारा अंकित अधिकतम माँग को बार–बार बदलकर फिर शुरू से (रिसेट) कर दिया गया एवं फिर शुरू से करने के पहले तक मीटर द्वारा अंकित अधिकतम माँग का प्रयोग विपत्रीकरण के लिए नहीं किया गया यद्यपि कि यह महीने का अधिकतम अंकित माँग था जो कि टैरिफ प्रावधानों का उल्लंधन था। इसके फलस्वरूप माँग भार के मद में ₹0.54 करोड़ का कम विपत्रीकरण हुआ।

बोर्ड ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2012) कि इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज की अनुपलब्धता के कारण विपत्रीकरण नहीं किया जा सका। बोर्ड ने यह भी कहा कि इन आवश्यक दस्तावेजों को मुगलसराय रेलवे से उपलब्ध करने हेतु प्रयास किया गया है, दस्तावेज प्राप्त होने के उपरान्त उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। जवाब युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि सांविदिक माँग का विपत्रीकरण मीटर द्वारा माह में अंकित अधिकतम माँग के अनुसार किया जाना चाहिए था।

रेलवे व्हील प्लांट, छपरा मे नए सम्बन्ध हेतु एकरारनामा करने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

3.37 विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 2007 में जारी विद्युत आपूर्ति कोड (कोड) की कंडिका 4.78 के अनुसार, बोर्ड आपूर्ति हेतु आवश्यक विस्तार का काम भुगतान प्राप्त करने तथा एकरारनामा करने के बाद शुरू करेगा।

आगे एकरारनामा के मानक प्रपत्र के उपवाक्य 1 (ब) के अनुसार उपभोक्ता, बोर्ड द्वारा आपूर्ति उपलब्धता की सूचना प्राप्त होने के तीन महीनों के अन्दर आपूर्ति प्राप्त करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं करने पर, उपभोक्ता पर मासिक न्यूनतम गारंटी का 50 प्रतिशत भार तबतक भारित किया जाएगा जबतक कि उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।

दस्तावेजों की संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि बोर्ड द्वारा रेलवे पहिया कारखाना को सांविदिक माँग 26.67 एम0भी0ए0 के लिए छपरा सब–स्टेशन से आपूर्ति स्थल तक एच0टी0एस0 – III सम्बन्ध उपलब्ध कराने हेतु एक नया संचरण लाईन बनाने का कार्यादेश (अगस्त 2008) जारी किया गया।

आगे, आपूर्ति हेतु आवश्यक विस्तार का कार्य बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2010 में पूरा कर लिया गया। इस प्रकार बोर्ड नवम्बर 2010 से उपभोक्ता को नया संबंध उपलब्ध कराने की स्थिति में था परन्तु उपभोक्ता के साथ एकरारनामा जून 2011 में किया गया एवं विपत्रीकरण जुलाई 2011 में शुरू हुआ।

उपभोक्ता से एकरारनामा किए बिना ही आपूर्ति हेतु विस्तार का काम शुरू करने के कारण बोर्ड ₹ 8.08 करोड़ के राजस्व प्राप्ति से वंचित रह गया

हमने पाया कि बोर्ड ने संहिता का उल्लंधन कर उपभोक्ता से बिना एकरारनामा किए ही विस्तार का कार्य शुरू कर दिया एवं उपभोक्ता के साथ एकरारनामा करने की प्रक्रिया को भी कार्य पूर्ण होने की तिथि से सात महीनों तक विलंबित कर दिया जिसके कारण बोर्ड मार्च 2011 से जून 2011 की अवधि का ₹ 8.08 करोड़ राजस्व प्राप्त करने से वंचित रह गया।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2012) कि रेलवे को एकरारनामा करने हेतु सांविदिक माँग की संस्वीकृति एवं संचरण लाईन के निर्माण पूर्ण होने की सूचना क्रमशः मई 2010 एवं नवम्बर 2010 में भेजी गयी थी। चूँकि रेलवे पहिया कारखाना का निमार्ण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, रेलवे अधिकारियों ने एकरारनामा करने में विलम्ब कर दिया। जवाब स्वीकार्य

नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति कोड की कंडिका 4.78 के अनुसार संचरण लाईन का कार्य शुरू करने से पहले बोर्ड एवं रेलवे के बीच एकरारनामा कर लिया जाना चाहिए था।

सामग्री प्रबंधन

3.38 सामग्री प्रबंधन के मुख्य कार्यों में इन्वेन्ट्री नियंत्रण नीति का निर्धारण, सामग्रियों की प्राप्ति एवं अप्रचलित या बेकार इन्वेन्ट्री का निस्तारण शामिल है। बोर्ड द्वारा सामग्रियों की प्राप्ति, भंडार नियंत्रण तंत्र, भंडारों पर कुशल नियंत्रण एवं आर्थिक प्राप्ति हेतु कोई नीति नहीं बनायी थी। बोर्ड द्वारा सामग्रियों का क्रय क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे गए आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। बोर्ड के दस्तावेजों की जाँच से निम्नलिखित ज्ञात हुआ :

3.39 उपभोग का ब्योरा (प्रतिवर्ष), उपभोग (प्रति महीना) एवं संचरण तंत्र से संबंधित यंत्रों का अंत शेष (ट्रान्सफॉर्मर, केबल, ब्रेकर, टावर सदस्य इत्यादि) का 2007–08 से 2011–12 की अवधि तक का ब्योरा इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपभोग (प्रति वर्ष)	उपभोग (प्रति महीना)	शुद्ध अंतशेष (तुलन पत्र के अनुसार)	अंतशेष प्रति महीना उपभोग के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
2007-08	12.97	1.08	20.82	19
2008-09	6.77	0.56	21.95	39
2009-10	24.26	2.02	40.90	20
2010-11	25.79	2.15	54.80	25
2011-12	11.72	0.98	58.22	59

(स्रोत : बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

अंतशेष का भारी मात्रा बोर्ड की दोषपूर्ण क्रय नीति का परिचायक था

अंत शेष की भारी मात्रा बोर्ड के खराब क्रय नीति का परिचायक है। 2007–08 से 2011–12 की अवधि का अंत शेष प्रति महीना उपभोग के आधार पर 19 महीना, से 59 महीना तक का था। आगे बोर्ड ने न कोई ए0बी0सी0 विश्लेषण किया था और न सामग्रियों के क्रय हेतु कोई मानक न्यूनतम स्तर एवं पुर्नआदेश स्तर निर्धारित किया था।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2012) कि तंत्र हेतु अनिवार्य उपकरण आपात स्थिति में प्रयोग हेतु एकबार में आगामी तीन से चार वर्षों के लिए खरीद लिए जाते हैं और चूँकि ये उपकरण बाजार में सुगमता से उपलब्ध नहीं थे, निर्माताओं को आवश्यक विशिष्टियों के अनुरूप इनका निरूपन व निर्माण करना पड़ा। इसलिए बोर्ड में इन उपकरणों को भंडार में रखना एक सामान्य प्रचलन है ताकि आउटेज को टाला जा सके। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने न तो कोई ए0बी0सी0 विश्लेषण किया था और न सामग्री आवश्यकताओं का कोई मानक न्यूनतम स्तर या पुर्नआदेश स्तर निर्धारित किया था और मासिक उपभोग के रूप में अंतशेष 19 से 59 महीने तक का था जो दोषपूर्ण क्रय नीति को इंगित करता था।

भण्डार में पड़े स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना

3.40 बोर्ड के वित्तीय एवं लेखांकन संहिता की कंडिका 7.141 के अनुसार स्टॉक सत्यापन हेतु विशेषज्ञ स्टाफ के द्वारा स्टॉक का सत्यापन एक सतत् प्रक्रिया है। बोर्ड

वार्षिक सत्यापन का कार्यक्रम एवं प्रत्येक भंडार के लिए कार्य दिवस का निर्धारण करेगा।

बोर्ड के नियंत्रण में सात संचरण भंडारों थे। तथापि वित्तीय एवं लेखांकन संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन में भंडारों का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था। वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान सिर्फ 2007–08 एवं 2011–12 में भौतिक सत्यापन किया गया था। अंतिम बार भौतिक सत्यापन पटना अंचल भंडार (सभी उप भंडारों के साथ) का जनवरी 2008 में एवं मुजफ्फरपुर भंडार का अप्रैल 2011 में किया गया था।

चूँकि सभी भंडारो का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था इसलिए उपरोक्त स्टॉक का समाधान नहीं किया जा सका। बोर्ड द्वारा स्क्रैप/अप्रचलित सामग्रियों के सर्वेक्षण हेतु एवं इनके निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिससे राजस्व प्राप्ति हो सके तथा अन्य सामग्रियों के लिए जगह सृजित किया जा सके।

सामग्रियों का अधिक क्रय

3.41 अपने संचरण तंत्र के प्रचालन एवं रखरखाव हेतु आवश्यक उपकरणों (करेंट ट्रान्सफॉर्मर, पोटेंसियल ट्रान्सफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर इत्यादि) का क्रय क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर केंद्रीयकृत रूप से बोर्ड द्वारा किए गए थे।

बोर्ड द्वारा 132 के0भी0 क्षमता का 184 करेंट ट्रासफॉर्मर (सी0टी0) जिसमें 72 सी0टी0 600/300/150/1–1–1–1 एम्पीयर विशिष्टीकरण का सम्मिलित था एक क्रयादेश जारी (जुलाई 2009) किया गया।

हमने पाया कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त आवश्यकताओं का सही विश्लेषण नहीं किया गया था। तीन अंचलों[16] में आवश्यक 21 सी0टी0 के विरूद्ध बोर्ड ने बिना किसी औचित्य के इसे बढाकर 57 सी0टी0 कर दिया था।

विद्युत संचरण अंचल, पटना के अन्तर्गत अंचल भंडार के दस्तावेजों की जाँच से यह ज्ञात हुआ कि प्राप्त किए गए 48 सी0टी0 में से 47 जिनका मूल्य ₹0.47 करोड़ था बिना किसी प्रयोग के मार्च 2010 से मार्च 2012 तक निष्क्रिय पड़े थे तथा इन सी0टी0 का गारंटी अवधि भी समाप्त हो चुका था।

इस प्रकार, ₹0.47 करोड़ मूल्य के 47 सी0टी0 का बिना किसी जरूरत के क्रय करना पिछले दो साल से निधियों के अवरोधन में परिणत हुआ।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2012) कि डेहरी–ऑन–सोन के द्वारा प्रस्तुत आवश्यकता 15 सेट अर्थात् 45 सी0टी0 के लिए था। अतः बोर्ड द्वारा आवश्यकताओं के विश्लेषण में कोई विफलता नहीं हुई। जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि डेहरी–ऑन–सोन द्वारा भेजी गई आवश्यकता मात्र पाँच सेटों की थी (दो सेट डेहरी सब–स्टेशन के लिए, सोन नगर सब–स्टेशन, कर्मनाशा सब–स्टेशन एवं डुमराँव सब–स्टेशन के लिए प्रति सब–स्टेशन एक)। जवाब में विद्युत संचरण अंचल, पटना में अप्रयुक्त सी0टी0 के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था।

16 15 ई0टी0सी0, डेहरी–ऑन–सोन द्वारा, तीन सीटी ई0टी0सी0, पटना द्वारा तथा तीन ई0टी0सी0, गया द्वारा।

अनुश्रवण एवं नियंत्रण

3.42 विभिन्न मापदंडों यथा, अधिकतम एवं न्यूनतम वोल्टेज स्तर, ब्रेक डाउन वोल्टेज प्रोफाईल के अनुसार 400/220/132 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन एवं लाईनों के प्रदर्शन का अभिलेखन एवं रख–रखाव ग्रिड कोड के मानक के अनुरूप किया जाना चाहिए। हमलोगों ने पाया कि एस0एस0 एवं लाईनों के वर्षवार समेकित प्रदर्शन का न तो रख–रखाव हो रहा था और न इन्हें इनके वार्षिक मूल्यांकन हेतु समेकित किया जा रहा था।

आगे, संचरण लाईनों एवं सब–स्टेशन (टी0एल0 एवं एस0एस0) के क्षेत्रीय प्रमंडलों द्वारा मासिक प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन का संग्रहण किया गया था जो कि ईकाईयों के प्रदर्शन/निष्पादन तथा संस्थापित उपकरणों को इंगित करे। क्षेत्रीय ईकाई द्वारा तैयार प्रबंध सूचना प्रणाली प्रतिवेदन के सत्यापन से यह ज्ञात हुआ कि इनमें उपकरणों जैसे सर्किट ब्रेकर, तेल बदले जाने की अगली निर्धारित तिथि, ऑन लोड टैप चेंजर का प्रचालन, रखरखाव कार्यों की तिथियाँ, सब–स्टेशन बैट्रियों का प्रदर्शन से संबंधित विवरण का उल्लेख नहीं किया जा रहा था।

बोर्ड द्वारा विभिन्न संचरण लाईनों तथा ग्रिड सब–स्टेशन का अभिसूचित रख–रखाव नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप संचरण लाईन 2007–08 से 2011–12 के दौरान 432 बार ट्रिप किया जिसमें संचालकों के टूटने के कारण 196 ट्रिपिंग भी शामिल थे। 2007–08 में ट्रिपिंगो की संख्या 76 थी जो 2011–12 में बढ़कर (71 प्रतिशत) 130 ट्रिपिंग हो गई।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2012) कि संभावित खराबी यथा लूज जम्फर, गर्म स्थल हार्डवेयर की खराबी, इत्यादि के पता लगाने के लिए संचरण लाईनों की नियमित पेट्रोलिंग की जाती है एवं किसी खराबी का पता चलने पर तुरंत उसे ठीक किया जाता है। साथ ही, लाईनों में हुई ट्रिपिंग के बारे में बोर्ड ने कहा कि यह मुख्य रूप से अनायास अल्पकालीन खराबी, ढ़ीले जम्फर, विच्छेदित जम्फर, अर्थवायरों के टूटने इत्यादि एवं किसी डिस्क ईन्सूलेटर के अचानक पंचर हो जाने जिसके कारण अर्थ फॉल्ट हो जाता है के कारण हुए। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि ट्रिपिंग से संबंधित बताए गए सभी कारणों को नियमित/प्रभावी पेट्रोलिंग एवं पाए गए खराबियों को सामयिक कार्रवाई के द्वारा टाला जा सकता था। एम0आई0एस0 प्रतिवेदन में उल्लेखित न्यूनताओं पर उत्तर मौन था।

टी0 एण्ड डी0 योजनाओं के परिकल्पित लाभों की समीक्षा

3.43 बोर्ड द्वारा मार्च 2012 तक समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों में 19 अति उच्च विभव सब–स्टेशन प्रतिष्ठापित किया गया एवं 841 सी0के0एम0 अति उच्च विभव लाईनों का निर्माण किया गया। टी0 एण्ड डी0 योजना को स्वीकृत करते समय इस नई योजना से लाईन में होने वाली ऊर्जा हानि में कमी, वोल्टेज स्तर में सुधार एवं वहन दक्षता में वृद्धि इत्यादि के द्वारा लाभ की परिकल्पना बोर्ड द्वारा की गयी थी। अपितु, यह पाया गया था कि टी0 एण्ड डी0 योजनाओं में परिकल्पित लाभों को प्राप्त करने में बोर्ड असफल रहा। हमने पाया कि 2007–08 में संचरण हानि जो कि 7.41 प्रतिशत था बढ़कर 2011–12 में 9.75 प्रतिशत हो गया। 220/132 के0भी0 का वोल्टेज स्तर एवं 132/33 के0भी0 का वोल्टेज स्तर क्रमशः 252–177 के0भी0 एवं 154–98 के0भी0 के बीच पाया गया जिससे भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के मानकों का उल्लंघन हुआ। इस प्रकार बोर्ड इस योजना में परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा।

तुच्छ अनुश्रवण के कारण सामग्रियों की चोरी

3.44 132 के0भी0 एक्स0एल0पी0ई0 केबल (केबल) जो कि राजेन्द्र पुल, हाथीदाह पर बिछा हुआ था का प्रयोग सिमरिया होते हुए हाथीदाह सब–स्टेशन से बी0टी0पी0एस0 (दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार) को विद्युत आपूर्ति हेतु किया जा रहा था। बोर्ड ने इसके परित्याग एवं विघटित करने का निर्णय (मई 2008) लिया तथा इसे भंडार में रख देने का निर्णय लिया ताकि इसका आगे उपयोग किया जा सके। आगे, केबल के विघटन तक, उसकी सुरक्षा हेतु, एक निजी सुरक्षा एजेन्सी को नियुक्त किया गया था (नवम्बर 2007)। प्रतिनियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी चोरी/नुकसान के लिए एजेन्सी जिम्मेवार था। केबल के विघटन का कार्यादेश दो निविदाकारों को ₹ 15.36 लाख प्रत्येक की कीमत पर जनवरी 2011 में आवंटित किया गया था।

बोर्ड द्वारा केबल के विघटन का निविदा ससमय निष्पादन न करने के कारण चोरी/क्षति एवं केबल की सुरक्षा के मद में ₹1.50 करोड़ की हानि हुई

लेखापरीक्षा के जाँच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि बोर्ड द्वारा केबल विघटन का निर्णय लेने (मई 2008) की तिथि से कार्य का आवंटन (जनवरी 2011) होने तक 862 मीटर केबल जिसका मुल्य ₹0.68 करोड़[17] था, चुरा लिया गया एवं 519.5 मीटर जिसका मुल्य ₹0.41 करोड़ था बदमाशों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। साथ ही बोर्ड ने केबल की सुरक्षा हेतु ₹ 0.41 करोड़ का व्यय किया। इस प्रकार बोर्ड निविदा निस्तारण में असफल रहा और कार्य आवंटन करने में 32 महीनों का समय लिया। फलतः केबल की चोरी/क्षति (₹1.09 करोड़) एवं केबल की सुरक्षा के मद में व्यय (₹ 0.41 करोड़) के कारण बोर्ड को ₹1.50 करोड़ की हानि हुई।

आगे, चोरी/क्षति के कारण होने वाले हानि की भरपाई सुरक्षा एजेन्सी से करने हेतु बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया था यद्यपि कि प्रतिनियुक्ति की शर्तों में इसका प्रावधान था।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2012) कि चोरी की अनेक घटनाएँ हुई जिन्हें अनेक प्रयासों के बावजूद रोका नहीं जा सका और केबल अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था जो मरम्मत योग्य नहीं था। बोर्ड ने भी यह स्वीकार किया कि केबल विघटन हेतु निविदा के निस्तारण में विलम्ब हुआ। बोर्ड के द्वारा सुरक्षा एजेन्सी से उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार चोरी/क्षति पर हुई हानि की वसूली के संबंध में कोई भी जवाब नहीं दिया।

निष्कर्ष

- **बोर्ड ने संचरण प्रणाली के परिवर्धन/संवर्धन हेतु कोई वर्षवार योजना नहीं बनाई थी। इसके बदले, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बोर्ड के लिए एक योजना बनायी गयी थी।**
- **बोर्ड ने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचरण, परियोजनाओं हेतु संस्थापित कार्य बल के द्वारा दी गई अनुशंसाओं का अनुपालन नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएँ समय पर पूरी नहीं हो सकी और समय और लागत में वृद्धि हुई।**
- **संचरण प्रणाली का प्रचालन कुशल एवं प्रभावी नहीं था। फलस्वरूप संचरण हानियाँ मानक हानियों से अधिक थीं, सब–स्टेशनों के वोल्टेज स्तर सीमाओं के अधीन नहीं थे, 132 के0भी0 के फीडर अपनी थर्मल लोड सीमा से अधिक भारित पाए गए।**

17 (जुलाई 2007 में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बदलने हेतु दिया गया ₹ 7919.737 प्रति मीटर दर से लागत के आधार पर संगणित)

अध्याय - IV

4.कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

अध्याय–IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड

4.1 निष्फल व्यय

बी0ई0आर0सी0 की दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप परामर्श शुल्क के मद में ₹ 29.62 लाख का निष्फल व्यय एवं कम दरों पर उर्जा–शक्ति के विक्रय से ₹ 4.72 करोड़ के राजस्व की हानि

विद्युत–शक्ति अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 62 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) को बी0ई0आर0सी0 (दर अध्यादेश के निर्धारण हेतु नियमों एवं शर्तो) विनियम, 2007 (विनियम) में निहित प्रक्रिया के अनुसार दर निर्धारण करना होता है। विनियम की कंडिका 6(8) के अनुसार, बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) को प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु पूर्व वर्ष के 15 नवम्बर तक निर्दिष्ट प्रारूप में आवश्यक आँकड़ों के साथ कुल राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर0) दायर करना होता है ताकि अधिनियम की धारा 64(3) के अनुसार दर याचिका पर कार्यवाही एवं इसका अन्तिमीकरण यथा–निर्दिष्ट 120 दिनों में हो सके। कंडिका 5 यह भी अनुबद्ध करता है कि दर निर्धारण हेतु उत्पादन कम्पनी, आवेदन से पूर्व के वर्ष के वार्षिक लेखा, जिसकी लेखापरीक्षा एवं प्रमाणीकरण सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा हो चुकी है, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करे।

कम्पनी अपनी जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का विक्रय बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) को करती है। कम्पनी ने बी0ई0आर0सी0 को वर्ष 2009–10 हेतु एक दर याचिका (मार्च 2009) दाखिल की थी। चूँकि कम्पनी की वार्षिक लेखाएँ 1997–98 से बकाये में थीं, आयोग ने ₹ 2.49 प्रति किलो वॉट घंटा का औपबंधिक दर अनुमोदित (दिसम्बर 2009) किया एवं कम्पनी को बकाये में चल रही अपनी वार्षिक लेखाओं का सांविधिक लेखापरीक्षकों/सी0ए0जी0 द्वारा लेखापरीक्षा एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कराने का निर्देश दिया। आयोग ने यह भी निर्देश किया कि भविष्य में कम्पनी वर्ष प्रस्तावना अपनी वार्षिक लेखाओं एवं उनपर सांविधिक लेखापरीक्षक/सी0ए0जी0 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ समर्पित करेगी।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि:

- कम्पनी ने, बी0ई0आर0सी0 के बकाए में चल रही वार्षिक लेखाओं के अद्यतीकरण के सम्बन्ध में आदेशों के अनुपालन के बजाए, वर्ष 2010–11 (दिसम्बर 2009) एवं 2011–12 (दिसम्बर 2010) हेतु दर प्रस्ताव तैयार करने का कार्य एक परामर्श अभिकरण प्राइसवॉटर हाऊस कूपर (पी0डब्ल्यू0सी0) को दे दिया एवं परामर्श एवं अन्य शुल्क के मद में ₹ 23.47 लाख एवं दर याचिकाओं के दाखिल करने के मद में ₹ 6.15 लाख का भुगतान किया।

- बी0ई0आर0सी0 द्वारा पूर्व में दिए गए दिशा–निर्देशों की अवहेलना कर कम्पनी ने वर्ष 2010–11 (अप्रैल 2010) एवं वर्ष 2011–12 (दिसम्बर 2010) हेतु क्रमशः ₹ 3.72 प्रति के0डब्ल्यू0एच0 एवं ₹ 2.99 प्रति के0डब्ल्यू0एच0 का ए0आर0आर0/दर याचिका बिना लेखापरीक्षा की गई लेखाओं के साथ दाखिल किया। फलस्वरूप बी0ई0आर0सी0 ने दिशा–निर्देशों का अनुपालन न होने के कारण दोनों वर्ष हेतु कम्पनी द्वारा दाखिल की गई दर याचिका को जून 2010 एवं मई 2011 में खारिज कर दिया। अतः बी0ई0आर0सी0 द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप बी0ई0आर0सी0 द्वारा दर याचिका खारिज करने के फलस्वरूप परामर्श एवं दर दाखिल शुल्क के मद में ₹ 29.62 लाख का किया गया व्यय निष्फल हो गया। इसके साथ ही कम्पनी को वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में निम्नतर दर पर विद्युत–शक्ति के विक्रय के फलस्वरूप ₹ 4.72 करोड़[1] के राजस्व का घाटा सहना पड़ा।

प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा (जुलाई 2012) कि परामर्श एवं दाखिला शुल्क के मद में कम्पनी द्वारा किया गया व्यय बी0ई0आर0सी0 द्वारा ₹ 2.99 प्रति के0डब्ल्यू0एच0 की औपबंधिक दर के अनुमोदन प्रत्याशा में किया गया था। कम्पनी ने यह भी कहा कि लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षक/सी0ए0जी0 द्वारा लेखापरीक्षा कराने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि हमलोग जवाब से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि कम्पनी द्वारा बकाए में चल रही अपनी लेखाओं के अन्तिमीकरण हेतु लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षक/सी0ए0जी0 द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रमानुसार लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु यथा आवश्यक दूरदर्शिता एवं गम्भीरता से प्रयास नहीं किया गया।

बकाए में चल रही अपनी लेखाओं की अन्तिमीकरण हेतु लेखाओं का सांविधिक लेखापरीक्षक/सी0ए0जी0 द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रमानुसार लेखापरीक्षा कराने हेतु कम्पनी को गम्भीरता से प्रयास करनी चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

[1] 2010-11 - 26504682 के0डब्ल्यू0एच0 x ₹ 1.23 (3.72 - 2.49) = ₹ 3.26 करोड़
2011-12 - 29218329 के0डब्ल्यू0एच0 x ₹ 0.50 (2.90-2.40) = ₹ 1.46 करोड़ कुल: ₹ 4.72 करोड़

4.2 कर्मचारियों को अनियमित भुगतान

कम्पनी ने वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों को ₹ 32.56 लाख की प्रोत्साहन राशि का अनियमित भुगतान किया

अन्य बातों के साथ–साथ वित्त विभाग, बिहार सरकार ने दिसम्बर 1984 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) को निर्देश निर्गत किया था कि वे एक्स–ग्रेशिया अथवा समान प्रकृति के देय का भुगतान अपने कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासी अनुभाग से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही करेंगे। प्रशासी विभाग सम्बन्धित सा0क्षे0उ0 को, कर्मचारियों को भुगतान के मसौदा के औचित्य को सिद्ध करते हुए अनिवार्यतः वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने पर ही, सरकार के निर्णय से अवगत कराएगी।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया (मार्च 2012) कि बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के उल्लंघन में प्रशासी विभाग से बिना अनुमोदन लिए अपने कर्मचारियों को वर्ष 2008–10 के दौरान प्रोत्साहन के रूप में ₹ 32.56 लाख[2] की राशि का भुगतान किया। कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का यह भुगतान कम्पनी की निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बिना किया गया था। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों का प्रोत्साहन राशि का किया गया भुगतान ₹ 32.56 लाख की अनियमित भुगतान में परिणत हुआ।

प्रबंधन ने कहा (मई 2012) कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर्मचारियों के योगदान एवं उत्पादकता को प्रेरित करने हेतु किया गया था। साथ ही, प्रोत्साहन राशि के भुगतान से सम्बन्धित मामला निदेशक–मण्डल के अनुमोदन हेतु उपस्थापित नहीं किया जा सका चूँकि उक्त कथित अवधि के दौरान निदेशक मण्डल की बहुत कम बैठकें आहूत की गई थीं।

तथापि, जवाब इस तथ्य पर प्रकाश नहीं डाल सका कि इन भुगतानों से पूर्व प्रशासी विभाग की अनुमति क्यों नहीं ली गई थी। साथ ही ये भुगतान, लाभ के औपबंधिक आँकड़ों के आधार पर किए गए थे, चूँकि कम्पनी की लेखाओं की लेखापरीक्षा बकाये में थी।

कम्पनी को अपनी लेखाओं के बकाए का अन्तिमीकरण करने हेतु प्रयास करना चाहिए एवं साथ ही एक्स–ग्रेशिया अथवा समान देय के भुगतान से पूर्व वित्त विभाग के निर्देशों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

[2] ₹ 13.77 लाख (2008 - 09) + ₹ 18.79 लाख (2009 - 10)

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

4.3 ब्याज का परिहार्य भुगतान

कर दायित्व के समुचित निर्धारण की प्रणाली के अभाव के कारण अग्रिम आयकर का अल्प भुगतान जो ₹ 1.39 करोड़ की परिहार्य ब्याज भुगतान में परिणत हुआ

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 207 के अनुसार वैसी स्थिति में जहाँ आयकर की भुगतेय राशि ₹ 10,000 अथवा अधिक है, प्रत्येक कर दाता को अधिनियम की धारा 208 से 219 के उपबन्धों के अनुसार, वित्तीय वर्ष की प्राक्कलित आय पर निर्दिष्ट दरों पर चार अग्रिम किस्तों[3] में अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। कर के न्यूनतम 90 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान में विफलता अथवा निर्दिष्ट दरों पर कर जमा करने में कमी होने पर अधिनियम की धारा 234 बी एवं 234 सी के अनुसार अलग से प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतेय होगा। ऐसे ब्याज भुगतान की स्थिति को टालने के लिए अग्रिम कर के जमा को सुनिश्चित करने हेतु कर योग्य आय का समुचित प्राक्कलन आवश्यक हो जाता है।

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0प0वि0नि0) एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बि0रा0पु0नि0नि0) की स्थापना मुख्यतः बिहार राज्य में पथों एवं पुलों की निर्माण हेतु क्रमशः की गई है और ये उक्त कथित अधिनियम की धाराओं के अनुसार अपने प्राक्कलित आय पर अग्रिम कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नतः प्रदर्शित किया :

- बि0रा0प0वि0नि0 ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए ₹ 10 करोड़ के आयकर का अग्रिम भुगतान किया। इसमें से ₹ दो करोड़ का भुगतान (15 जून 2010) प्रथम तिमाही में हुआ; ₹ चार करोड़ का भुगतान (14 सितम्बर 2010) दूसरी तिमाही में हुआ; तीसरी तिमाही में भुगतान शून्य रहा एवं ₹ चार करोड़ का भुगतान (14 मार्च 2011) चौथी तिमाही में हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.75 करोड़ की कर की राशि की कटौती कम्पनी की आय स्त्रोत पर की गई थी। वित्तीय वर्ष 2010–11 में बि0रा0प0वि0नि0 का कुल कर दायित्व ₹ 18.86 करोड़ था। चूँकि भुगतान किए गए कुल कर की राशि (₹ 10 करोड़ का अग्रिम कर एवं ₹ 2.75 करोड़ की स्त्रोत पर कर कटौती) भुगतेय कर की राशि के 90 प्रतिशत से कम थी, बि0रा0प0वि0नि0 को ₹ 0.72 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना पड़ा। शेष ₹ 6.11 करोड़ के आयकर (₹ 18.86 करोड़ – ₹ 12.75 करोड़) एवं ₹ 0.72 करोड़ ब्याज की राशि का भुगतान कम्पनी ने सितम्बर 2011 में किया।

[3] 15 जून अथवा पहले (वैसे अग्रिम कर का 15 प्रतिशत से कम नहीं); 15 सितम्बर (वैसे अग्रिम कर का 45 प्रतिशत से कम नहीं जो कि पहली किस्त में भुगतेय की गई राशि से घटा ली गई हो); 15 दिसम्बर (वैसे अग्रिम कर का 75 प्रतिशत से कम नहीं जो कि पूर्व किस्तों में भुगतान की गई राशि से घटा ली गई है) एवं वित्तीय वर्ष का 15 मार्च (वैसे अग्रिम की कुल राशि से पूर्व की किस्तों में जमा की गई राशि घटा ली गई हो)।

- इसी प्रकार, बि0रा0पु0नि0नि0 ने वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु ₹ 14.50 करोड़ का भुगतान अग्रिम आयकर के रूप में किया। इसमें से ₹ 2.70 करोड़ का भुगतान (12 जून 2009) प्रथम तिमाही में, ₹ 2.38 करोड़ का भुगतान (15 सितम्बर 2009) दूसरी तिमाही में, ₹ 4.27 करोड़ का भुगतान (19 दिसम्बर 2009) तीसरी तिमाही में तथा ₹ 5.15 करोड़ का भुगतान (12 मार्च 2010) चौथी तिमाही में हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.05 करोड़ के कर की कटौती कम्पनी के आय–स्त्रोत पर की गई थी। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु बि0रा0पु0नि0नि0 का कुल कर दायित्व ₹ 22.02 करोड़ था। चूँकि भुगतान किए गए कुल कर की राशि (₹ 14.52 करोड़ का अग्रिम कर एवं ₹ 2.05 करोड़ कर की स्त्रोत पर कटौती) भुगतेय कर की राशि के 90 प्रतिशत से कम थी, बि0रा0पु0नि0नि0 को ₹ 0.67 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना पड़ा। शेष ₹ 5.45 करोड़ (₹ 22.02 करोड़– ₹ 16.57 करोड़) एवं ₹ 0.67 करोड़ के ब्याज की राशि का भुगतान कम्पनी ने सितम्बर 2010 में किया।

अग्रिम कर भुगतान के लिए कर भुगतेय आय के प्राक्कलन हेतु प्रासंगिक सूचनाएँ यथा प्राक्कलित विक्रय/राजस्व इत्यादि की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली होनी चाहिए। तथापि, मार्च 2011 के महीने में भी जब अग्रिम कर की चौथी एवं अंतिम किस्त का भुगतान किया गया था, बि0रा0प0वि0नि0 को वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अपनी विक्रय ज्ञात (संविदा राजस्व 2009–10 में ₹ 415 करोड़ के विरूद्ध 2010–11 में ₹ 881 करोड़ था) नहीं था जो वित्तीय वर्ष 2009–10 की बिक्री के दो गुणा अधिक था। । इसी प्रकार, बि0रा0पु0नि0नि0 प्रबन्धन को भी अग्रिम कर की चौथी एवं अंतिम किस्त के भुगतान के समय भी वर्ष 2009–10 के लिए अपनी विक्रय ज्ञात नहीं था। यह प्रेक्षित किया गया कि प्रणाली के अभाव में, दोनों कम्पनियों ने कर भुगतेय आय का निर्धारण उचित ढंग से नहीं किया था तथा कम अग्रिम कर का भुगतान किया जिसके फलस्वरूप इन्हें ₹ 1.39 करोड़ का परिहार्य ब्याज भुगतान करना पड़ा (बि0रा0प0वि0नि0 ₹ 0.72 करोड़, बि0रा0पु0नि0नि0 ₹ 0.67 करोड़)।

बि0रा0प0वि0नि0 प्रबंधन ने कहा (मार्च 2012) कि वर्ष 2010–11 में अग्रिम कर का भुगतान, वर्ष 2009–10 में ₹ 13.10 करोड़ के कर भुगतान के आधार पर किया गया था। वर्ष 2010–11 में कर दायित्व में बढ़ोत्तरी, वित्तीय वर्ष 2009–10 के सापेक्ष बिक्री में दो गुणा बढ़ोत्तरी, के कारण था जिसका निर्धारण सांख्यिकी आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सका था।

बि0रा0प0वि0नि0 का प्रशासी विभाग (पथ निर्माण विभाग) ने अपने जवाब में कहा (अगस्त 2012) कि ₹ 0.72 करोड़ के ब्याज का भुगतान, कम्पनी का वास्तविक व्यय नहीं था, चूँकि कम्पनी ने विलम्ब से जमा की गई अग्रिम कर, जो बैंक जमा मद में निवेशित थी, पर आय अर्जित किया था। अतः विभाग ने यह दावा किया, कि ब्याज के मद में कम्पनी द्वारा किया गया निवल भुगतान काफी कम था। सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि कम्पनी ने बहुत बड़ी राशि (31 मार्च 2010 को ₹ 74.16 करोड़) अपने चालू खाता में रखी थी जिस पर कम्पनी ने कोई आय अर्जित नहीं किया था एवं जिसका उपयोग ब्याज भुगतान को टालने के लिए किया जा सकता था।

बि0रा0पु0नि0नि0 प्रबंधन ने अग्रिम कर के अल्प भुगतान का कारण वर्षान्त में त्वरित कार्य प्रगति बताया (जून 2012) जिसके कारण वर्ष की बिक्री का सही आकलन नहीं हो सका। बि0रा0पु0नि0नि0 प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि अग्रिम कर भुगतान के लिए कर योग्य आय के प्राक्कलन हेतु एक प्रणाली हानी चाहिए जो प्रासंगिक सूचनाएँ यथा प्राक्कलित बिक्री/राजस्व इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कर सके।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2010–11 का मार्च 2011 (बि0रा0प0वि0नि0) में विक्रय निर्धारण तथा वर्ष 2009–10 का मार्च 2010 (बि0रा0पु0नि0नि0) में विक्रय निर्धारण में कम्पनियों की विफलता यह इंगित करता है कि भुगतेय आय एवं कर दायित्व के समुचित निर्धारण सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली का अभाव था। इसके कारण ₹1.39 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

कर भुगतेय आय एवं अन्य प्रक्षेपणों के निर्धारण हेतु बिक्री, राजस्व एवं अन्य प्राचलिकों से संबंधित सूचनाओं की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012), बि0रा0पु0नि0नि0 के संदर्भ में जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2012)।

सांविधिक निगमें

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

4.4 टी0डी0एस0 के मद में दावा प्रस्तुत नहीं करने से बोर्ड को हानि

अदाकर्त्ता बैंकों से टी0डी0एस0 प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में एवं टी0डी0एस0 वापसी हेतु दावा दाखिल करने में बोर्ड की विफलता के फलस्वरूप बोर्ड को ₹ 12.87 करोड़ की हानि

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 194 (क) के अनुसार सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज अदाकर्त्ता बैंकों द्वारा स्रोत पर आयकर कटौती (टी0डी0एस0) के अधीन है। अधिनियम की धारा 203 के अनुसार बैंक आयकर विभाग को टी0डी0एस0 जमा करती है और इस मद में करदाता संगठन को एक प्रमाण–पत्र देती है। टी0डी0एस0 की वापसी हेतु करदाता को आयकर रिटर्न नियत तिथि के अन्दर, जहाँ कर भुगतेय राशि शून्य है अथवा जहाँ शून्य या कम कर दायित्व है, दाखिल कर दावा प्रस्तुत करना चाहिए।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के पास ₹ 807.50 करोड़ (2008–09), ₹ 629.34 करोड़ (2009–10), ₹ 1127.79 करोड़ (2010–11) एवं ₹ 1771.30 करोड़ 2011–12 का सावधि जमा नौ बैंकों[4] में था। बोर्ड द्वारा अर्जित ब्याज पर बैंकों ने टी0डी0एस0 की कटौती की थी। तथापि बोर्ड ने बैंकों से टी0डी0एस0 प्रमाण प्राप्त करने हेतु कोई

[4] स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्यलोक शाखा।

प्रयास नहीं किया। इस तरह बैंकों द्वारा की गई आय स्रोत कर की कटौती की राशि की जानकारी बोर्ड को नहीं थी। यह बैंकों द्वारा आय स्रोत पर की गई कटौती की ससमय सूचना की प्रवाह सुनिश्चितता करने हेतु प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण पद्धति के अभाव को इंगित करता है। लेखापरीक्षा द्वारा टी0डी0एस0 प्रमाण–पत्र का मामला निरन्तर उठाने पर, यह मामला बोर्ड द्वारा अन्ततोगत्वा बैंकों से फरवरी 2012 में उठाया गया। बैंकों ने यह बताया कि 2008–09 से 2011–12 की अवधि के दौरान टी0डी0एस0 के मद में ₹ 36.14 करोड़ की राशि की कटौती हुई थी। चूँकि बोर्ड घाटे में चल रहा था, यह बोर्ड के लिए आवश्यक था कि वह नियत समय सीमा के अन्दर आयकर रिटर्न दाखिल कर टी0डी0एस0 वापसी हेतु दावा प्रस्तुत करता।

हमलोगों ने यह प्रेक्षित किया कि अभिलेखों की समुचित रख–रखाव नहीं होने से, बैंकों से निकटवर्ती समन्वय के अभाव एवं आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करने के कारण, उपर्युक्त ₹ 36.14 करोड़ टी0डी0एस0 की वापसी हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यह बोर्ड द्वारा स्तरहीन निधि प्रबंधन एवं साथ ही अपनी वित्तीय अभिरूचियों की उपेक्षा को इंगित करता है।

बोर्ड ने जवाब में कहा (जुलाई 2012) कि 2008–09 से 2011–12 के दौरान बैंकों द्वारा की गई ₹ 36.14 करोड़ की टी0डी0एस0 कटौती की विवरणी बैंकों से प्राप्त कर ली गई है। साथ ही, आयकर रिटर्न दाखिल कर टी0डी0एस0 वापसी हेतु दाखिल करने की प्रक्रिया प्रगति में था। तथ्य यही है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने तक, ब्याज आय पर टी0डी0एस0 सूचना सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड के पास कोई प्रणाली नहीं थी। इसके अलाावा, मार्च 2011 तक बोर्ड ने आय का रिटर्न केवल वित्तीय वर्ष 2000–01 तक दाखिल किया था। यहाँ यह भी इंगित करना प्रासंगिक है कि 2010–11 तक ₹ 36.14 करोड़ राशि की टी0डी0एस0 कटौती में से, ₹ 12.87 करोड़[5] की राशि कालातीत हो गयी चूँकि वित्तीय वर्ष, जिसमें टी0डी0एस0 कटौती की गई है, से दो वर्ष व्यतीत होने पर टी0डी0एस0 वापसी हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार अदक्षपूर्ण आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति एवं स्तरहीन निधि प्रबंधन के कारण बोर्ड ससमय ₹ 36.14 करोड़ की टी0डी0एस0 राशि की वापसी, जिसमें ₹ 12.87 करोड़ की कालातीत राशि भी सम्मिलित है का दावा प्रस्तुत करने में विफल रहा।

टी0डी0एस0 सम्बन्धी सूचना, आयकर रिटर्न का ससमय दाखिल करना एवं अपनी निधि का प्रभावकारी तथा दक्षपूर्ण प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड को अपनी नियन्त्रण पद्धति को सुदृढ़ करना चाहिए। इसके आलावा, हुई हानि हेतु बोर्ड को जवाबदेही तय करनी चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

[5] 2008 - 09 के लिए ₹ 6.38 करोड़ तथा 2009–10 के लिए ₹ 6.49 करोड़।

4.5 सरकारी आवासीय भवनों में विद्युत की चोरी

उपभोक्ताओं के आवास में चालू मीटर प्रतिस्थापन एवं अनधिकृत विद्युत प्रयोग को ज्ञात करने हेतु उपभोक्ताओं के आवासों के निरीक्षण में विफलता के कारण बोर्ड ने ₹ 17.40 करोड़ के राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया

अन्य बातों के साथ–साथ विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 135 (1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कपट से अनुज्ञप्तिधारक अथवा आपूर्तिकर्त्ता की सेवा व्यवस्था से विद्युत प्रयोग हेतु टेप कनेक्शन अथवा कनेक्शन करवाता है तो उसे या तो तीन वर्षों का कारावास अथवा आर्थिक दण्ड अथवा दोनों की सजा हो सकती है। बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 (कोड) की कंडिका 11.1 (ग) (iii) एवं (iv) के अनुसार विद्युत चोरी के लिए दाण्डिक शुल्क का निर्धारण वैसी पूरी अवधि के लिए किया जाएगा जिस दौरान विद्युत की चोरी हुई है तथापि वैसी अवधि जिस दौरान अनधिकृत विद्युत का प्रयोग हुआ है का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो वैसी स्थिति में अनधिकृत तरीके से प्रयुक्त अवधि को निकटतम विगत बारह मास की अवधि तक सीमित किया जाएगा एवं दाण्डिक शुल्क का निर्धारण, सम्बन्धित सेवा वर्गों के लिए लागू दर के दो गुणा के आधार पर किया जाएगा।

हमलोगों ने 1940 सरकारी आवासों (पदाधिकारियों हेतु 420[6] एवं अन्य कर्मचारियों हेतु 1520[7]) जो बोर्ड से विद्युत कनेक्शन ले रहे थे, के अभिलेखों यथा उपभोक्ताओं के मास्टर आँकड़े, उपभोक्ता लेजर, विपत्रों आदि की जाँच की जिनसे निम्नलिखित न्यूनताएँ उद्धटित हुईं :

- अप्रैल 2007 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान 320 आवासों, जिसमें 281 पुलिस आवास सम्मिलित हैं, में बिना बोर्ड से समुचित कनेक्शन लिए विद्युत का अनधिकृत तरीके से प्रयोग हो रहा था।

- 147 पदाधिकारियों/कर्मचारियों आवासों में औसत दरों पर विपत्र निर्गत किया जा रहा था क्योंकि वहाँ या तो मीटर नहीं लगा हुआ था अथवा त्रुटिपूर्ण मीटर लगा हुआ था।

- उपर्युक्त 420 पदाधिकारी आवासों में से 261 आवासों में सही विद्युत कनेक्शन एवं मीटर लगा हुआ था जबकि 79 आवासों में या तो मीटर नहीं लगा हुआ था अथवा त्रुटिपूर्ण मीटर लगा हुआ था। आवश्यक जानकारियों के अभाव में 80 अधिकारी आवासों की जाँच नहीं की जा सकी।

- उपर्युक्त पदाधिकारियों की 261 आवासों में से 56 आवासों के मद में अप्रैल 2011 से जनवरी 2012 तक की अवधि के विरुद्ध भुगतान नहीं प्राप्त हुआ था

6 420 पदाधिकारी अवासों में सम्मिलित हैं 84 पदाधिकारी आवास, पुनाईचक, बेलीरोड पर अवस्थित 90 पदाधिकारी आवास, 150 ए0बी0सी0 पदाधिकारी हॉस्टल, पुनाईचक तथा 96 पदाधिकारी आवास, बेली रोड।

7 1520 कर्मचारी आवासों में सम्मिलित हैं पटना में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 316 पुलिस आवास।

एवं 31 जनवरी 2012 तक बकाए का संचय ₹ 35.82 लाख हो गया था एवं बोर्ड ने अभी तक (जनवरी 2012) कोई विद्युत विच्छेदन नहीं किया था।

अग्रेत्तर संवीक्षा से पता चला कि :

- पटना में 17 पुलिस स्टेशनों के 316 उच्च अधीनस्थ (उ0अ0)/अवर अधीनस्थ (अ0अ0) आवासों में से 160 उ0अ0 एवं 121 अ0अ0 आवासों में बोर्ड से बिना कोई कनेक्शन लिए अनधिकृत तरीके से विद्युत का प्रयोग किया जा रहा था जो विद्युत की चोरी के तुल्य है। साथ ही बोर्ड मंडल एवं एस0टी0एफ0 स्तर पर उपभोक्ताओं के परिसर की जाँच में भी विफल रहा। इस सन्दर्भ में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135(1) के अनुरूप बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं किया।

- वास्तविक भार की सूचना की अनुपलब्धता की स्थिति में, लेखापरीक्षा ने पाँच वर्षों हेतु एल0एस0 आवासों के लिए एक के0डब्ल्यू0 तथा यू0एस0 आवासों हेतु दो के0डब्लयू0 का भार माना। इस आधार पर विधान उपवाक्यों के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में पाँच वर्षो हेतु आवासकर्मियों से विद्युत के अनधिकृत प्रयोग/विद्युत चोरी हेतु दाण्डिक शुल्क एवं अन्य शुल्कों की गणना ₹ 17.40[8] करोड़ की गई।

- बकाए के भुगतान नहीं होने की स्थिति में, बोर्ड ने अधिनियम/कोड के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई नहीं की थी। लेखापरीक्षा में यथा विश्लेषित भुगतान नहीं होने का कारण यह प्रदर्शित हुआ कि 39 आवासों के मामले में, विपत्रों की तैयारी और उनका निर्गमन उन अधिकारियों के नाम से हुआ था जिन्होंनें अप्रैल 2011 से जनवरी 2012 की अवधि में आवास खाली कर दिया था। साथ ही नए आवंटनधारियों/आवासकर्मियों द्वारा बोर्ड से बिना कोई कनेक्शन लिए विद्युत का प्रयोग किया जा रहा था जो पुनः विद्युत चोरी का मामला है। इस प्रकार, बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 की वाक्य 11.1 (सी) (III) एवं (IV) के अनुसार उनलोगों को भी भारित करना चाहिए था।

- अधिकारियों/कर्मचारियों नें जिन्होंने आवास खाली कर दिया था, बोर्ड को सूचित नहीं किया था ताकि अग्रेतर विपत्र बनाने का कार्य अंतिम विपत्र बनाने के बाद रोक दिया जाए। विपत्र निर्गत करने वाली अभिकरण वास्तविक आवासकर्मियों को पता लगाने में विफल रहा। चूँकि भुगतान नहीं हो रहा था; उप मंडल/मंडल स्तर पर भुगतान स्थिति की समीक्षा कर विद्युत चोरी को मालूम किया जा सकता था परन्तु यह भी नहीं किया गया।

[8] सूत्र = आकलित इकाई = एल x एफ x डी x एच, ₹ 3.48 करोड़ प्रतिवर्ष
कुल 5 वर्षों के लिए ₹ 3.48 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से
जहाँ एल = स्थल जाँच/छापामारी के दौरान पाई गई के0डब्ल्यू0 में कनेक्टेड लोड
एफ = लोड फैक्टर
डी = दिनों की संख्या जिनमें अनाधिकृत विद्युत उपयोग पाया गया
एच = प्रतिदिन उपलब्ध कराए गए औसत आपूर्ति के घंटे

इस प्रकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के अनुसार उपभोक्ताओं के आवासों पर सही/चालू मीटर के प्रतिस्थापन एवं अधिनियम की धारा 126 के अनुसार अनधिकृत विद्युत प्रयोग को मालूम करने हेतु उपभोक्ताओं के आवासों की जाँच में बोर्ड विफल रहा एवं ₹17.40 करोड़ के राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

अनधिकृत विद्युत प्रयोग से बचाव हेतु बोर्ड को उपभोक्ताओं के आवासों की आवधिक जाँच एवं सही तथा चालू मीटरों का प्रतिस्थापन करना चाहिए। इसके आलावा विद्युत अधिनियम/विद्युत आपूर्ति कोड में जैसा कि आवश्यक है, बोर्ड को बकाए का भुगतान नहीं होने पर उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन कर देना चाहिए।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित (अगस्त 2012) किया गया, उनका जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

4.6 राजस्व का कम संग्रहण

विपत्रीकरण में कूट प्रावधानों तथा अपने उपभोक्ताओं से राजस्व के संग्रहण में बोर्ड की असफलता के कारण राजस्व में ₹4.73 करोड़ की राशि का कम संग्रहण हुआ

अन्य बातों के साथ–साथ, बिहार राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता,2007 (संहिता) की धारा 9.20 के अनुसार ऊर्जा के उपभोग के विरूद्ध उपभोक्ताओं को जारी किए गए बिल में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण होगा। संहिता की धारा 10.17 के अनुसार, यदि उपभोक्ता नियत तिथि तक किसी बिल का पूर्ण भुगतान करने में असफल हो, तो उपभोक्ता के सेवा संयोजन (सर्विस कनेक्सन) को अस्थाई रूप से काट दिया जाएगा। धारा 10.20 बताता है कि केवल नियत संस्थापन के बकाया शुल्क/देय राशि के भुगतान के साथ फिर से कनेक्शन लेने के लिए लागू शुल्क के भुगतान के बाद ही आपूर्ति पुनः स्थापित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 10.16 निर्दिष्ट करता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना है कि भुगतान में चूक संबंधी सभी मामलों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाता है तथा अस्थाई अथवा स्थाई वियोजन हेतु विहित प्रक्रिया के अनुसार समय पर कार्रवाई की जाती है।

हमने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के पटना विद्युत आपूर्ति उपक्रम (पेसू) से संबंधित अभिलेखों का जाँच किया तथा पाया कि बिहार मिलिट्री पुलिस के 233 स्टाफ क्वाटर्स (बी0एम0पी0–5, बी0एम0पी0–10 तथा बी0एम0पी0–14) के उपभोक्ताओं के मामले में बिल, वर्ष अप्रैल 2006 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान, 40 से 288 यूनिट प्रतिमाह की दर के औसत आधार पर जारी किया गया क्योंकि क्वाटर्स में एक भी मीटर कार्य नहीं कर रहा था। बोर्ड द्वारा खराब मीटरों को सुधारने तथा नए मीटर संस्थापित करवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, जारी किए गए बिल के विरुद्ध बी0एम0पी कार्यालय से चेक के जरिए बोर्ड द्वारा प्रति माह 40 यूनिट प्रति क्वार्टर की दर से भुगतान स्वीकार किया जा रहा था, औसत आधार पर बढ़ाए बिल के आधार पर नहीं। यद्यपि संहिता प्रावधान के अनुसार, बकाया देय साथ ही पुनः स्थापन शुल्क के भुगतान करने के बाद ही विद्युत का वियोजन तथा पुनः स्थापन समय पर बकाया संग्रहण की आधारभूत आवश्यकता है तथापि बोर्ड द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने पाया कि अधिकांश मामलों में क्वाटर्स के धारक बदल गए थे परन्तु बिल बिना किसी अनुसरण के पुराने उपभोक्ताओं के नाम से जारी हो रहे थे। बोर्ड द्वारा कम प्राप्ति को स्वीकार करने के कारण 31 मार्च 2012 को बकाया ₹ 4.73 करोड़ संचित हो गया, जिसकी वसूली बोर्ड (मार्च 2012) द्वारा अपेक्षित कार्रवाई के अभाव के कारण संदेहास्पद थी।

इस प्रकार बिल बनाने तथा राजस्व के संग्रहण हेतु संहिता प्रावधान का पालन करने में बोर्ड की असफलता के कारण बोर्ड को आवर्ती क्षति हुई जो क्षति मार्च 2012 के अंत में पहले ही ₹ 4.73 करोड़ हो चुकी है उसके जारी रहने की संभावना है यदि खराब मीटर न सुधारे जाएँ अथवा नए मीटर संस्थापित न किए जाएँ।

विद्युत कनेक्शन प्रदान करने, बिल बनाने तथा अपने उपभोक्ताओं से राजस्व के संग्रहण सम्बन्धी संहिता प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड को अपने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, बोर्ड को राजस्व की कम वसूली के लिए अपने कर्मचारियों पर जिम्मेदारी तय करने चाहिए।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012), उनके उत्तर प्रतीक्षित थे नवम्बर 2012)।

4.7 लोड के विस्तार में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

लोड के विस्तार में बोर्ड द्वारा अत्यधिक विलंब के कारण ₹ 2.21 करोड़ की राजस्व की हानि हुई

बिहार विद्युत विनियामक आयोग(वितरण अनुज्ञप्तिधारी का निष्पादन मानदण्ड) विनियम, 2006 के खंड 15 बी तथा 17 के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड), जहाँ 33 के0वी0 लाईन का संस्थापन शामिल है, वहाँ 145 दिन के भीतर तथा जहाँ वितरण नेटवर्क का कोई विस्तार तथा परिवर्तन शामिल नहीं है वहाँ 27 दिनों के भीतर हाई टेंशन (एच0टी) तथा हाई टेंशन स्पेसिफाईड सर्विसेज (एच0टी0एस0एस0) श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में लोड का वृद्धि करेगा।

हमने पाया कि लोड वृद्धि के तीन मामले के संबंध में (***परिशिष्ट–8*** में दिए विवरण के अनुसार) आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा का पालन नहीं हुआ तथा बोर्ड द्वारा लोड की वृद्धि में 92 से 343 दिनों के रेंज में असामान्य विलंब हुआ। अनियमित विलंब हेतु

कारण जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया निम्नवत् है :

- 15 जनवरी 2011 को मेसर्स त्रिवेणी स्मेलटर्स प्राईवेट लिमिटेड से 33 के0भी0 प्रणाली पर 60 एच0पी0 से 6300 के0भी0ए0 लोड के वृद्धि हेतु आवेदन प्राप्त किया गया। औचित्य प्रतिवेदन के साथ लोड वृद्धि प्रस्ताव 24 जनवरी 2011 को विद्युत आपूर्ति अंचल, पटना (ई0एस0सी0) द्वारा केन्द्रीय विद्युत आपूर्ति एरिया बोर्ड (एरिया बोर्ड), पटना को भेजा गया। तथापि, एरिया बोर्ड एवं ई0एस0सी0 के बीच तालमेल की कमी के कारण लोड को 27 जून 2011 को संस्वीकृत की गई तथा आपूर्ति 10 सितम्बर 2011 से आरंभ हुई जो कि 92 दिन विलंब से था।

- 90 एच0पी0 से 2151 के0भी0ए0 लोड वृद्धि हेतु आवेदन 28 जुलाई 2010 को मेसर्स बालाजी मिनी स्टील एण्ड री–रॉलिंग प्राईवेट लिमिटेड, बिहटा से प्राप्त हुआ। यद्यपि मानकों के अनुसार औचित्य प्रतिवेदन को 10 दिनों के भीतर जारी होना था तथापि इसे 02 मई 2011 को जारी किया गया। परिणामस्वरूप, आपूर्ति 287 दिनों के असामान्य विलंब के बाद 04 अक्टूबर 2011 को आरंभ हुआ।

- 7400 के0भी0ए0 से 8000 के0भी0ए0 लोड की वृद्धि हेतु आवेदन 06 जनवरी 2011 को मेसर्स नीलकमल स्टील्स (प्रा0) लिमिटेड, पटना से प्राप्त किया गया तथा औचित्य प्रतिवेदन तैयार करने के बाद लोड वृद्धि प्रस्ताव को अँचल द्वारा संस्वीकृति हेतु 11 जनवरी 2011 को जी0एम0–सह–सी0ई को भेजा गया। तथापि, लोड 14 दिसम्बर 2011 को बोर्ड मुख्यालय द्वारा संस्वीकृत किया गया तथा वृद्धि किए लोड पर आपूर्ति 11 जनवरी 2012 को आरंभ हुई। इस प्रकार, एक स्थान (पटना) पर अवस्थित होने पर भी एरिया बोर्ड तथा अँचल के साथ पत्राचार करने में 343 दिनों का विलंब हुआ।

- बोर्ड के पास समय पर औचित्य प्रतिवेदन की तैयारी, आवेदन की तैयारी तथा निर्दिष्ट समय में लोड की वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु अन्य औपचारिकताओं का अनुश्रवण करने हेतु पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी।

इस प्रकार उल्लेखित तीन मामलों में लोड की वृद्धि में 92 से 343 दिनों के परिहार्य विलंब के कारण बोर्ड को ₹ 2.21 करोड[10] की राजस्व हानि हुई जिसका कारण वृद्धि हुए लोड आधारित टैरिफ से कम टैरिफ पर राजस्व की वसूली होना था।

बोर्ड ने लोड की वृद्धि में विलंब हेतु मेसर्स त्रिवेणी स्मेलटर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स नीलकमल स्टील्स (प्रा0) लिमिटेड पर उपभोक्तओं द्वारा दिए आवेदन में त्रुटियों के निवारण तथा उनके विरुद्ध ऊर्जा विपत्र (मे0 नीलकमल स्टील्स (प्रा0) लिमिटेड) के समाशोधन में समय खपत करने का आरोप लगाया (नवम्बर 2012)। मे0 बालाजी मिनी स्टील्स एंड री0–रौलिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में विलंब हेतु बोर्ड ने कहा कि इसका कारण बाद वाले के 33 के0भी0 लाईन से ऊर्जा की टैपिंग के जरिए वृद्धि हुए लोड प्रदान करने हेतु दूसरे उपभोक्ता द्वारा विरोध का निपटारा करना था।

10 मे0 त्रिवेणी स्मेलटर्स प्राइवेट लिमिटेड (₹1.32 करोड़), मे0 मीनी स्टील्स और री–रॉलिंग प्राइवेट लिमिटेड (₹ 0.41 करोड़) तथा मे0 नीलकमल स्टील्स (प्रा0) लिमिटेड (₹ 0.48 करोड़)।

बोर्ड का जवाब युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि यह लेखापरीक्षा में पाया गया कि लोड की वृद्धि में विलंब मुख्यतः प्रक्रियागत विलंब तथा बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों के बीच तालमेल की कमी के कारण हुआ।

बोर्ड को प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ अपने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में प्रक्रियागत विलंब को कम किया जा सके।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

4.8 उपभोक्ताओं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि

उपभोक्ताओं के त्रुटिपुर्ण वर्गीकरण तथा टैरिफ प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने के कारण बोर्ड को ₹ 1.47 करोड़ की राजस्व हानि हुई

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश[11] के अनुसार एक प्वाईंट से अधिक मात्रा में लोड लेने वाले आवासीय कॉलनी तथा बहु–मंजिला आवासीय कॉम्प्लेक्सों पर घरेलू सेवा (डी0एस0)-III लागू होगा, यानि न्यूनतम प्रति फ्लैट/घर 2 किलो वाट तथा कुल लोड के मामले में 60 किलो वाट तक। 75 के0भी0ए0 तथा उससे अधिक वाले लोड हाई टेंशन सेवा (एच0टी0एस0)-I श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

हमने पाया कि मंडलीय लेखा कार्यालय, मध्य पूर्व रेलवे, बीबीगंज को डी0एस0-III टैरिफ श्रेणी के अंतर्गत 60 के0भी0 का लोड अपने 107, आवासीय क्वाटर्स के विद्युतिकरण हेतु आवंटित किए गए तथा अगस्त 2010 तक डी0एस0-III टैरिफ के अनुसार तथा इसके बाद डी0एस0-II के अनुसार विपत्र दिए गए[12] । नवम्बर 2006 से मार्च 2012 की अवधि हेतु उपभोक्ता के विरुद्ध प्रभारित कुल राशि ₹ 12.21 लाख हो गई।

107 आवासीय क्वाटर्स हेतु न्यूनतम कुल लोड 214 (107×2) किलो वाट (238 के0भी0ए0) हो गया जो उसके एच0टी0एस0 के रूप में वर्गीकरण को उचित सिद्ध करता है क्योंकि कुल लोड 75 के0भी0ए0 से अधिक हो गया। इस प्रकार, एच0टी0एस0–I श्रेणी के बजाए डी0एस0–III/डी0एस0–II के अन्तर्गत उक्त उपभोक्ता को संस्वीकृत लोड गलत था तथा टैरिफ प्रावधान के अनुसार नहीं था। टैरिफ प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, एच0टी0एस0–I हेतु टैरिफ के अनुसार भारित होने वाली राशि ₹159.57 लाख थी।

इस प्रकार एच0टी0एस0-I के बजाय डी0एस0-III/डी0एस0-II के अंतर्गत उपभोक्ता के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण बोर्ड ने उपभोक्ता पर नवम्बर 2006 से मार्च 2012 की

11 नवम्बर 2006, सितम्बर 2008, दिसम्बर 2010 तथा मई 2011

12 शहरी क्षेत्रों में घरेलू भवनों के लिए लागू।

अवधि में ₹ 159.57 लाख[13] के बजाय मात्र ₹ 12.21 लाख प्रभारित किया जिससे ₹ 147.36 लाख (₹ 159.57 लाख – ₹ 12.21 लाख) के राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड को टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार अपने उपभोक्ताओं को वर्गीकृत करना चाहिए तथा तदनुसार विपत्र देना चाहिए। इसके अतिक्ति बोर्ड को उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण के कारण बोर्ड को हुई क्षति हेतु जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

मामला बोर्ड तथा सरकार को प्रतिवेदित (मई 2012) किए गए; उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

4.9 उपभोक्ता–श्रेणी का परिवर्तन नहीं होने से राजस्व की हानि

उपभोक्ता श्रेणी का परिवर्तन नहीं होने के कारण बोर्ड को ₹ 1.50 करोड़ राजस्व की हानि हुई

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (आयोग) द्वारा वर्ष 2006 में जारी टैरिफ आदेश की कंडिका 2.2 के अनुसार केवल 66 के0भी0ए0 अधिकतम अनुबन्धित लोड वाले लो टेंशन, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति हेतु गैर घरेलू (एन0डी0एस0 – I, II, तथा III) श्रेणी लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, टैरिफ आदेश के खंड 7.1 के अनुसार, हाई टेंशन सेवा (एच0टी0एस0) के अंतर्गत, आपूर्ति 75 के0भी0ए0 के न्यूनतम अनुबंध माँग वाले विद्युत हेतु लागू हैं। डी0एस0 तथा एन0डी0एस0 श्रेणी हेतु लागू टैरिफ की तुलना में एच0टी0एस0 श्रेणी हेतु टैरिफ अधिक है।

हमारी लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक उपभोक्ता एल0एन0 मिश्रा संस्थान, पटना को सितम्बर 2006 से प्रभावी 290 किलोवाट (322 के0भी0ए0) के हुए लोड पर विद्युत आपूर्ति की गई परन्तु विपत्रीकरण एन0डी0एस0 –II श्रेणी के अन्तर्गत की जा रही थी।

एन0डी0एस0 –II केवल 60 किलो वाट (66 के0भी0ए0) तक ही लागू है, अतः एन0डी0एस0 –II के अंतर्गत 290 किलोवाट के लोड के उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति, अनियमित थी तथा उक्त उपभोक्ता को एच0टी0एस0 श्रेणी में वर्गीकृत करने की आवश्यकता थी। बोर्ड ने उपभोक्ता को अपने लोड में वृद्धि तथा अपने श्रेणी मे परिवर्तन हेतु सूचना निर्गत किया (अक्टूबर 2009)। न तो उपभोक्ता ने सूचना का प्रतिक्रिया दिया न ही इसके बाद बोर्ड द्वारा मामले को आगे बढ़ाया गया। चूँकि बोर्ड ने, उल्लेखित उपभोक्ता के लोड के 66 के0भी0ए0 से अधिक होने की जानकारी के बावजूद प्रभावी कदम नहीं उठाया, अतः इससे उपभोक्ता को अनुचित लाभ हुआ। एन0डी0एस0–II से एच0डी0एस0 में उपभोक्ता के श्रेणी में परिवर्तन नहीं होने के कारण बोर्ड को ₹ 1.50 करोड़ की राजस्व हानि हुई (सितम्बर 2006 से जून 2012 के दौरान)।

[13] ऊर्जा प्रभार (₹ 131.82 लाख) + माँग प्रभार (₹ 27.75 लाख) 107 क्वाटर्स के लिए

प्रबन्धन का जवाब अभी तक प्रतीक्षित था। तथापि, बोर्ड के अंचल कार्यालय ने कहा (जुलाई 2012) कि उपभोक्ता को 14 जुलाई 2012 के प्रभाव से हाई टेंशन श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया था तथा तदनुसार विपत्र निर्गत किया जाएगा। यद्यपि, बोर्ड ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण के दृष्टांत पर उक्त उपभोक्ता को एच0टी0एस0 श्रेणी में रखा था तथापि बोर्ड को पहले ही हुई ₹ 1.50 करोड़[14] की हानि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस प्रकार, सितम्बर 2006 से जून 2012 की अवधि के दौरान उपभोक्ता श्रेणी एन0डी0एस0–II से एच0टी0एस0 में परिवर्तन नहीं होने के कारण उपभोक्ता को अनुचित लाभ मिला तथा बोर्ड को ₹ 1.50 करोड़ की हानि हुई।

बोर्ड को तत्परता से उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन होने योग्य उपभोक्ताओं के मामले में प्रभावी उपाय करना चाहिए ताकि राजस्व हानि को टाला जा सके। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को चूक हेतु जिम्मेवारी तय करने की आवश्यकता है।

मामला बोर्ड तथा सरकार को प्रतिवेदित किए गए (मई 2012); जवाब प्रतीक्षित थे(नवम्बर 2012)।

4.10 वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय

बोर्ड क्रयादेश के खंडों को आह्वान करने में असफल रहा जिसके कारण वितरण ट्रान्सफॉर्मर के अधिप्राप्ति में ₹ 47.09 लाख का परिहार्य व्यय हुआ

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने अगस्त 2010 में ₹ 67,662.73 प्रति ट्रान्सफॉर्मर की लागत पर 100 के0भी0ए0 क्षमता के 2000 वितरण ट्रान्सफॉर्मर की आपूर्ति हेतु एक निजी प्रतिष्ठान मे0 ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड (आपूर्तिकर्त्ता) को क्रय आदेश दिया। क्रयादेश के खंड 6 के अनुसार सभी ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति चार माह के अन्दर अर्थात् 19 दिसम्बर 2010[15] तक होनी थी। उक्त क्रयादेश के खंड 7 के अन्तर्गत सामग्री की आपूर्त्ति में प्रति सप्ताह या उसके अंश के विलम्ब हेतु पूर्व कार्य मूल्य के 0.25 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड के अधिरोपण अथवा अधिकतम पाँच प्रतिशत की सीमा तक आपूर्तिकर्त्ता के विपत्र से कटौती का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, क्रयादेश के खण्ड 8 के अनुसार, सामग्री की आपूर्ति में विलंब अथवा निम्न स्तरीय सामग्री की आपूर्ति के मामले में बोर्ड प्रदत्त संविदा/ऑर्डर को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने में समर्थ था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्धाटित हुआ कि :

- 19 अक्टूबर 2010 तक 800 ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति के समय–सारणी के विरूद्ध आपूर्तिकर्त्ता ने केवल 486 ट्रान्सफॉर्मरों का ही आपूर्ति किया। 19 दिसम्बर

14 एच0टी0एस0 विपत्रीकरण (बकाया): ₹ 237.86 लाख – एन0डी0एस0–II विपत्रीकरण (भारित): ₹ 87.81 लाख = ₹ 150.05 लाख, अर्थात् ₹ 1.50 करोड़ ।

15 पहला माह–200, दूसरा माह–600, तीसरा माह–600 एवं चौथा माह–600

2010 तक पूरे 2000 ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्त्ता ने सितम्बर 2010 से अक्टूबर 2011 के दौरान कुल 1868 ट्रांसफॉर्मर सुपुर्द किया। बोर्ड ने वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्त्तिकत्ताओं के विपत्र से ₹14.80 लाख की राशि कटौती कर लिया। यह भी पाया गया कि निर्धारित समाप्ति अवधि से दस माह व्यपगत होने के बाद भी पूरे ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति नहीं हुई। इस प्रकार आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अत्यधिक विलम्ब क्रयादेश के खंड 8 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है तथापि इसका आह्वान नहीं किया गया।

- सितम्बर 2010 में, बोर्ड ने 100 के0भी0ए0 के अन्य 1000 वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति हेतु निविदा आमंत्रित किया जिसके मूल्य के लिए बोली 15 नवम्बर 2010 के आरंभ हुआ। न्यूनतम निविदाकार द्वारा प्रति ट्रान्सफॉर्मर निवेदित दर ₹ 63800 पाया गया जो कि ₹ 67662.73 की दर से जिसपर 2000 ट्रान्सफॉर्मर की अधिप्राप्ति होनी थी ₹ 3862.73 कम था।15 नवम्बर 2010 को जब मूल्य बोली आरंभ हुआ आपूर्तिकर्त्ता द्वारा पूर्व आदेश के विरूद्ध केवल 649 ट्रान्सफॉर्मरों की सुपुर्दगी हुई।

- चूँकि सितम्बर 2010 की निविदा के विरुद्ध निवेदित भाव अगस्त 2010 के क्रयादेश से कम था तथा आपूतिकर्त्ता ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति समय पर करने में चूक गया था, अतः आपूर्ति होने वाले शेष ट्रान्सफॉर्मरों (1351)[16] के क्रयादेश को खण्ड 8 का आह्वान करते हुए रद्द करना बोर्ड के वित्तीय हित में था। विकल्पस्वरूप, शेष ट्रान्सफॉर्मरों को ₹ 63800 प्रति ट्रान्सफॉर्मर के निम्न दर पर क्रय करना चाहिए था। इसके बदले बोर्ड ने उच्च दर पर विलम्ब से आपूर्ति किए गए ट्रान्सफॉर्मरों को स्वीकार करना जारी रखा (आपूर्तिकर्त्ता द्वारा कुल 1868 ट्रान्सफॉर्मर सुपुर्द किए गए)। इसके कारण ₹ 47.09 लाख का परिहार्य व्यय हुआ (₹3862.73×1219 ट्रान्सफॉर्मर अर्थात् 1868 – 15 नवम्बर 2010 तक प्राप्त 649)।

- इसके अतिरिक्त, समान क्षमता के 2000 वितरण ट्रान्सफॉर्मरों हेतु क्रयादेश देने की तिथि से एक माह के भीतर 1000 वितरण ट्रान्सफॉर्मर की अधिप्राप्ति हेतु निविदा के आमंत्रण ने बोर्ड के अस्वस्थ योजना को प्रदर्शित किया तथा बोर्ड को आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त हो सकने वाले परिमाण छूट से वंचित कर दिया।

बोर्ड को क्रयादेश के नियम एवं शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके।

मामला बोर्ड तथा सरकार को प्रतिवेदित किए गए (जून 2012), जवाब प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

16 2000 - 649 = 1351

4.11 बोर्ड को हानि

इंधन आपूर्ति अनुबंध के नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं होने के कारण बोर्ड को ₹ 3.32 करोड़ की हानि हुई

अन्य बातों के साथ–साथ अप्रैल 2009 से प्रभावित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बी0टी0पी0एस0) को कोयले की आपूर्ति हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) तथा इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई0सी0एल0) के बीच इंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ0एस0ए0) के खंड 4.6.1 के अनुसार क्रेता डिलीवरी/अनलोडिंग प्वाइंट पर प्राप्त कोयले के प्रेषण में पत्थरों की उपस्थिति तुरंत विक्रेता को सूचित करेगा। विक्रेता तथा क्रेता द्वारा संयुक्त निर्धारण हेतु पत्थरों की मात्रा पृथक किया जाना था तथा बड़े पत्थरों की मात्रा एफ0एस0ए0 के खंड 9.1 के अनुसार कोयले के बिल से समायेजित होना था। इसके अतिरिक्त, एफ0एस0ए0 के खण्ड 4.6.3 (क) तथा (ख) के अनुसार अधिक बड़े आकार वाले पत्थरों को पृथक करना तथा ढ़ेर लगाना परस्पर सहमत हुए स्थान पर होना था। संयुक्त निर्धारण के दौरान पत्थरों की मात्रा का निर्धारण होने के बाद ही इसका निपटारा किया जाना था।

हमारी लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि :

- अप्रैल 2009 से सितम्बर 2011 के दौरान ई0सी0एल0 द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले में पत्थरों की 24590.44 टन की मात्रा पाई गई। पत्थरों को एफ0एस0ए0 के अनुसार, ई0सी0एल0 तथा बोर्ड के संयुक्त दल द्वारा एकत्रित किया जाना तथा मापा जाना था। यद्यपि ई0सी0एल0 के दल ने कई बार बी0टी0पी0एस0 का भ्रमण किया (फरवरी 2010 से नवम्बर 2010 तक) परन्तु पत्थर एकत्रित नहीं किए जाने तथा सर्वेक्षण उपकरण की अनुपलब्धता के कारण अप्रैल 2011 तक पत्थर नहीं मापे जा सके।

- मई 2011 में, संयुक्त दल ने 1798.41 टन पत्थरों की मापी (दिसम्बर 2009 से अप्रैल 2011 की अवधि हेतु) की तथा 1528.64 टन अधिक बड़े आकार वाले पत्थरों को (मई 2011 से सितम्बर 2011 तक की अवधि हेतु) पाया। संयुक्त दल ने पुनः (अक्टुबर 2011) 252.20 टन पत्थरों (मई 2011 से सितम्बर 2011) को पाया जिनमें 226.98 टन बड़े आकार वाले पत्थर थे। औसतन पत्थरों की कुल मात्रा में 85 प्रतिशत बड़े आकार वाले पत्थर पाए गए।

- समय–समय पर बोर्ड ने संयुक्त निर्धारण कार्यान्वित किए बिना पत्थरों को चुनने, पृथक करने तथा निपटने का कार्य चालू रखा।

आगे यह भी पाया गया कि प्राप्त 24590.44 टन पत्थरों की मात्रा के विरुद्ध, बोर्ड संयुक्त मापन हेतु केवल 2050.61 टन पत्थरों को ही प्रस्तुत कर सका तथा शेष 22539.83 टन पत्थरों को प्रस्तुत नहीं किया जा सका। फलस्वरूप बोर्ड ने शेष 22539.83 टन में अधिक बड़े आकार वाले पत्थरों की उपस्थिति के प्रति 19158.86 टन (₹ 1730.27 प्रति टन की दर से 22539.83 टन का 85 प्रतिशत) पर ₹ 3.32 करोड़ का दावा करने का अवसर खो दिया। जैसा कि लेखापरीक्षा में जाँच किया गया संयुक्त

मापन हेतु पत्थरों की शेष मात्रा को प्रस्तुत नहीं किए जाने का कारण स्थान प्रतिबंध तथा पत्थरों को एकत्रित करने हेतु परस्पर सहमत हुए स्थान का अन्तिमीकरण नहीं करना था। उक्त परस्पर सहमत हुए स्थान के आभाव में चुने हुए पत्थरों को एकत्रित नहीं किया जा सका और उसे संयुक्त मापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार, ईंधन आपूर्ति अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुपालन में बोर्ड की असफलता के कारण बोर्ड को ₹ 3.32 करोड़[17] की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा (अगस्त 2012) कि दिसम्बर 2009 से सितम्बर 2011 की अवधि के दौरान कुल 24590 टन पत्थरों को संग्रहित/पृथक/एकत्र/निपटारा किया गया। एक स्थान पर चुने, पृथक किए तथा रखे गए 250 मि0मी0 से अधिक तथा 250 मि0मी0 से कम आकार वाले पत्थर उनके मापन के लिए ई0सी0एल0 प्रतिनिधियों को दिखाया गया परन्तु वे सर्वेक्षण उपकरण के अभाव में जैसा कि एफ0एस0ए0 में उल्लेखित है, वहाँ जाने से इंकार कर दिया।

उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि बोर्ड तथा ई0सी0एल0 के संयुक्त दल ने दिसम्बर 2009 से मई 2011 के दौरान पृथक् किए गए तथा एकत्रित किए गए पत्थरों की कुल मात्रा में केवल 2050.61 टन पत्थरों को मापा था। अतः ई0सी0एल0 को मापने से इस प्रकार इंकार करना ठीक नहीं है। तथ्य यह है कि बी0टी0पी0एस0, ई0सी0एल0 द्वारा सत्यापन हेतु अधिक बड़े आकार वाले पत्थरों को पृथक तथा एकत्र करने एवं कोयले के विपत्र के विरुद्ध समायोजन करने में असफल रहा। साथ ही, पत्थरों का निपटान उनके आकार का ध्यान रखे बिना तथा संयुक्त निर्धारण कार्यान्वित किए बिना किया गया, जो केवल अधिक बड़े आकार वाले पत्थरों की मात्रा के निर्धारण के बाद ही किया जाना था।

एफ0एस0ए0 के नियम एवं शर्तों के अनुपालन में बोर्ड को पत्थरों को पृथक एवं एकत्रित करना चाहिए तथा 250 मि0मी0 आकार तथा उससे बड़े पत्थरों के पृथक्करण हेतु इसे ई0सी0एल0 के प्रतिनिधियों के समक्ष संयुक्त मापन हेतु उपलब्ध कराना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित था (जून 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

सामान्य

4.12 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखा परीक्षण के दौरान पाये गये एवं मौके पर नहीं निपटाये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) के माध्यम से संवादित किया जाता है। सा0क्षे0उ0के प्रधानों को सम्बद्ध विभागों के प्रधानों के माध्यम से नि0प्र0 का उत्तर छः सप्ताह के अन्दर देना होता है। मार्च 2012 तक 18 सा0क्षे0उ0 को निर्गत नि0प्र0 से यह स्पष्ट होता है कि 608 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बद्ध 1320 कंडिकाएँ सितम्बर 2012 तक लम्बित थीं। ये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ एक से आठ वर्षो

17 19,158.86 टन × ₹ 1730.27 प्रति टन = ₹ 3.32 करोड़

तक अनुत्तरित थीं। 30 सितम्बर 2012 तक लम्बित नि0प्र0 एवं लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का विभागवार ब्योरा ***परिशिष्ट–9*** में दिया गया है।

उसी प्रकार सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं के तथ्यों एवं आकड़ों की सम्पुष्टि एवं छः हफ्तों की अवधि में उनकी टिप्पणी के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गए । अपितु यह पाया गया कि मई से अगस्त 2012 की अवधि में विभिन्न विभागों को अग्रसारित दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं 11 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर ***परिशिष्ट–10*** में दिए विवरण के अनुरूप प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2012)।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर देने में असफल रहने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया विद्यमान हो, (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिमों/अधिभुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही हो और (ग) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत हो।

(आई. डी. एस. धारीवाल)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार

पटना
दिनांक :

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक :

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

31 मार्च 2012 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं मानव शक्ति को दर्शानेवाली विवरणी

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2011–12 के अंत में बकाया ऋण[**]				2011–12 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6(ख)	6 (ग)	(7)	(8)
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	18.7.1977	2.27 (0.65)	1.22 (0.02)	0.22 (0.03)	3.71 (0.70)	27.93	-	-	27.93	7.53:1 (7.53:1)	93
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन एवं मत्स्य	23.3.1980	3.00 (1.25)	-	-	3.00 (1.25)	2.60	0.03	-	2.63	0.88:1 (0.88:1)	35
3.	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	जल संसाधन		-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-- (--)	अनुपलब्ध
प्रक्षेत्रवार योग				5.27 (1.90)	1.22 (0.02)	0.27 (0.03)	6.76 (1.95)	30.53	0.03	-	30.56		**128**
वित्त													
4.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	उद्योग	30.1.1975	15.12 (0.12)	-	-	15.12 (0.12)	20.47	-	33.01	53.48	3.54:1 (3.54:1)	51
5.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	कल्याण	17.6.1993	19.36 (6.00)	-	-	19.36 (6.00)	-	16.58	-	16.58	0.86:1 (0.91:1)	17
6.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक विकास	22.3.1984	32.79 (1.00)	-	-	32.79 (1.00)	-	-	47.26	47.26	1.44:1 (1.35:1)	26
7.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	उद्योग	6.3.1983	2.00 (1.00)	-	-	2.00 (1.00)	0.15	-	-	0.15	0.08:1 (0.07:1)	08
प्रक्षेत्रवार योग				69.27 (8.12)	-	-	69.27 (8.12)	20.62	16.58	80.27	117.47		102

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2011–12 के अंत में बकाया ऋण[**]				2011–12 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव – शक्ति (31.3.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ड़)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
आधारभूत संरचना													
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	गृह (आरक्षी)	26.6.1974	0.10 (0.00)[1]	-	-	0.10 (0.00)	-	0.43	-	0.43	4.30:1 (4.30:1)	397
9.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	पथ निर्माण	11.6.1975	3.50	-	-	3.50	-	-	-	-	-	396
10.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड*	भवन निर्माण	20.3.2008	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	19
11.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	पथ निर्माण	20.04.2009	20.00	-	-	20.00	-	-	-	-	-	103
12.	बिहार शहरी आधारभूत विकास निगम लिमिटेड	शहरी विकास & गृह	16.06.2009	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	47
13.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत विकास निगम लिमिटेड	शिक्षा	16.07.2010	20.00 (19.95)	-	-	20.00 (19.95)	-	-	-	-	-	49
प्रक्षेत्रवार योग				**48.66 (19.95)**	**-**	**-**	**48.66 (19.95)**	**-**	**0.43**	**-**	**0.43**	**-**	**1011**
विनिर्माण													
14.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	सूचना प्राद्यौगिकी	21.2.1978	5.66 (5.51)	-	-	5.66 (5.51)	6.00	-	-	6.00	1.06:1 (1.06:1)	71
15.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	खनन एवं भूविज्ञान	12.6.1972	9.97	-	-	9.97	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
16.	बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	उत्पाद	25.5.2006	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	228
प्रक्षेत्रवार योग				**20.63 (5.51)**	**-**	**-**	**20.63 (5.51)**	**6.00**	**-**	**-**	**6.00**	**-**	**299**
ऊर्जा													
17.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	ऊर्जा	31.3.1982	99.04	-	-	99.04	182.72	-	132.52	316.24	3.19:1 (2.83:1)	129
प्रक्षेत्रवार योग				**99.04**	**-**	**-**	**99.04**	**182.72**	**-**	**132.52**	**316.24**		**129**

[1] ₹ 0.01 लाख

* पूर्व में यह बिहार राज्य स्वास्थ्य परियोजना विकास निगम लिमिटेड था।

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2011–12 के अंत में बकाया ऋण[**]				2011–12 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव – शक्ति (31.3.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6(ख)	6 (ग)	(7)	(8)
सेवाएँ													
18.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	28.11.1980	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	226
19.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	22.4.1973	5.27	-	-	5.27	518.64	1.94	-	520.58	98.78:1 (22.88:1)	649
20.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	26.07.2010	6.67 (6.67)	-	0.07 (0.07)	6.74 (6.74)	-	-	-	-	-	9
प्रक्षेत्रवार योग				**16.94 (6.67)**	**-**	**0.07 (0.07)**	**17.01 (6.74)**	**518.64**	**1.94**	**-**	**520.58**		**884**
विविध													
21.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन व पर्यावरण	10.2.1975	1.75	0.54	-	2.29	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
22.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	शिक्षा	2.4.1965	0.36	-	0.12	0.48	-	-	-	-	-	163
प्रक्षेत्रवार योग				**2.11**	**0.54**	**0.12**	**2.77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**163**
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**261.92 (42.15)**	**1.76 (0.02)**	**0.46 (0.10)**	**264.14 (42.27)**	**758.51**	**18.98**	**213.79**	**991.28**	-	**2716**
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें													
वित्त													
1.	बिहार राज्य वित्त निगम	उद्योग	2.11.1954	39.95	37.70	0.19	77.84	228.47	-	-	228.47	2.94:1 (2.98:1)	307
प्रक्षेत्रवार योग				**39.95**	**37.70**	**0.19**	**77.84**	**228.47**	**-**	**-**	**228.47**		**307**
उर्जा													
2.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	ऊर्जा	1.4.1958	-	-	-	-	8912.68	279.99	232.92	9425.59	-	10278
प्रक्षेत्रवार योग				-	-	-	-	**8912.68**	**279.99**	**232.92**	**9425.59**	-	**10278**
सेवाएँ													
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	1.5.1959	74.75	26.52	-	101.27	547.79	-	-	547.79	5.41:1 (2.95:1)	1516
4.	बिहार राज्य भंड़ार निगम	सहकारिता	29.3.1957	3.21	-	3.21	6.42	-	-	-	-	--	215

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2011–12 के अंत में बकाया ऋण[**]				2011–12 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव – शक्ति (31.3.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
												(0.18:1)	
प्रक्षेत्रवार योग				**77.96**	**26.52**	**3.21**	**107.69**	**547.79**	**-**	**-**	**547.79**		**1731**
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)				**117.91**	**64.22**	**3.40**	**185.53**	**9688.94**	**279.99**	**232.92**	**10201.85**		**12316**
कुल योग (क+ख)				**379.83 (42.15)**	**65.98 (0.02)**	**3.86 (0.10)**	**449.67 (42.17)**	**10447.45**	**298.97**	**446.71**	**11193.13**		**15032**
(ग) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	जल संसाधन	12.4.1973	10.00	-	-	10.00	49.68	-	-	49.68	4.97:1 (4.97:1)	अनुपलब्ध
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	पशुपालन एवं मतस्य	13.3.1972	6.72	-	-	6.72	1.75	-	-	1.75	0.26:1 (0.26:1)	-
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	लघु सिंचाई	3.6.1975	10.82	-	-	10.82	8.55	-	-	8.55	0.79:1 (0.86:1)	अनुपलब्ध
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	कृषि	28.4.1966	7.64 (0.07)	-	-	7.64 (0.07)	12.60	-	-	12.60	1.65:1 (1.65:1)	283
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	कृषि	8.10.1980	1.61	0.49	-	2.10	0.42	0.70	-	1.12	0.53:1 (0.53:1)	09
6.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	उद्योग	27.2.1983	-	-	2.96 (2.39)	2.96 (2.39)	-	-	1.54	1.54	0.52:1 (0.52:1)	69
7.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डीहरी	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
11.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनिया	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
12.	स्काडा एग्रो वन कम्पनी लिमिटेड, खगौल	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
प्रक्षेत्रवार योग				**36.79 (0.07)**	**0.49**	**2.96 (2.39)**	**40.24 (2.46)**	**73.00**	**0.70**	**1.54**	**75.24**	**-**	**361**

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2011–12 के अंत में बकाया ऋण[**]				2011–12 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव – शक्ति (31.3.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ड़)	6 (क)	6(ख)	6 (ग)	(7)	(8)
वित्त													
13.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	पंचायती राज	20.4.1974	1.44 (0.38)	--	--	1.44 (0.38)	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
14.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	उद्योग	21.5.1974	10.00	--	--	10.00	1.16	-	-	1.16	0.12:1 (0.12:1)	अनुपलब्ध
15.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	29.10.1961	7.18	-	-	7.18	10.40	-	1.83	12.23	1.70:1 (1.70:1)	49
16.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	5.11.1960	14.04	-	-	14.04	66.54	-	0.02	66.56	4.74:1 (4.44:1)	823
प्रक्षेत्रवार योग				**32.66 (0.38)**	**-**	**-**	**32.66 (0.38)**	**78.10**	**-**	**1.85**	**79.95**	**-**	**872**
आधारभूत संरचना													
17.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	जल संसाधन	22.8.1974	11.00	-	-	11.00	-	-	-	-		1086
प्रक्षेत्रवार योग				**11.00**	**-**	**-**	**11.00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1086**
विनिर्माण													
18.	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	अगस्त–79	0.20	-	0.88	1.08	-	-	0.89	0.89	0.82:1 (0.82:1)	अनुपलब्ध
19.	मगध मिनरल लिमिटेड	उद्योग	22.11.1984	-	-	0.36 (0.36)	0.36 (0.36)	-	-	0.47	0.47	1.31:1 (1.31:1)	05
20.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	उद्योग	25.10.1983	-	-	2.17	2.17	-	-	6.63	6.63	3.06:1 (3.06:1)	अनुपलब्ध
21.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	उद्योग	19.9.1984	-	-	5.05	5.05	-	-	4.51	4.51	0.89 (0.89:1)	अनुपलब्ध
22.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	उद्योग	30.1.1986	-	-	2.48	2.48	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
23.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	उद्योग	1.3.1988	-	-	0.00[2]	0.00	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
24.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	ईख	26.12.1974	20.00	-	-	20.00	322.95	-	-	322.95	16.15:1	अनुपलब्ध

[2] ₹ 0.28 लाख

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2011–12 के अंत में बकाया ऋण[**]				2011–12 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव – शक्ति (31.3.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
												(16.15:1)	
25.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	उद्योग	17.10.1981	-	-	0.00[3]	0.00	0.03	-	-	0.03	42.86:1 (45.29:1)	अनुपलब्ध
26.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	22.2.1978	16.54 (0.78)	-	-	16.54 (0.78)	4.28	-	-	4.28	0.26:1 (4.60:1)	52
27.	बिहार मेज प्रोडक्टस लिमिटेड	उद्योग	2.9.1982	-	-	0.74 (0.74)	0.74 (0.74)	-	-	0.02	0.02	0.03:1 (0.03:1)	अनुपलब्ध
28.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	उद्योग	12.8.1983	-	-	4.00	4.00	1.28	-	-	1.28	0.32:1 (0.32:1)	अनुपलब्ध
29.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	उद्योग	21.2.1978	10.78	-	-	10.78	2.27	-	-	2.27	0.21:1 (0.42:1)	51
प्रक्षेत्रवार योग				**47.52 (0.78)**	**-**	**15.68 (1.10)**	**63.20 (1.88)**	**330.81**	**-**	**12.52**	**343.33**	**-**	**108**
सेवाएँ													
30.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	उद्योग	29.12.1974	2.00	-	-	2.00	1.22	-	-	1.22	0.61:1 (0.61:1)	23
प्रक्षेत्रवार योग				**2.00**	**-**	**-**	**2.00**	**1.22**	**-**	**-**	**1.22**		**23**
विविध													
31.	बिहार पेपर मिल लिमिटेड	उद्योग	8.7.1977	-	-	7.77	7.77	-	-	10.72	10.72	1.38:1 (1.38:1)	अनुपलब्ध
32.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	उद्योग	2.4.1984	-	-	1.40 (0.25)	1.40 (0.25)	-	-	3.66	3.66	2.61:1 (2.61:1)	32
33.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	उद्योग	18.6.1983	-	-	1.74 (0.60)	1.74 (0.60)	-	-	0.81	0.81	0.47:1 (0.47:1)	अनुपलब्ध
34.	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	उद्योग	27.2.1982	-	-	1.49 (0.42)	1.49 (0.42)	-	-	0.46	0.46	0.31:1 (0.31:1)	13
35.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	27.1.1984	-	-	1.57	1.57	-	-	2.14	2.14	1.36:1 (1.36:1)	अनुपलब्ध

[3] ₹ 0.07 लाख

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2011–12 के अंत में बकाया ऋण[**]				2011–12 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव – शक्ति (31.3.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
36.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	उद्योग	20.4.1982	-	-	1.47	1.47	9.18	-	-	9.18	6.24:1 (6.24:1)	अनुपलब्ध
37.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	उद्योग	14.12.1982	-	-	0.31	0.31	-	-	1.05	1.05	3.39:1 (3.39:1)	-
38.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड	उद्योग	26.3.1985	-	-	0.09	0.09	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
39.	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	23.3.1974	17.40	-	-	17.40	12.43	-	1.70	14.13	0.81:1 (1.41:1)	अनुपलब्ध
40.	बिहार स्कूटर लिमिटेड	उद्योग	19.1.1978	-	-	1.63	1.63	6.09	-	-	6.09	3.74:1 (3.74:1)	अनुपलब्ध
प्रक्षेत्रवार योग				**17.40**	**-**	**17.47 (1.27)**	**34.87 (1.27)**	**27.70**	**-**	**20.54**	**48.24**	**-**	**45**
योग–ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**147.37 (1.23)**	**0.49**	**36.11 (4.76)**	**183.97 (5.99)**	**510.83**	**0.70**	**36.45**	**547.98**	**-**	**2495**
कुल योग (क+ख+ग)				**527.20 (43.38)**	**66.47 (0.02)**	**39.97 (4.86)**	**633.64 (48.26)**	**10958.28**	**299.67**	**483.16**	**11741.11**	**-**	**17527**

उपर वर्णित कम्पनियों में कार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 3 तथा अकार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 7 से 12, धारा 619–ब की कम्पनी हैं।

$ प्रदत पूँजी में आवंटन हेतु अंश आवेदन राशि शामिल हैं जो कि कॉलम 5 (क) से 5 (घ) तक कोष्ठक में दिखाई गई हैं।

** वर्ष 2011–12 तक बकाया ऋण दीर्घकालिक ऋण को दर्शाते हैं।

अनु0/अनुपलब्ध यह इंगित करता है कि सम्बन्धित कम्पनियों ने सूचना उपलब्ध नहीं करायी थी।

क्रम सं0 क–7, क–15, क–21, ग–1–40 (ग–5, को छोड़कर) के कम्पनियों की राशियाँ पूर्व के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार से ली गई हैं क्योंकि वांछित सूचनाएँ सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई हैं।

परिशिष्ट – 2

(कंडिका 1.14 एवं 1.34 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष, जिसका लेखा सम्पूर्ण हो गया था, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमिकरण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव #	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क- कार्यशील कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1998-99	2010-11	(-)2.73	2.77	0.07	(-)5.57	5.33	(-)1.53	3.71	(-)53.45	2.90	(-)2.80	-
2.	बिहार राज्य मतस्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1996-97	(-)0.01	0.17	0.04	(-)0.22	-	-	1.75	(-)1.92	1.74	(-)0.05	-
3.	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2011-12	0.01	-	0.01	0.00[4]	-	-	0.05	(-)1.81	1.11	-	0.36
	प्रक्षेत्रवार योग			**(-)2.73**	**2.94**	**0.12**	**(-)5.79**	**5.33**	**(-)1.53**	**5.51**	**(-)57.18**	**5.75**	**(-)2.85**	**-**
वित्त														
4.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2004-05	2011-12	(-)0.26	3.69	0.04	(-)3.99	2.23	(-)0.99	15.00	(-)149.67	15.66	(-)0.30	-
5.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1997-98	2006-07	0.41	0.68	0.02	(-)0.29	0.64	-	3.62	0.53	3.86	0.39	10.10
6.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2007-08	2011-12	0.61	0.96	0.01	(-)0.36	2.23	-	11.00	(-)5.04	11.00	0.60	5.45
7.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1991-92	2000-01	0.02	-	0.00[5]	0.02	-	-	0.95	(-)0.12	0.88	0.02	2.27
	प्रक्षेत्रवार योग			**0.78**	**5.33**	**0.07**	**(-)4.62**	**5.10**	**(-)0.99**	**30.57**	**(-)154.30**	**31.40**	**0.71**	**-**

[4] ₹ 0.42 लाख
[5] ₹ 0.29 लाख

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमिकरण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आधारभूत संरचना														
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2002-03	2012-13	0.95	-	0.03	0.92	2.96	-	0.10	(-)5.56	(-)5.04	0.92	-
9.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2010-11	2012-13	45.31	-	7.42	37.89	86.91	-	3.50	110.44	180.18	37.89	21.03
10.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	प्रथम वर्ष के लेखे का अन्तिमिकरण नहीं हुआ हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	75.72	-	0.27	75.45	880.63	(-)39.48	20.00	94.56	113.20	75.45	66.65
12.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	0.42	-	0.11	0.31	1.57	-	5.00	0.27	5.09	0.31	6.09
13.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2012-13	10.42	-	-	10.42	-	(-)10.84	20.00	10.42	(-)277.65	10.42	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	**132.82**	**-**	**7.83**	**124.99**	**972.07**	**(-)50.32**	**48.60**	**210.13**	**15.78**	**124.99**	**-**
विनिर्माण														
14.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	8.31	0.92	0.08	7.31	32.86	(-)1.32	5.66	1.76	26.18	8.23	31.44
15.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2004-05	9.42	-	0.13	9.29	31.55	-	9.97	7.04	20.68	9.29	44.92
16.	बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	5.65	-	0.19	5.46	1210.00	-	5.00	5.55	11.12	5.46	49.10
प्रक्षेत्रवार योग				**23.38**	**0.92**	**0.40**	**22.06**	**1274.41**	**(-)1.32**	**20.63**	**14.35**	**57.98**	**22.98**	**-**

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमिकरण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
उर्जा														
17.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	1999-2000	2012-13	6.60	6.54	5.65	(-)5.59	8.53	(-)0.94	99.04	(-)44.79	143.01	0.95	0.66
प्रक्षेत्रवार योग				**6.60**	**6.54**	**5.65**	**(-)5.59**	**8.53**	**(-)0.94**	**99.04**	**(-)44.79**	**143.01**	**0.95**	
सेवाएँ														
18.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2012-13	0.23	-	0.13	0.10	3.90	-	5.00	3.38	8.00	0.10	1.25
19.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1989-90	2011-12	(-)3.99	1.04	0.63	(-)5.66	159.41	-	4.46	(-)34.86	34.59	(-)4.62	-
20.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2010-11	2012-13	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)3.76**	**1.04**	**0.76**	**(-)5.56**	**163.31**	**-**	**9.54**	**(-)31.48**	**42.59**	**(-)4.52**	
विविध														
21.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2005-06	0.34	-	0.06	0.28	22.81	(-)0.40	2.29	0.32	1.17	0.28	23.93
22.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	1997-98	2009-10	(-)4.30	-	0.06	(-)4.36	7.28	-	0.48	(-)5.97	(-)6.51	(-)4.36	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)3.96**	**-**	**0.12**	**(-)4.08**	**30.09**	**(-)0.40**	**2.77**	**(-)5.65**	**(-)5.34**	**(-)4.08**	
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**153.13**	**16.77**	**14.95**	**121.41**	**2458.84**	**(-)55.50**	**216.66**	**(-)68.92**	**291.17**	**138.18**	**-**
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें														
वित्त														
1.	बिहार राज्य वित्त निगम	2010-11	2012-13	33.32	31.53	0.06	1.73	11.71	(-)0.33	77.84	(-)382.20	403.38	33.26	8.25
प्रक्षेत्रवार योग				**33.32**	**31.53**	**0.06**	**1.73**	**11.71**	**(-)0.33**	**77.84**	**(-)382.20**	**403.38**	**33.26**	
उर्जा														
2.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2011-12	2012-13	(-)1038.26	1480.64	143.48	(-)2662.38	5268.79	-	-	(-)8520.71	6216.34	(-)1181.74	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)1038.26**	**1480.64**	**143.48**	**(-)2662.38**	**5268.79**	**-**	**-**	**(-)8520.71**	**6216.34**	**(-)1181.74**	

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमिकरण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
सेवाएँ														
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2002-03	2009-10	(-)25.57	28.77	1.40	(-)55.74	18.19	(-)9.28	101.28	(-)680.17	(-)428.03	(-)26.97	-
4.	बिहार राज्य भंडार निगम	2008-09	2010-11	1.73	0.40	0.81	0.52	53.75	(-)2.42	5.31	3.43	21.16	0.92	4.35
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)23.84**	**29.17**	**2.21**	**(-)55.22**	**71.94**	**(-)11.70**	**106.59**	**(-)676.74**	**(-)406.87**	**(-)26.05**	
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)				**(-)1028.78**	**1541.34**	**145.75**	**(-)2715.87**	**5352.44**	**(-)12.03**	**184.43**	**(-)9579.65**	**6212.85**	**(-)1174.53**	
कुल योग (क+ख)				**(-)875.65**	**1558.11**	**160.70**	**(-)2594.46**	**7811.28**	**(-)67.53**	**401.09**	**(-)9648.57**	**6504.02**	**(-)1036.35**	
(ग) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	1997-98	3.03	0.25	0.61	2.17	-	-	5.00	11.20	26.70	2.42	9.06
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1995-96	2011-12	0.00[6]	-	0.00[7]	0.00[8]	-	-	6.72	(-)10.58	4.88	0.00[9]	0.03
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	1993-94	0.18	0.13	0.31	(-)0.26	0.01	-	5.60	(-)0.86	9.53	(-)0.13	-
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1989-90	2009-10	(-)5.02	0.65	0.03	(-)5.70	2.79	-	7.57	(-)28.96	(-)1.41	(-)5.05	-
5.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1994-95	2010-11	(-)0.12	0.73	0.07	(-)0.92	0.00	(-)0.14	2.10	(-)7.82	(-)0.07	(-)0.19	-
6.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1986-87	1991-92	(-) 0.52	0.16	0.35	(-) 1.03	-	-	0.57	(-) 1.03	2.35	(-) 0.87	-

[6] ₹ 0.17 लाख
[7] ₹ 684.00
[8] ₹ 0.16 लाख
[9] ₹ 0.16 लाख

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमिकरण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डीहरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	स्काडा एग्रो वन कंपनी लिमिटेड, खगौल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)2.45**	**1.92**	**1.37**	**(-)5.74**	**2.80**	**(-)0.14**	**27.56**	**(-)38.05**	**41.98**	**(-)3.82**	
वित्त														
13.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1984-85	1991-92	0.23	0.24	0.00[10]	(-)0.01	-	-	1.44	(-)0.03	5.86	0.23	3.92
14.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	1996-97	0.02	0.11	0.01	(-)0.10	-	(-)0.01	6.28	(-)0.44	7.08	0.01	0.14
15.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	2005-06	(-)0.21	1.15	0.06	(-)1.42	15.22	(-)0.53	7.18	(-)16.56	1.86	(-)0.27	-
16.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1987-88	2009-10	2.22	5.35	0.38	(-)3.51	6.59	(-)9.28	14.04	(-)26.42	29.54	1.84	6.23
प्रक्षेत्रवार योग				**2.26**	**6.85**	**0.45**	**(-)5.04**	**21.81**	**(-)9.82**	**28.94**	**(-)43.45**	**44.34**	**1.81**	
आधारभूत संरचना														
17.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	1989-90	2012-13	0.99	-	0.15	0.84	41.52	-	7.00	(-)0.04	2.38	0.84	35.29
प्रक्षेत्रवार योग				**0.99**	**-**	**0.15**	**0.84**	**41.52**	**-**	**7.00**	**(-)0.04**	**2.38**	**0.84**	

[10] ₹ 16,235.26

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमिकरण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विनिर्माण														
18.	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87	1995-96	(-)0.05	0.11	0.16	(-)0.32	-	(-)0.24	0.66	(-)0.32	1.67	(-)0.21	-
19.	मगध मिनरल लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	1994-95	1995-96	(-)1.13	0.38	0.88	(-)2.39	10.89	-	2.17	(-)8.16	0.91	(-)2.01	-
21.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1987-88	1998-99	(-)0.09	0.05	0.01	(-)0.15	0.75	-	1.21	(-)0.22	1.02	(-)0.10	-
22.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1989-90	2002-03	(-)0.07	-	0.03	(-)0.10	0.41	-	1.26	(-)0.49	0.52	(-)0.10	-
23.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	1996-97	(-)2.84	6.00	0.36	(-)9.20	-	(-)4.67	9.97	(-)72.31	(-)10.24	(-)3.20	-
25.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1992-93	(-)0.16	0.00[11]	0.01	(-)0.17	-	-	3.62	(-)0.74	6.87	(-)0.17	-
27.	बिहार मेज प्रोडक्टस लिमिटेड	1983-84	1987-88	(-)0.03	-	0.00[12]	(-)0.03	-	-	0.67	(-)0.06	0.80	(-)0.03	-
28.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1985-86	1991-92	(-)0.03	-	0.00[13]	(-)0.03	-	-	0.94	(-)0.16	1.16	(-)0.03	-
29.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	1995-96	(-)0.08	-	0.01	(-)0.09	-	(-)0.02	4.98	(-)0.32	3.72	(-)0.09	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)4.48**	**6.54**	**1.46**	**(-)12.48**	**12.05**	**(-)4.93**	**25.48**	**(-)82.78**	**6.43**	**(-)5.94**	

[11] ₹ 1,680.50
[12] ₹ 9,052.80
[13] ₹ 328.52

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमिकरण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव #	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
सेवाएँ														
30.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	1999-00	0.11	0.20	0.01	(-)0.10	4.94	(-)0.03	2.00	(-)0.01	3.75	0.10	2.67
प्रक्षेत्रवार योग				**0.11**	**0.20**	**0.01**	**(-)0.10**	**4.94**	**(-)0.03**	**2.00**	**(-)0.01**	**3.75**	**0.10**	
विविध														
31.	बिहार पेपर मिल लिमिटेड	1985-86	1997-98	(-)0.05	-	0.01	(-)0.06	-	0.00[14]	1.56	(-)0.31	1.44	(-)0.06	-
32.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	1985-86	1997-98	(-)0.06	0.02	0.00[15]	(-)0.08	-	-	0.16	(-)0.51	3.50	0.06	-
33.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1984-85	1988-89	(-)0.01	-	0.00[16]	(-)0.01	-	-	0.40	(-)0.01	0.69	(-)0.01	-
34.	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1985-86	1991-92	(-)0.01	0.00[17]	0.00[18]	(-)0.01	-	(-)0.03	0.42	(-)0.02	0.59	(-)0.01	-
35.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1988-89	1993-94	(-)0.16	0.16	0.00[19]	(-)0.32	-	-	1.03	(-)0.67	2.49	(-)0.16	-
36.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	1983-84	1986-87	(-)1.49	-	-	(-)1.49	-	-	1.47	(-)2.13	6.15	(-)1.49	-
37.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1983-84	1987-88	(-)0.02	0.00[20]	-	(-)0.02	-	-	0.09	(-)0.01	0.17	(-)0.02	-

[14] ₹ 36,000
[15] ₹ 47,550.94
[16] ₹ 7,623.00
[17] ₹ 2,533.30
[18] ₹ 421.36
[19] ₹ 22,074.77
[20] ₹ 5,814.45

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमिकरण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड	1985-86	1989-90	(-)0.01	-	-	(-)0.01	-	-	0.02	(-)0.01	0.01	(-)0.01	-
39.	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	2004-05	(-)0.25	0.08	0.04	(-)0.37	-	(-)0.01	5.14	(-)2.92	2.56	(-)0.29	-
40.	बिहार स्कूटर लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)2.06**	**0.26**	**0.05**	**(-)2.37**	**-**	**(-)0.04**	**10.29**	**(-)6.59**	**17.60**	**(-)2.11**	
योग–ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**(-)5.63**	**15.77**	**3.49**	**(-)24.89**	**83.12**	**(-)14.96**	**101.27**	**(-)170.92**	**116.48**	**(-)9.12**	
कुल योग (क+ख+ग)				**(-)881.28**	**1573.88**	**164.19**	**(-)2619.35**	**7894.40**	**(-)82.49**	**502.36**	**(-)9819.49**	**6620.50**	**(-)1045.47**	**-**

उपर वर्णित कम्पनियों में कार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 3 तथा अकार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 7 से 12, धारा 619–ब की कम्पनी हैं।

\# लेखा पर लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 के शुद्ध टिप्पणियाँ शामिल हैं और (+) इसमें लाभ में वृद्धि/हानि में कमी एवं (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को दर्शाते हैं।

@ वित्तीय कम्पनियों एवं निगमों जहाँ नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, मुक्त संरक्षित बाण्डों, जमा एवं उधारों (पुनर्वित सहित) के समग्र योग के औसत का द्योतक है, को छोड़कर नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत कार्य प्रगति सहित) एवं कार्यचालन पूँजी, के योग का द्योतक है।

$ नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना लाभ–हानि लेखे पर आय एवं भारित ब्याज को जोड़कर किया गया है।

** लेखाओं की सी0ए0जी0 द्वारा लेखापरीक्षा प्रगति में हैं जो कि इन निगमों का एकमात्र लेखापरीक्षक है।

परिशिष्ट–3

(कंडिका 1.10 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण, प्राप्त/प्राप्त होने योग्य अनुदान एवं अर्थसाहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए का अधित्याग, ऋण जिसे बट्टे खाते में डाला गया एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2012 के अंत तक प्रतिभूति देयताओं को दर्शाने वाली विवरणी

(कॉलम 3 (क) से 6(घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों एवं अर्थसाहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता[@]		वर्ष में बकायों का अधित्याग			
		अंश पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ऋण जिसे अंश पूँजी में बदला गया	ब्याज/दाण्डिक ब्याज माफ	कुल
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
वित्त													
1.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1.00	-	-	-	-	-	-	25.00(o/s)	-	-	-	-
2.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	1.00	-	-	-	-	-	-	30.00(o/s)	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**2.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.00(o/s)**	**-**	**-**	**-**	**-**
उर्जा													
3.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	-	35.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**-**	**35.59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
सेवाएँ													
4.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**-**	**400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)		**2.00**	**435.59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.00(o/s)**	**-**	**-**	**-**	**-**

(कॉलम 3 (क) से 6 (घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों एवं अर्थसाहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता[@]		वर्ष में बकायों का अधित्याग			
		अंश पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ऋण जिसे अंश पूँजी में बदला गया	ब्याज/दाण्डिक ब्याज माफ	कुल
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
ख. कार्यशील सांविधिक निगमें													
वित्त													
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	-	-	3.47[@]	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.47[@]**	**-**	**-**	**-**	**-**
उर्जा													
2.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	-	899.94	-	2120.24	-	2120.24	-	194.58[(o/s)]	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**-**	**899.94**	**-**	**2120.24**	**-**	**2120.24**	**-**	**194.58[(o/s)]**	**-**	**-**	**-**	**-**
सेवाएँ													
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	-	129.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**-**	**129.34**										
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)		**-**	**1029.28**	**-**	**2120.24**	**-**	**2120.24**	**-**	**3.47[@] 194.58[(o/s)]**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल योग (क+ख)		**2.00**	**1464.87**	**-**	**2120.24**	**-**	**2120.24**	**-**	**3.47[@] 249.58[(o/s)]**	**-**	**-**	**-**	**-**

[@] आकड़े कुल वचनबद्धता वर्ष के अन्त में इंगित करता हैं

(o/s) 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में शेष प्रतिभूति

परिशिष्ट–4

(कंडिका 1.23 में संदर्भित)

सा0 क्षे0 उ0 जिनके लेखे बकाये में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि : ₹ करोड़ में)

सा0 क्षे0 उ0 का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण है	अद्यतन पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में हैं				
			अंश पूँजी	ऋण	अनुदान राशि	अन्य (अर्थसाहाय्य)	कुल
(क) कार्यशील कम्पनियाँ							
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1998-99	3.71	-	2.28	59.69	-	61.97
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	1997-98	0.48	-	-	-	205.00	205.00
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1997-98	3.62	15.74	7.49	-	-	23.23
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2003-04	5.00	-	-	-	-	-
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1989-90	4.46	0.81	602.25	-	-	603.06
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2010-11	3.50	-	-	-	-	-
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04	0.10	-	-	-	-	-
बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	1999-2000	99.04	-	89.78	-	-	89.78
बिहार राज्य मतस्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1.75	1.25	5.63	-	-	6.88
बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2.29	-	-	-	-	-
बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2004-05	15.12	-	57.49	-	-	57.49
बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1991-92	0.95	1.05	0.01	-	-	1.06
बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2009-10	5.66	-	-	-	-	-
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2000-01	9.97	-	-	11.00	-	11.00
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2007-08	11.00	21.79	-	-	-	21.79
बिहार राज्य विवरेज निगम लिमिटेड	2009-10	5.00	-	-	-	-	-
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	प्रारम्भ से लेखे तैयार नहीं किये गये	0.06*	0.06	-	-	-	0.06
बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	2010-11	20.00		-	-	-	-
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2010-11	5.00		-	-	-	-

सा0 क्षे0 उ0 का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण है	अद्यतन पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में हैं				
			अंश पूँजी	ऋण	अनुदान राशि	अन्य (अर्थसाहाय्य)	कुल
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत निगम लिमिटेड	2010-11	20.00	-	-	-	-	-
बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेषन लिमिटेड	2010-11	7.58	-	-	-	-	-
कुल (क)			**40.70**	**764.93**	**70.69**	**205.00**	**1081.32**
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें							
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2011-12	-	-	-	-	-	-
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2002-03	101.27	-	456.77	-	-	456.77
बिहार राज्य वित्त निगम	2010-11	77.84	-	-	-	-	-
बिहार राज्य भण्डार निगम	2008-09	5.31	-	-	-	-	-
कुल (ख)			**-**	**456.77**	**-**	**-**	**456.77**
कुल (क + ख)			**40.70**	**1221.70**	**70.69**	**205.00**	**1538.09**
(ग) अकार्यशील कम्पनियाँ							
बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	7.18	-	1.66	-	2.46	4.12
बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	3.62	12.92	6.30	-	-	19.22
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1987-88	14.04	-	38.47	-	-	38.47
बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	5.14	12.26	43.18	-	-	55.44
बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	4.98	5.80	2.74	-	-	8.54
बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1995-96	6.72	-	-	-	-	-
बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	1989-90	7.00	2.00	1.05	-	-	3.05
बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	5.60	5.22	18.78	-	55.41	79.41
बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	9.97	10.03	365.32	-	-	375.35
बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1984-85	1.44	-	-	-	-	-
बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	5.00	5.00	154.33	-	-	159.33
बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1989-90	7.57	0.07	24.66	-	-	24.73
बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1994-95	2.10	-	4.65	21.07	-	25.72
बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	2.00	-	2.21	-	0.07	2.28
बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	6.28	3.72	0.25	-	0.48	4.45
बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87	0.66	-	-	-	-	-
बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	प्रारम्भ से ही लेखे तैयार नहीं	-	-	-	-	-	-

सा0 क्षे0 उ0 का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण है	अद्यतन पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में हैं				
			अंश पूँजी	ऋण	अनुदान राशि	अन्य (अर्थसाहाय्य)	कुल
	किये गये						
बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1985-86	0.94	अनु0	अनु0	अनु0	अनु0	अनु0
बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1988-89	1.03	अनु0	अनु0	अनु0	अनु0	अनु0
बिहार स्टेट फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	1983-84	1.47	-	9.18	-	-	9.18
बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	-	-	-	6.09	-	-	6.09
कुल (ग)			**57.02**	**678.87**	**21.07**	**58.42**	**815.38**
कुल योग (क+ख+ग)			**97.72**	**1900.57**	**91.76**	**263.42**	**2353.47**

* आँकड़े कम्पनियों द्वारा समर्पित सूचनाओं पर आधारित हैं।

अनु0 : ईंगित करता है कि सूचनाएँ सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई थीं।

परिशिष्ट–5

(कंडिका 1.14 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि : ₹ करोड़ में)

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
विवरण	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
(क) दायित्त्व			
अंश पूँजी	-	-	-
सरकार से ऋण	6496.66	8493.87	11464.96
संचित एवं अधिशेष (मूल्य ह्रास को छोड़कर)	-	-	-
चालू दायित्त्व एवं प्रावधान	3738.72	3873.45	5977.22
पूँजीगत दायित्व	6763.88	8225.92	9867.94
कुल (क)	**16996.26**	**20593.24**	**27310.12**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल सम्पत्तियाँ	2864.80	3856.07	5049.28
घटेः मूल्य ह्रास	1800.57	1895.18	2101.11
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	1064.23	1960.89	2948.17
पूँजीगत कार्य में प्रगति	881.20	1282.04	3865.49
चालू सम्पत्तियाँ	5316.13	5644.86	5379.89
निवेश	829.57	1471.48	2280.21
सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य	4315.65	4315.65	4315.65
सम्पत्तियाँ जो उपयोग में नहीं हैं	3.61	-	-
नियामक परिसम्पतियाँ	60.00	60.00	-
विविध व्यय	-	-	-
घाटा	4525.88	5858.32	8520.71
कुल – ख	**16996.26**	**20593.24**	**27310.12**
(ग) **नियोजित पूँजी ***	**3522.84**	**5014.34**	**6216.34**
2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ♦			
विवरण	**2009-10** (औपबँधिक)	**2010-11** (औपबँधिक)	**2011-12** (औपबँधिक)
(क) दायित्त्व			
पूँजी (पूँजी ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	404.01	525.35	646.69
ऋण (सरकार)	--	--	--
(अन्य)	--	--	--
निधि**	0.30	0.30	0.30
व्यापार बकाया एवं अन्य चालू दायित्त्व (प्रावधान सहित)	1215.52	925.52	722.77
कुल – क	**1619.53**	**1451.17**	**1369.76**

* नियोजित पूँजी निवल अचल सम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी के योग को निरूपित करती है। विलम्बित लागत एवं निवेश की राशि को चालू परिसम्पत्तियों में से घटाकर कार्यचालन पूँजी की गणना की गई है।

♦ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

** मूल्य ह्रास निधि को छोड़कर।

ख – परिसम्पत्तियाँ			
सकल सम्पत्तियाँ	-	-	-
घटेः मूल्य ह्रास	-	-	-
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	37.00	32.00	27.00
पूँजीगत कार्य में प्रगति (चेचिस मूल्य शामिल)	-	-	-
निवेश	-	-	-
चालू सम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	495.90	325.39	149.75
संचित हानियाँ	1086.63	1093.78	1193.01
कुल – ख	**1619.53**	**1451.17**	**1369.76**
ग – नियोजित पूँजी #	(-)682.62	(-)568.13	(-)532.66
3. बिहार राज्य वित्त निगम			
विवरण	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12** (औपबँधिक)
(क) दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी *	77.84	77.84	77.84
संचित कोष, अन्य संचितें	10.05	10.05	10.05
ऋण	-	-	-
बाण्डस एवं ऋण पत्र	35.32	3.47	-
राज्य सरकार द्वारा अन्य भुगतान	228.47	228.47	228.47
चालू दायित्त्व एवं प्रावधान	293.19	305.34	281.51
कुल – क	**644.87**	**625.17**	**597.87**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
रोकड़ एवं बैंक शेष	48.76	71.16	61.12
निवेश	0.04	0.04	0.04
ऋण एवं अग्रिम	204.86	162.60	143.92
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	0.69	0.65	0.64
चालू सम्पत्तियाँ	6.59	8.53	10.01
लाभांश हानि खाता	-	-	-
घाटा	383.93	382.20	382.14
कुल – ख	**644.87**	**625.18**	**597.87**
(ग) नियोजित पूँजी **	375.53	335.75	318.09
4. बिहार राज्य भण्डार निगम ♠			
विवरण	**2009-10** (औपबँधिक)	**2010-11** (औपबँधिक)	**2011-12** (औपबँधिक)
क – दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी	6.42	6.42	6.42
संचिते एवं आधिक्य	12.39	14.39	16.39
व्यापारिक बकाये एवं अन्य दायित्त्व (प्रावधानों के साथ)	39.87	37.09	33.41
कुल – क	**58.68**	**57.90**	**56.22**
ख – परिसम्पत्तियाँ			
सकल परिसम्पत्तियाँ	22.13	22.24	22.23
घटेः मूल्य ह्रास	7.32	8.10	8.86
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	14.81	14.14	13.37

\# नियोजित पूँजी निवल अचल सम्पत्ति (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी का योग हैं।

* प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन पूँजी सम्मिलित है।

** नियोजित पूँजी प्रदत्त पूँजी, रिजर्व (उन रिजर्वो को छोड़कर जो कि बाहरी निवेश से समर्थित है), बाण्ड, ऋणों एवं जमाओं (पुनर्वित्त सहित) के वर्ष के शुरूआती एवं अंतिम आँकड़ों के योग का माध्य है।

♠ आँकड़े निगम द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार है।

पूँजीगत कार्य प्रगति में	--	2.03	2.03
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	43.87	41.73	40.82
लाभ एवं हानि खाता	--	--	--
कुल – ख	**58.68**	**57.90**	**56.22**
ग नियोजित पूँजी #	**14.81**	**14.14**	**13.36**

नियोजित पूँजी शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य में प्रगति सहित) कार्यशील पूँजी का योग है।

परिशिष्ट–6

(कंडिका 1.14 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों की विवरणी

(राशि : ₹ करोड़ में)

1.	**बिहार राज्य विद्युत बोर्ड**			
क्रम सं.	**विवरण**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
1	(क) राजस्व प्राप्तियाँ	1955.89	2537.61	3300.91
	(ख) सरकार से अर्थसाहाय्य	840.00	1080.00	2120.24
	कुल	**2795.89**	**3617.61**	**5421.15**
2	राजस्व व्यय (शुद्ध पूंजीगत व्यय), अमूर्त्त परिसम्पत्तियों का अपलेखन सहित परन्तु मूल्य ह्रास एवं ब्याज को छोड़कर	3249.11	3994.93	6215.65
3	वर्ष का सकल आधिक्य (+)/घाटा(–) (1–2)	(-)453.52	(-)377.32	(-)794.50
4	पिछले वर्ष से सम्बन्धित समायोजन	84.29	290.41	(-)284.76
5	वर्ष का अन्तिम सकल आधिक्य (+)/घाटा(–) (3+4)	(-)369.23	(-)86.91	(-)1079.26
6	विनियोजन			
(क)	मूल्य ह्रास (पूँजीगत घटाकर)	59.72	90.45	143.48
(ख)	पूँजीगत ऋण पर ब्याज	693.94	830.92	976.20
(ग)	अन्य ऋण, बाण्ड, अग्रिम आदि पर ब्याज	305.00	349.17	504.44
(घ)	ऋण एवं वित्तीय भारों पर कुल ब्याज (ख+ग)	998.94	1180.09	1480.64
(ङ)	घटाएँः पूँजीकृत ब्याज	16.00	25.00	41.00
(च)	राजस्व में भारित शुद्ध ब्याज (घ–ङ)	982.94	1155.09	1439.64
(छ)	कुल विनियोजन (क+च)	1042.66	1245.54	1583.12
7	राज्य सरकार से प्राप्त अर्थसाहाय्य के लेखाकरण से पूर्व आधिक्य (+)/घाटा (–) (5–6(छ)–1(ख))	(-)2235.89	(-)2392.45	(-)542.14
8	शुद्ध आधिक्य (+)/घाटा(–) 5–6(छ)	(-)1411.89	(-)1332.45	(-)2662.38
9	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल*	(-)428.95	(-)177.36	(-)1181.74
10	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	-	-	-
2	**बिहार राज्य पथ परिवहन निगम♦**			
	विवरण	**2009-10 (औपबँधिक)**	**2010-11 (औपबँधिक)**	**2011-12 (औपबँधिक)**
	प्रचालन सम्बन्धी			
(क)	राजस्व	19.50	19.56	21.03
(ख)	व्यय	49.54	33.53	36.46
(ग)	आधिक्य (+)/घाटा(–)	(-) 30.04	(-)13.97	(-)15.43
	अप्रचालन सम्बन्धी			
(क)	राजस्व	2.73	-	10.35
(ख)	व्यय	36.18	7.18	94.15
(ग)	आधिक्य (+)/घाटा (–)	(-) 33.45	(-)7.18	(-)83.80

* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल शुद्ध आधिक्य/घाटा तथा लाभ एवं हानि लेखे में प्रमाणित कुल ब्याज (पूँजीकृत ब्याज को छोड़कर)

♦ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

	राजस्व	22.23	19.56	31.38
	व्यय	85.72	40.71	130.61
	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	(-) 63.49	(-)21.15	(-)99.23
	पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	18.53	-	89.63
	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	(-)44.96	(-)21.15	(-)9.60
3.	**बिहार राज्य वित्तीय निगम▼**			
	विवरण	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12 (औपबँधिक)**
1	**आय**			
i)	ऋण पर ब्याज	13.33	8.28	5.78
ii)	अन्य आय	6.82	44.32	28.34
	कुल – 1	**20.15**	**52.60**	**34.12**
2.	**व्यय***			
i)	(क) दीर्घकालीन ऋण एवं अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज	5.96	31.53	19.04
	(ख) अक्रियाशील सम्पतियों के लिए प्रावधान	1.73	-	-
	(ग) अन्य व्यय	12.46	19.34	15.03
	कुल – 2	**20.15**	**50.87**	**34.07**
3.	कर के पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (1–2)	0.00[21]	1.73	0.05
4.	कर का प्रावधान	0.02	-	-
5.	अन्य विनियोजन	--	-	-
6.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि#	--	-	-
7.	लाभांश	--	-	-
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	5.96	33.26	19.09
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	1.58	9.90	6.00
4.	**बिहार राज्य भण्डार निगम▼**			
	विवरण	**2009-10** (औपबँधिक)	**2010-11** (औपबँधिक)	**2011-12** (औपबँधिक)
1.	**आय**			
(क)	भण्डारण प्रभार	9.31	9.33	13.25
(ख)	अन्य आय	49.60	56.56	59.15
	कुल – 1	**58.91**	**65.89**	**72.40**
2.	**व्यय**			
(क)	स्थापना शुल्क	4.93	4.91	6.35
(ख)	अन्य व्यय	51.58	58.51	58.39
	योग–2	**56.51**	**63.42**	**64.75**
3	कर के पूर्व लाभ(+)/हानि(–)	2.40	2.47	7.65
4.	पूर्वावधि समायोजन	0.12	0.04	-
5.	अन्य विनियोजन	1.00	2.00	2.00
6.	लाभांश के लिये उपलब्ध राशि	1.27	0.43	5.65
7.	वर्ष के लिए लाभांश	-	-	-
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	2.40	2.47	7.65
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	16.18	17.48	57.25

▼ आँकड़े निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

* वर्ष के अक्रियाशील सम्पत्तियों के लिये प्रावधान को व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अलग से दिखाया जा सकता है।

21 ₹ 0.30 लाख

\# लाभांश हेतु निर्दिष्ट संचय के पश्चात् वर्तमान वर्ष की आय की उपलब्धता को इंगित करता है।

परिशिष्ट–7

(कंडिका 3.10 में संदर्भित)

2011–12 की अवधि तक समाप्त हुए पाँच वर्षों में वोल्टेज–वार क्षमता में नियोजित वृद्धि, वास्तविक वृद्धि एवं कमी को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
400 के0 भी0 सब–स्टेशन (संख्या)							
1	वर्ष के आरम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वर्ष के योजनार्थ जोड़ाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष में वास्तविक जोड़ाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	वर्ष के अन्त में (1+3)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	जोड़ाव में कमी (2-3)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
400 **के0 भी0 ट्रान्सफॉर्मर क्षमता (एम0भी0ए0)**							
1	वर्ष के आरम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वर्ष के याजना के अन्तर्गत जोड़ाव/आवर्धन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष में वास्तविक जोड़ाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	जोड़ाव /आवर्धन में कमी (2-3)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
400 के0 भी0 लाईन्स (सी0के0एम0)							
1	वर्ष के आरम्भ में	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	-
2	वर्ष के योजनार्थ जोड़ाव	-	-	-	-	-	-
3	वर्ष में वास्तविक जोड़ाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	वर्ष के अन्त में (1+3)	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	-
5	जोड़ाव में कमी (2-3)	-	-	-	-	-	-
220 के0 भी0 सब–स्टेशन (संख्या)							
1	वर्ष के आरम्भ में	8	8	8	9	9	-
2	वर्ष के योजनार्थ जोड़ाव	जोड़ाव हेतु बोर्ड द्वारा वर्ष–वार नियोजन नहीं किया गया					4
3	वर्ष में वास्तविक जोड़ाव	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	1
4	वर्ष के अन्त में (1+3)	8	8	9	9	9	-
5	जोड़ाव में कमी (2-3)	-	-	-	-	-	3
220 के0 भी0 ट्रान्सफॉर्मर क्षमता (एम0भी0ए0)							
1	वर्ष के आरम्भ में	1750	1750	2000	2100	2450	
2	वर्ष के याजना के अन्तर्गत जोड़ाव/आवर्धन	जोड़ाव हेतु बोर्ड द्वारा वर्ष–वार नियोजन नहीं किया गया					1400
3	वर्ष में वास्तविक जोड़ाव	शून्य	250	100	350	Nil	700

क्रम सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	1750	2000	2100	2450	2450	-
5	जोड़ाव/आवर्धन में कमी (2-3)	-	-	-	-	-	700
220 के0 भी0 लाईन्स (सी0के0एम0)							
1	वर्ष के आरम्भ में	1126.89	1126.89	1126.89	1126.89	1126.89	-
2	वर्ष के योजनार्थ जोड़ाव	जोड़ाव हेतु बोर्ड द्वारा वर्ष–वार नियोजन नहीं किया गया					432.29
3	वर्ष में वास्तविक जोड़ाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	20.40	20.40
4	वर्ष के अन्त में (1+3)	1126.89	1126.89	1126.89	1126.89	1147.29	-
5	जोड़ाव में कमी (2-3)	-	-	-	-	-	411.89
132 के0 भी0 सब–स्टेशन (संख्या)							
1	वर्ष के आरम्भ में	59	61	62	65	70	-
2	वर्ष के योजनार्थ जोड़ाव	जोड़ाव हेतु बोर्ड द्वारा वर्ष–वार नियोजन नहीं किया गया					29
3	वर्ष में वास्तविक जोड़ाव	2	1	3	5	7	18
4	वर्ष के अन्त में (1+3)	61	62	65	70	77	-
5	जोड़ाव में कमी (2-3)	-	-	-	-	-	11
132 के0 भी0 ट्रान्सफॉर्मर क्षमता (एम0भी0ए0)							
1	वर्ष के आरम्भ में	2728	2808	3468	3798	4228	-
2	वर्ष के योजना के अन्तर्गत जोड़ाव/आवर्धन	जोड़ाव हेतु बोर्ड द्वारा वर्ष–वार नियोजन नहीं किया गया					2660
3	वर्ष में वास्तविक जोड़ाव	80	660	330	430	400	1900
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	2808	3468	3798	4228	4628	-
5	जोड़ाव/आवर्धन में कमी (2-3)	-	-	-	-	-	560
132 के0 भी0 लाईन्स (सी0के0एम0)							
1	वर्ष के आरम्भ में	4357.16	4357.16	4422.96	4528.06	4715.63	-
2	वर्ष के योजनार्थ जोड़ाव	जोड़ाव हेतु बोर्ड द्वारा वर्ष–वार नियोजन नहीं किया गया					1770.02
3	वर्ष में वास्तविक जोड़ाव	शून्य	65.80	105.10	187.57	462.29	820.76
4	वर्ष के अन्त में (1+3)	4357.16	4422.96	4528.06	4715.63	5177.92	-
5	जोड़ाव में कमी (2-3)	-	-	-	-	-	949.26

स्रोत : बोर्ड द्वारा उपलब्ध की गई सूचना

परिशिष्ट–8

(कंडिका 4.7 में संदर्भित)

भार विस्तार में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि को दर्शानेवाली विवरणी

क्रम सं0	उपभोक्ता का नाम	विद्यमान भार	भार के लिए आवेदित (के0भी0ए0)	आवेदन की तिथि	बढ़ी हुई भार पर आपूर्ति करने की तिथि	बढ़ी हुई भार पर आपूर्ति करने में लिए गए दिनों की संख्या	मानक के अनुसार आवश्यक दिनों की संख्या	बढ़ी हुई भार को आपूर्ति करने में विलम्ब (7–8)	राजस्व की हानि (स्थायी शुल्क) (₹ लाख में)	विलम्ब का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	मे0 त्रिवेणी स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, फतुहा	60 एच0पी0 (एल0टी0 आई0एस0)	6300 के0भी0ए0 (एच0टी0 एस0एस0)	15 जनवरी 2011	10 सितम्बर 2011	237	145	92	132.12	आवश्यक औपचारिकता पूरी करने में प्रस्ताव की कमियों को हटाने में विलम्ब।
2.	मे0 बालाजी मिनी स्टील एण्ड रि–रोलिंग प्राइवेट लिमिटेड, बिहटा	90 एच0पी0 (एल0टी0 आई0एस0)	2151 के0भी0ए0 (एच0टी0 एस0एस0)	28 जुलाई 2010	04 अक्टूबर 2011	432	145	287	40.53	सम्भाव्यता प्रतिवेदन बनाने में विलम्ब।
3.	मे0 नील कमल स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड, पटना	7400 (एच0टी0 एस0एस0)	8000 (एच0टी0 एस0एस0)	06 जनवरी 2011	11 जनवरी 2012	370	27	343	48.02	भार स्वीकृति में विलम्ब।
								कुल	**₹ 220.67 लाख**	

परिशिष्ट–9

(कंडिका 4.12 में संदर्भित)

विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	विभाग का नाम	सा0क्षे0उ0 की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जहाँ से कंडिकाएँ बकाया में हैं
1	उद्योग	2	7	29	2007-08
2	सूचना प्रौद्योगिकी	1	3	13	2007-08
3	वन एवं पर्यावरण	1	1	9	2005-06
4	कृषि	1	2	3	2004-05
5	ऊर्जा	2	571	1144	2004-05
6	खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति	1	4	33	2007-08
7	पर्यटन	1	1	4	2011-12
8	शिक्षा	1	2	7	2010-11
9	पथ निर्माण	1	1	7	2007-08
10	गृह (पुलिस)	1	2	9	2007-08
11	परिवहन	1	2	11	2007-08
12	सहकारिता	1	5	24	2004-05
13	निबन्धन, उत्पाद एवं निषेध	1	4	15	2008-09
14	अल्पसंख्यक कल्याण	1	1	2	2010-11
15	पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1	1	5	2010-11
16	शहरी विकास एवं आवास	1	1	5	2011-12
	कुल	**18**	**608**	**1320**	

परिशिष्ट–10

(कंडिका 4.12 में संदर्भित)

विभागवार प्रारूप कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाएँ जिनके उत्तर अप्राप्त हैं, को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिका की संख्याएँ	समीक्षा की संख्याएँ	निर्गत अवधि
1.	ऊर्जा	10	1	मई से अगस्त 2012
2.	शिक्षा विभाग	-	1	अगस्त 2012
3.	पथ निर्माण विभाग	1	-	जून 2012

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेतात्मक शब्द	विस्तृत रूप
ए0सी0	प्रत्यावर्तित धारा
ए0जी0एम0	वार्षिक सामान्य बैठक
ए0एल0डी0सी0	प्रक्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
ए0एम0पी0	एम्पीयर
ए0आर0आर0	कुल राजस्व आवश्कता
बी0बीपी0पी0	बस बार सुरक्षा पैनल
बी0डी0भी0	ब्रेक डाउन वोल्टेज
बी0ई0आर0सी0	ब्रेक डाउन वोल्टेज
बी0ओ0डी0	निदेशक मंडल
बी0आर0पी0एन0एन0	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
बी0एस0ई0बी0	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
बी0एस0पी0पी0	बिहार शिक्षा परियोजना पर्षद
बी0एस0आर0डी0सी0	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड
बी0टी0पी0एस0	बरौनी थर्मल पावर स्टेशन
सी0ई0ए0	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार
सी0के0एम0	सर्किट किलोमीटर
सी0टी0एस0	करेंट ट्रांसफॉर्मर
सी0टी0यु0	केन्द्रीय संचरण उपयोगिता
डी0सी0	एकदिश धारा
डी0जी0ए0	विघटित गैस विश्लेषण
डी0एम0	आपदा प्रबन्धन
डी0एस0	घरेलू सेवाएँ
ई0सी0एल0	ईस्टर्न कोल्ड फिल्ड लिमिटेड
ई0एच0टी0	अतिरिक्त उच्च विभव
ई0आर0एल0डी0सी0	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
ई0आर0पी0सी0	पूर्वी क्षेत्र पावर कमिटि
एफ0एस0ए0	इंधन आपूर्ति अनुबन्ध
जी0डी0पी0	सकल घरेलू उत्पाद
जी0ओ0बी0	बिहार सरकार
जी0टी0	उत्पादन से संचरण
एच0पी0सी0एल0	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड
एच0टी0	उच्च विभव
एच0जेड0	हर्टज
आई0आर0एस0	निरीक्षण प्रतिवेदन
एम0ओ0यु0	समझौता ज्ञापन
एम0टी0पी0सी0	संचरन नियोजन मापदण्ड नियमावली
एम0यु0एस0	मिलियन इकाई
एम0भी0ए0	मेगा वोल्ट एम्पीयर
एन0ई0पी0	राष्ट्रीय विद्युत योजना

एन0आई0टी0	निविदा आमंत्रण सूचना
एन0पी0सी0	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्
ओ0 एण्ड एम0	परिचालन एवं रखरखाव
ओ0एल0टी0सी0	ऑन लोड टैप चेंजर
पी0जी0सी0आई0एल0	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड
पी0ओ0	क्रयादेश
पी0एस0यु0	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पी0टी0आर0एस0	शक्ति ट्रांसफॉर्मर्स
पी0भी0	भौतिक सत्यापन
आर0ओ0डब्ल्यू0	मार्ग के अधिकार
आर0टी0सी0	रिमोट थर्मल यूनिट
आर0टी0एस0	रेलवे कर्षण सेवा
एस0ए0आर0	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस0ई0पी0	राज्य विद्युत योजना
एस0एल0डी0सी0	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
एस0एम0एस0	सब–स्टेशन प्रबन्धन प्रणाली
एस0एस0ए0	सर्व शिक्षा अभियान
एस0एस0	सब–स्टेशन
एस0टी0यु0	राज्य संचरण उपयोगिता
टी0 एण्ड डी0	संचरण एवं वितरण
टी0डी0एस0	स्रोत पर आयकर कटौती
टी0एल0एल0	थर्मल लोडिंग सीमा
यु0आई0	अअनुसूचित विनिमय